जून, 2022

I.S.S.N. 2457-0486

# उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

**प्रधान संपादक**

श्री कमला कान्त

**संपादक**

श्री अविनाश शुक्ला

श्री असलम खान

श्री पुण्डरीक शर्मा

**उप-संपादक**

श्री महीपाल सिंह

श्री जसवन्त सिंह

श्री जाह्नवी शेखर शर्मा

श्री अमर्त्य हेम विप्र पाण्डेय

---

**ISSN-2457-0486**

**कीमत : डाक-व्यय सहित**

एक प्रति : ` 125/-

वार्षिक : ` 1,300/-

**© 2022 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय**

---

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा................................. द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

# उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जून, 2022 अंक - 6

**प्रधान संपादक**

**कमला कान्त**

**संपादक**

**पुण्डरीक शर्मा**

सत्यमेव जयते

विधि साहित्य प्रकाशन

**(2022) 1 दा. नि. प.**

## विधि साहित्य प्रकाशन

**विधायी विभाग**

**विधि और न्याय मंत्रालय**

**भारत सरकार**

**Online selling of law Patrikas/Books is available on Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product**

---

**विक्रय कार्यालय** : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

# संपादकीय

यदि दंगा-उपद्रव करने के किसी मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल करने में ढाई मास के अधिक का विलंब हुआ है और अभियोजन पक्ष साक्ष्यों के माध्यम से विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन करने में असफल रहा है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति ने क्या-क्या आपराधिक कार्य किया और किस-किस हथियार का उपयोग किया, तो ऐसी स्थिति में क्या दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए **प्रमोद प्रधान** उर्फ **प्रमोद कुमार और अन्य** बनाम **उड़ीसा राज्य** (2022) 1 दा. नि. प. 745 वाले मामले में उच्च न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि उपरोक्त परिस्थितियों से यह प्रकट होता है कि पर्याप्त पुष्टिकारक साक्ष्य की अनुपस्थिति में अभियोजन पक्ष सभी सुसंगत संदेहों से परे आरोप साबित करने में असफल रहा है इसलिए दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है ।

यदि बलात्संग के किसी मामले में समाज के दबाव के कारण अभियुक्त अभियोक्त्री से विवाह कर लेता है तो क्या यह तथ्य उसे बलात्संग के अपराध से दोषमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए **मनोव्वर आलम** उर्फ **मनोवर आलम** बनाम **बिहार राज्य** (2022) 1 दा. नि. प. 803 वाले मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा सफलतापूर्वक इस तथ्य को स्थापित किया गया है कि घटना के समय पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी । घटना के पश्चात् समाज और आस-पास के लोगों के दबाव में अभियोक्त्री और अभियुक्त का पश्चात्वर्ती निकाह वर्तमान मामले में सारवान् नहीं है और वह एक कपटपूर्ण कार्य है क्योंकि अभियुक्त कभी भी वैवाहिक संबंधों में नहीं रहा, अतः, अभियोजन पक्ष सभी सुसंगत संदेहों से परे अभियुक्त के विरुद्ध अपना पक्षकथन साबित करने में सफल रहा है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

यदि चोरी के किसी अपराध में अभिकथित चोर द्वारा पूछताछ किए जाने के दौरान अपराध की स्वीकारोक्ति की जाती है और उक्त

स्वीकारोक्ति के आधार पर करेंसी नोटों को बरामद किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या अभिकथित चोर की दोषसिद्धि उपयुक्त है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए **रमेश कुमार** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** (2022) 1 दा. नि. प. 849 वाले मामले में उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि वर्तमान मामले में अपराध की स्वीकारोक्ति साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के परिधि क्षेत्र से बाहर है और इसलिए विधिक रूप से मान्य नहीं है, इसके अतिरिक्त, मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि बरामद की गई धनराशि उसकी है, अत: सेशन न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय उपयुक्त और सुसंगत प्रतीत नहीं होता इसलिए उसे अपास्त किया जाता है ।

इस अंक में, निर्णयों के हिन्दी पाठ और शीर्ष टिप्पण पाठकों के ज्ञान के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं । यह अंक विद्यार्थियों, विधि-वेत्ताओं, न्यायाधीशों और आम-जनता के लिए बहुत उपयोगी है । इस अंक में केन्द्रीय अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इस संपूर्ण अंक का परिशीलन करने के पश्चात् आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ईप्सित हैं ।

**पुंडरीक शर्मा**
संपादक

# उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जून, 2022

## निर्णय-सूची

पृष्ठ संख्या


| | |
|---|---|
| अरविन्द यादव मार्फत पैरोकार **बनाम** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र, सरकार | 779 |
| चंदन **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य | 721 |
| डेबरू मांझी **उर्फ** समरा तंती **बनाम** असम राज्य | 769 |
| प्रमोद प्रधान **उर्फ** प्रमोद कुमार और अन्य **बनाम** उड़ीसा राज्य | 745 |
| मध्य प्रदेश राज्य **बनाम** रिजवान खान | 836 |
| मनु एसके. **उर्फ** मनोवर आजम **बनाम** पश्चिम बंगाल राज्य | 759 |
| मनोव्वर आलम **उर्फ** मनोवर आलम **बनाम** बिहार राज्य | 803 |
| यूआंसू माझी **बनाम** उड़ीसा राज्य | 733 |
| रमेश कुमार **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य | 849 |
| हसीन खान **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य और अन्य | 820 |


## संसद् के अधिनियम


| | |
|---|---|
| सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ | 1 – 41 |

## विषय-सूची


पृष्ठ संख्या

**दंड संहिता 1860 (1860 का 45)**

– धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अभियुक्त पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया जाना – अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से अपनी पत्नी की गर्दन पर पीछे से कुल्हाड़ी से प्रहार करके उसकी हत्या किया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा, अन्य बातों के साथ, अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से की गई न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का अवलंब लेकर अभियुक्त के विरुद्ध अपना पक्षकथन साबित करने का प्रयास करना – साक्षियों द्वारा किए गए कथन के अनुसार जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो कुछ सह-ग्रामीण अभियुक्त पर हमला करके उसकी पिटाई कर रहे थे, अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति पूर्णतया स्वैच्छिक थी तथा किसी बाह्य दबाव या भय से मुक्त थी, इसके अतिरिक्त अन्य साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किया गया इस प्रभाव का साक्ष्य कि अभियुक्त घटनास्थल पर मृतका के साथ अकेला मौजूद था, का उल्लेख पुलिस के समक्ष उनके द्वारा किए गए कथनों में विद्यमान नहीं है, इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की पूर्ण श्रृंखला को इस प्रकार स्थापित करने में असफल रहा है, जिससे युक्तियुक्त रूप से केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्त ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है – अतः, अपील मंजूर की जाती है और अभियुक्त की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है और वह निर्मुक्त किए जाने का हकदार है ।

**यूआंसू माझी** बनाम **उड़ीसा राज्य** 733

**पृष्ठ संख्या**

– धारा 302, 304 भाग-I – हत्या – हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – अभियुक्त द्वारा मृतक के सिर पर लोहे की रॉड से क्षतियां पहुंचाई जाना – परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाना – मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने द्वारा दिए गए संस्वीकृति कथन में अभियुक्त ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके और मृतक के बीच छोटी सी बात पर विवाद हुआ तथा विवाद के दौरान मृतक ने उसे मुक्का मारा और जब मृतक ने उसे नीचे धकेल दिया तो उसने क्रोध में आकर लोहे की रॉड से मृतक पर बिना किसी पूर्व चिंतन के आवेश आकर अचानक हमला किया है, अतः अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 302 के अधीन नहीं अपितु धारा 304 भाग-I के अधीन दोषी है ।

**डेबरू मांझी** उर्फ **समरा तंती** बनाम **असम राज्य** 769

– धारा 376 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से अभियोक्त्री को बलपूर्वक खेत में खीचकर ले जाना तथा उसके साथ बलात्संग किया जाना – शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दिया जाना – घटनास्थल अभियोक्त्री के घर से एक बीघा की दूरी पर तथा सार्वजनिक मार्ग से सटा हुआ पाया जाना – किसी भी व्यक्ति द्वारा घटना घटित होते हुए नहीं देखा जाना – अभियोजन पक्ष का परिसाक्ष्य घटनास्थल और हमले एवं अपराध कारित करने के तरीके के विषय में स्वयं विरोधाभासी है और जान से मारने की धमकी के विषय में अभियुक्त द्वारा किसी भी आयुध का प्रयोग नहीं किया गया है तथा अभियोक्त्री की अभिगृहीत वस्तुओं को रासायनिक परीक्षा के लिए नहीं भेजा गया है अर्थात्

**पृष्ठ संख्या**

चिकित्सीय रिपोर्ट से अभियोजन पक्षकथन की अभिपुष्टि नहीं होती है और साथ ही अभियोक्त्री के शरीर पर किसी प्रकार की क्षति नहीं पाई गई है, अतः अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, इसलिए निचले न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय न्यायोचित नहीं है ।

**चंदन** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 721

– धारा 376, 366क और 372 – अभियुक्त के विरुद्ध एक अप्राप्तवय लड़की के साथ बलात्संग करने का आरोप लगाया जाना – अभियुक्त द्वारा अप्राप्तवय पीड़िता को निकाह का वचन देकर उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक मैथुन किया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा सफलतापूर्वक इस तथ्य को स्थापित किया जाना कि घटना के समय पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी – चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा भी अभियोक्त्री के कथन की पुष्टि किया जाना – अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत कथन का संपूर्ण विचारण के दौरान ठोस और अकाट्य बना रहना – घटना के पश्चात् समाज और आस-पास के लोगों के दबाव में अभियोक्त्री और अभियुक्त का पश्चात्वर्ती निकाह वर्तमान मामले में सारवान् नहीं है और वह एक कपटपूर्ण कार्य है क्योंकि अभियुक्त कभी भी वैवाहिक संबंधों में नहीं रहा, अत:, अभियोजन पक्ष सभी सुसंगतों से संदेहों से परे अभियुक्त के विरुद्ध अपना पक्षकथन साबित करने में सफल रहा है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

**मनोव्वर आलम** उर्फ **मनोवर आलम** बनाम **बिहार राज्य** 803

**पृष्ठ संख्या**

– धारा 376 और धारा 506 – अभियुक्त द्वारा अपनी अप्राप्तवय पुत्री के साथ बलात्संग किया जाना और उसके द्वारा लगभग 7 वर्ष तक उक्त अपराध को जारी रखना – अभियोक्त्री के कथन का सम्यक् रूप से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी तथा उसकी चिकित्सा परीक्षा करने वाली डाक्टर द्वारा अपने कथनों के माध्यम से समर्थन किया जाना – इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री की बुआ द्वारा भी उसके कथन की पुष्टि किया जाना – अभियोक्त्री की अंक तालिका के अनुसार यह तथ्य साबित होना कि पहली बार बलात्संग का अपराध किए जाने के समय अभियोक्त्री अप्राप्तवय थी और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि बलात्संग का अपराध सात वर्षों तक जारी रहा, अत: अभियुक्त की दोषसिद्धि सर्वथा उचित है और विचारण न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है, इसके अतिरिक्त, जहां तक दंडादेश का लघुकरण किए जाने का संबंध है, यह शक्ति राज्य सरकार के समुचित प्राधिकारी में निहित है और इसलिए राज्य सरकार के समुचित प्राधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि वह अभियुक्त के दंडादेश के लघुकरण/उसे क्षमादान मंजूर किए जाने के विवाद्यक पर विचार करके अपना विनिश्चय प्रस्तुत करे ।

**हसीन खान** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य** 820

– धारा 420, 467, 468, 471 और 406 – अभियुक्त के विरुद्ध यह अभिकथन करते हुए कि उसने निर्गत आदेश तथा मांगदेय ड्राफ्ट में कतिपय अंतर्वेशन किया है तथा उसके आधार पर तीन गुना अधिक डीएपी यूरिया का उपापन किया, छल करने का आरोप लगाया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को

**पृष्ठ संख्या**

दोषमुक्त किया जाना – राज्य द्‌वारा उच्च न्यायालय के समक्ष उकत निर्णय के विरुद्‌ध अपील फाइल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना – अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करते समय यह तथ्य सामने आना कि अभियोजन पक्ष ने अंतर्वेशनों को साबित करने के लिए किसी हस्तलेख विशेषज्ञ की परीक्षा नहीं की है – माल के प्रदाय ज्ञापनों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों या अंगूठे के निशानों का न पाया जाना – अभियोजन पक्ष द्‌वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर विचारण न्यायालय द्‌वारा भंडारकर्ता की भूमिका का संदेहास्पद पाया जाना – मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् उच्च न्यायालय द्‌वारा यह निष्कर्ष निकाला जाना कि अभियोजन पक्ष सभी सुसंगत संदेहों से परे अभियुक्त के विरुद्‌ध अपना पक्षकथन स्थापित करने में असफल रहा है और इसलिए विचारण न्यायालय द्‌वारा की गई अभियुक्त की दोषमुक्ति सर्वथा उचित है तथा विचारण न्यायालय द्‌वारा दिए गए निर्णय में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

**मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **रिजवान खान** 836

– धारा 435, 451, 427 और 148 – अभियुक्त व्यक्तियों पर गृह अतिचार, दंगा करने और घातक हथियारों से लैस होकर हमला करने का आरोप लगाया जाना – अभिकथित रूप से अभियुक्त व्यक्तियों ने एक विधिविरुद्‌ध जमाव को तैयार करके संपत्तियों की लूटपाट की तथा आवासीय घरों में आग लगाई – विचारण न्यायालय द्‌वारा अभियुक्त व्यक्तियों को दोषसिद्‌ध ठहराकर उन्हें दंडादिष्ट किया जाना – चुनौती – उच्च न्यायालय द्‌वारा यह संप्रेक्षण किया जाना कि

**पृष्ठ संख्या**

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल करने में हुए ढाई मास से अधिक के विलंब हेतु कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है – अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन नहीं किया गया है कि किस अभियुक्त व्यक्ति ने क्या-क्या आपराधिक कार्य किया और साथ ही हथियारों के संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है – अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः, अभियोजन पक्ष सभी सुसंगत संदेहों से परे आरोप साबित करने में असफल रहा है इसलिए दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है ।

**प्रमोद प्रधान** उर्फ **प्रमोद कुमार और अन्य** बनाम **उड़ीसा राज्य** 745

– धारा 489ग [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – कूटरचित या कूटकृत करेंसी-नोट या बैंक-नोट का कब्ज़ा होना – साक्ष्य और सबूत – अभियुक्त के कब्जे में जाली करेंसी नोटों का पाया जाना – अभिग्रहण के समय स्थानीय व्यक्तियों का मौजूद होना जिनका पुलिस बल से कोई संबंध न होना – उक्त करेंसी नोटों को वैज्ञानिक परीक्षण हेतु सरकारी मुद्रणालय भेजा जाना – सरकारी मुद्रणालय की रिपोर्ट में यह पाया गया कि करेंसी नोटों को जांच हेतु भेजा गया था और अभियोजन साक्षियों के अनुसार यही नोट अभियुक्त के कब्जे से बरामद किए गए थे, अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अभियुक्त के कब्ज़े में उक्त करेंसी-नोट विद्यमान थे तथा वह उन्हें असली के रूप में चलाए जाने का आशय रखता था, इसलिए अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

**मनु एसके.** उर्फ **मनोवर आजम** बनाम **पश्चिम बंगाल राज्य** 759

**पृष्ठ संख्या**

## साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 3, 24 और 25 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 380 और 457] – मंदिर में चोरी का अपराध सामने आना – अन्वेषण अधिकारी द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मंदिर के अस्थायी पुजारी से पूछताछ किया जाना तथा पूछताछ किए जाने के दौरान उक्त पुजारी द्वारा अपने अपराध की स्वीकारोक्ति किया जाना – उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर परिसर में रखी गई धार्मिक पुस्तकों के विभिन्न पृष्ठों में छिपाए गए करेंसी नोटों को बरामद किया जाना – अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटनास्थल से उंगलियों के निशान अथवा सीसीटीवी कैमरा फुटेज प्राप्त न किया जाना – अन्वेषण अभिकरण द्वारा केवल स्वीकारोक्ति तथा करेंसी नोटों की बरामदगी के आधार पर अभियोजन आरंभ किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना – राज्य द्वारा दोषमुक्ति के उक्त निर्णय को सेशन न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया जाना – सेशन न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय को उलटते हुए निर्णय दिया जाना – अभियुक्त द्वारा सेशन न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका फाइल किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना कि वर्तमान मामले में अपराध की स्वीकारोक्ति साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के परिधि क्षेत्र से बाहर है और इसलिए विधिक रूप से मान्य नहीं है, इसके अतिरिक्त, मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि बरामद की गई धनराशि उसकी है, अत: सेशन न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय

**पृष्ठ संख्या**

उपयुक्त और सुसंगत प्रतीत नहीं होता इसलिए उसे अपास्त किया जाता है ।

**रमेश कुमार** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 849

## स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

– धारा 37 और धारा 52क – पुलिस दल द्वारा एक गोपनीय सूचना के आधार पर आवेदक को रंगे-हाथों कोकीन के साथ एक वाहन का चालन करते हुए गिरफ्तार किया जाना – आवेदक द्वारा, अन्य बातों के साथ, उसे मामले में मिथ्या फंसाए जाने, धारा 52क के उपबंधों का अनुपालन न किए जाने तथा अपनी पत्नी के अस्वस्थ होने के आधारों पर जमानत/अंतरिम जमानत मंजूर करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना कि मिथ्या फंसाए जाने के आधार पर केवल विचारण के दौरान ही विचार किया जा सकता है तथा धारा 52क प्रतिषिद्ध पदार्थों के, उनके अभिग्रहण के पश्चात् व्ययन से संबंधित है और उसका समुचित रूप से पालन न किए जाने से किसी भी प्रकार से विचारण दूषित नहीं हुआ है और जहां तक आवेदक की पत्नी के अस्वस्थ होने का संबंध है, नवीनतम चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार उसकी शल्य क्रिया हो चुकी है तथा उसके घाव भर गए हैं और उसका स्वास्थ्य स्थिर है इसलिए उच्च न्यायालय को ऐसा कोई आधार प्रतीत नहीं होता है जिसका अवलंब लेकर आवेदक को जमानत/अंतरिम जमानत मंजूर की जा सके, अत: जमानत आवेदन खारिज किया गया ।

**अरविन्द यादव मार्फत पैरोकार** बनाम **दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र, सरकार** 779

**चंदन**

बनाम

**उत्तर प्रदेश राज्य**

(2001 की दांडिक अपील सं. 631)

तारीख 6 अगस्त, 2021

**न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से अभियोक्त्री को बलपूर्वक खेत में खींचकर ले जाना तथा उसके साथ बलात्संग किया जाना – शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दिया जाना – घटनास्थल अभियोक्त्री के घर से एक बीघा की दूरी पर तथा सार्वजनिक मार्ग से सटा हुआ पाया जाना – किसी भी व्यक्ति द्वारा घटना घटित होते हुए नहीं देखा जाना – अभियोजन पक्ष का परिसाक्ष्य घटनास्थल और हमले एवं अपराध कारित करने के तरीके के विषय में स्वयं का विरोधाभासी है और जान से मारने की धमकी के विषय में अभियुक्त द्वारा किसी भी आयुध का प्रयोग नहीं किया गया है तथा अभियोक्त्री की अभिगृहीत वस्तुओं को रासायनिक परीक्षा के लिए नहीं भेजा गया है अर्थात् चिकित्सीय रिपोर्ट से अभियोजन पक्षकथन की अभिपुष्टि नहीं होती है और साथ ही अभियोक्त्री के शरीर पर किसी प्रकार की क्षति नहीं पाई गई है, अतः अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, इसलिए निचले न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय न्यायोचित नहीं है ।**

अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 6 मार्च, 2000 को जब

अभियोक्त्री अपने खेत में बोई गई मटर की फसल की रखवाली कर रही थी, तभी सायं लगभग 5 बजे उसके गांव का निवासी चंदन उसके पास आया और बलपूर्वक उसका हाथ पकड़कर उसको उसके ही गेहूं के खेत में खींचकर ले गया तथा उसे बलपूर्वक भूमि पर गिराकर उसके साथ बलात्संग किया और यह धमकी भी दी कि यदि उसने शोरगुल किया तो वह उसे जान से मार देगा । बलात्संग करने के पश्चात् वह वहां से भाग गया । उस समय उसके श्वसुर और पति घर पर उपस्थित नहीं थे । अगले दिन सायं जब उसके श्वसुर घर वापस आए तो उसने उन्हें इस घटना की सूचना दी । लिखित रिपोर्ट के आधार पर लड़की की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसे विचारण के दौरान प्रदर्श-5 के रूप में प्रदर्शित किया गया । लिखित रिपोर्ट प्रदर्श-1 है । अन्वेषण अधिकारी ने साक्षियों द्वारा दिए बयान अभिलिखित किए तथा अभियोक्त्री द्वारा धारण किए हुए वस्त्रों यानी पेटीकोट का बरामदगी ज्ञापन तैयार किया जिस पर वीर्य के धब्बे मौजूद थे। उन्होंने स्थल नक्शा (प्रदर्श क-7) तैयार किया और साधारण डायरी में प्रविष्टि की । इसके पश्चात् उसने आरोप पत्र फ़ाइल किया । विचारण न्यायालय द्वारा मामले का विचारण किया गया जिसके परिणामस्वरूप अपिलार्थी को बलातसंग के अपराध का दोषी पाया गया । निचले न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय ने मामले से सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् अपील को मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल और विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित रिपोर्ट और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में भी घटनास्थल का उल्लेख 'गेहूं के खेत' के रूप में किया गया है । अभियोक्त्री ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान भी घटनास्थल का उल्लेख 'गेहूं के खेत' के रूप में किया है । तथापि, प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियोक्त्री ने घटनास्थल को बदल दिया है और अब उसने कथन किया है कि घटनास्थल मटर का खेत है । स्थल नक्शे में अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल को 'गेहूं के खेत के रूप में दर्शाया है ।

इस प्रकार घटनास्थल के परिवर्तन के कारण अभियोक्त्री के कथन का यह भाग संदेहास्पद हो गया है । मुख्य-परीक्षा के दौरान अभियोक्त्री ने यह कहा है कि अभियुक्त ने उसका हाथ खींचकर उसे घसीटा था किन्तु प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था और न ही उसने उसे घसीटा था । उन्होंने इसके आगे कहा कि घटना के पांचवें दिन वह रिपोर्ट दर्ज कराने गई जिसमें घटना की तारीख 6 मार्च, 2000 लिखी गई है और यह लिखित रिपोर्ट तारीख में 8 मार्च, 2000 को तैयार की गई है (जिसके आधार पर) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 8 मार्च, 2000 को दर्ज कराई गई है । अभियोक्त्री के कथनानुसार, प्रथम इतिला रिपोर्ट/लिखित रिपोर्ट घटना के पांचवें दिन दी गई थी । इस प्रकार घटना लिखित रिपोर्ट से पांच दिन पहले अर्थात् तारीख 3 मार्च, 2000 को घटित हुई होगी, न कि तारीख 6 मार्च, 2000 को, जैसाकि अभियोक्त्री ने अपनी लिखित रिपोर्ट में उल्लेख किया है । अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी । यह विवादित नहीं है कि अभियोक्त्री को धमकाने के लिए अपीलार्थी द्वारा किसी आयुध का प्रयोग नहीं किया गया था । घटनास्थल से घर की दूरी मात्र एक बीघा है जो बहुत ही कम है और घटनास्थल उसके घर से साफ दिखाई देता है । फिर भी घटना घटित होते हुए किसी ने नहीं देखी । घटनास्थल सार्वजनिक मार्ग से सटा हुआ है जिस पर अभियोक्त्री के अनुसार शाम 5 से 6 बजे तक लोगों का आवागमन रहता है । घटना सायं 5 बजे घटित हुई थी फिर भी किसी ने घटना होते हुए नहीं देखी । सायं 5 बजे दिन का समय अर्थात् उजाला था । उसने इसके आगे यह कथन किया है कि वह गांव में नई-नई आई थी । घटना की तारीख से पूर्व वह चंदन से नहीं मिली थी । उसने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जब वह गांव से परिचित नहीं थी और चंदन को नहीं जानती थी, तो अभिकथित अपराध के समय उसने चंदन को कैसे पहचाना । इसके अतिरिक्त यह अभियोक्त्री का दूसरा विवाह था । उसने इस बात से इनकार किया कि उसके श्वसुर और सुंदरलाल की अभियुक्त से शत्रुता थी । एफ. एस. जाफरी (अभि. सा. 5) ने अभियोक्त्री का पेटीकोट रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा, जो उसे अभियोक्त्री के पक्षकथन को साबित करने के लिए भेजना चाहिए था । चिकित्सा रिपोर्ट से अभियोक्त्री के पक्षकथन की अभिपुष्टि नहीं होती है । अभियोक्त्री के

शरीर पर कोई क्षति विद्यमान नहीं थी । अभियोजन साक्षियों के द्वारा दिए गए साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य घटनास्थल और हमले के तरीके और अपराध के विषय में स्वयं विरोधाभासी है । अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य स्वयं विरोधाभासी है क्योंकि घटनास्थल को बदल दिया गया है और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के कथन में यह तथ्य है कि अभियोक्त्री के श्वसुर के साथ शत्रुता के कारण उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है जो विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । इसके लिए कुछ पुष्टिकरण या पुष्टिकरण जैसी स्थिति का होना आवश्यक है जो वर्तमान मामले में नहीं है । चिकित्सा जांच से अभियोजन के पक्षकथन की अभिपुष्टि नहीं होती है । अभियोक्त्री के ऐसे असंभावित, अस्थिर परिसाक्ष्य के आधार पर, सुरक्षित रूप से यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है । (पैरा 8)

## निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

| | | |
|---|---|---|
| [2012] | (2012) 7 एस. सी. सी. 171 =<br>ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 2281 :<br>**नरेंद्र कुमार** बनाम **राज्य**<br>**(राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली)** ; | 9 |
| [2010] | (2010) 14 एस. सी. सी. 534 =<br>ए. आई. आर. ऑनलाइन 2010 एस. सी. 87 :<br>**जय कृष्णा मंडल** बनाम **झारखंड राज्य** ; | 9 |
| [2009] | (2009) 15 एस. सी. सी. 566 =<br>ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 2519 :<br>**तमीजुद्दीन** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)** ; | 9 |
| [2008] | (2008) 15 एस. सी. सी. 133 =<br>ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 858 :<br>**राजू** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य ।** | 9 |

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2001 की दांडिक अपील सं. 631.**

अपर सेशन न्यायालय, त्वरित न्यायालय सं. 2, रायबरेली द्वारा पारित तारीख 2 अगस्त, 2001 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** सर्वश्री संपूर्णानन्द, डी. के. सिंह चौहान, आर. बी. एस. राठौर

**प्रत्यर्थी की ओर से** सरकारी अधिवक्ता

**न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार** – वर्तमान अपील अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं. 2, रायबरेली द्वारा पारित तारीख 2 अगस्त, 2001 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके अधीन अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 376 के अधीन दोषसिद्ध किया गया तथा उसके विरुद्ध सात वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया और व्यतिक्रम अनुबंध सहित 2,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया ।

2. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल और राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता को सुना गया तथा साथ ही अभिलेख का परिशीलन भी किया गया ।

3. तारीख 8 मार्च, 2000 की लिखित रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन का पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 6 मार्च, 2000 को जब अभियोक्त्री अपने खेत में बोई गई मटर की फसल की रखवाली कर रही थी, तभी सायं लगभग 5 बजे उसके गांव का निवासी चंदन उसके पास आया और बलपूर्वक उसका हाथ पकड़कर उसको उसके ही गेहूं के खेत में खींचकर ले गया तथा उसे बलपूर्वक भूमि पर गिराकर उसके साथ बलात्संग किया और यह धमकी भी दी कि यदि उसने शोरगुल किया तो वह उसे जान से मार देगा । बलात्संग करने के पश्चात् वह वहां से भाग गया । उस समय उसके श्वसुर और पति घर पर उपस्थित नहीं थे । अगले दिन सायंकाल जब उसके श्वसुर घर वापस आए तो उसने उन्हें घटना की सूचना दी । लिखित रिपोर्ट के आधार पर लड़की की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसे विचारण के दौरान प्रदर्श 5 के रूप में प्रदर्शित किया गया । लिखित रिपोर्ट प्रदर्श 1 है ।

4. अन्वेषण अधिकारी ने साक्षियों द्वारा दिए गए कथन अभिलिखित किए तथा अभियोक्त्री के द्वारा धारण किए हुए वस्त्रों यानी पेटीकोट का बरामदगी ज्ञापन बनाया जिस पर वीर्य के धब्बे मौजूद थे । उसने स्थल नक्शा (प्रदर्श क-7) तैयार किया और साधारण डायरी उसकी में प्रविष्टि की। इसके पश्चात् उसने आरोप पत्र फ़ाइल किया । वर्तमान मामला तारीख 1 नवंबर, 2000 के आदेश के अधीन सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया । अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376 के साथ सपठित धारा 506 के अधीन आरोप विरचित किए गए ।

अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए हीरा देवी (अभि. सा. 1), डॉ. गीता भाटिया (अभि. सा. 2), विकिरण चिकित्सा विज्ञानी डॉ. एस.एल. शर्मा (अभि. सा. 3), हैड कांस्टेबल ब्रहमदीन चौधरी (अभि. सा. 4), सहायक उप निरीक्षक एफ. एस. जाफरी (अभि. सा. 5) को पेश किया । अभियोजन पक्ष ने  लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1), प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श क-5), बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श क-8), स्थल नक्शा (प्रदर्श-7), साधारण डायरी में की गई प्रविष्टि (प्रदर्श क-6) और आरोप पत्र प्रस्तुत किए । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने सभी आरोपों से इनकार किया और उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि उसे अभियोक्त्री के श्वसुर से शत्रुता के कारण मिथ्या रूप से फंसाया गया है।

5. अभियोक्त्री की अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा कराई गई है । अपनी मुख्य परीक्षा में उसने लिखित रिपोर्ट में वर्णित अभियोजन पक्ष की कहानी को दोहराया है और यह कथन किया है कि चंदन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बलपूर्वक गेहूं के खेत में खींचकर ले गया और उसके साथ बलात्संग किया । बलात्संग करते समय उसने धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो वह उसे जान से मार देगा । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया कि घटनास्थल उसके घर से एक बीघा की दूरी पर है । उसे गांव के विषय में कम जानकारी थी । खेत से लगा हुआ एक सार्वजनिक मार्ग है, जिस पर लोग आते-जाते रहते थे । उसने फिर यह कथन किया कि यह घटना उसके खेत में घटित हुई है। मटर के खेत में चंदन ने उसके साथ बलात्संग किया है ।

फिर उसने यह कहा है कि चंदन ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था और न ही उसे घसीटा था । वह घटना के पांचवें दिन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी । उसने इस बात से इनकार किया है कि उसके श्वसुर और उसके गांव के सुंदरलाल की अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ शत्रुता चल रही है ।

डॉ. रीता भाटिया की परीक्षा अभि. सा. 2 के रूप में कराई गई है जिन्होंने अभियोक्त्री की चिकित्सा जांच की थी । आंतरिक परीक्षा में अभियोक्त्री के गुप्तांग पर कोई भी क्षति नहीं पाई गई । योनिच्छद विदीर्ण, पुरानी और ढीली पायी गई । योनिक-स्लाइड तैयार की गई और उसे न्यायालयिक परीक्षा के लिए भेजा गया । उन्होंने चिकित्सा जांच रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) को साबित किया और पूरक रिपोर्ट भी तैयार की । प्रयोगशाला रिपोर्ट सं. 87/2000 में योनिक-स्लाइड में कोई भी शुक्राणु नहीं पाए गए । रिपोर्ट से पता चला कि सभी जोड़ एकीकृत (फ्यूज़्ड) थे । कलाई का जोड़ भी एकीकृत था । इस विश्लेषण के आधार पर उन्होंने राय यह दी है कि (घटना के समय) अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से अधिक थी । बलात्संग के विषय में उनकी ओर से कोई स्पष्ट राय नहीं दी गई है । उन्होंने प्रदर्श क-3 अर्थात् पूरक रिपोर्ट को साबित किया है ।

विकिरण चिकित्सा विज्ञानी डॉ. एस. एल. शर्मा की परीक्षा अभि. सा. 3 के रूप में कराई गई है। उन्होंने एक्स-रे रिपोर्ट (प्रदर्श-4) को साबित किया है ।

एच. सी. ब्रम्हदीन चौधरी (अभि. सा. 4) ने चिक रिपोर्ट (प्रदर्श-5) और साधारण डायरी प्रविष्टि (प्रदर्श-6) को भी साबित किया है ।

सहायक उप निरीक्षक एफ. एस. जाफरी (अभि. सा. 5) अर्थात् अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि उन्होंने अभियोक्त्री का पेटीकोट बरामद किया था तथा जिस पर वीर्य के धब्बे पाए गए थे । उसने स्थल नक्शा तैयार किया है और इसे प्रदर्श 7 के रूप में साबित भी किया है । अन्वेषण अधिकारी ने बरामदगी ज्ञापन को प्रदर्श क-2 के रूप में साबित भी किया है । उसने आरोप पत्र (प्रदर्श क-9) को भी

साबित किया है । अन्वेषण अधिकारी ने इस बात पर अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की है कि अभियोक्त्री के वीर्य से सने पेटीकोट को रासायनिक परीक्षा के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया था या नहीं । उन्होंने यह कथन किया है कि जब अभियोक्त्री मटर के खेत में आई थी, तब वहां कोई भी ग्रामवासी नहीं आया था ।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियोक्त्री द्वारा दिया गया परिसाक्ष्य स्वयं में विरोधाभासी है । अभियोक्त्री ने घटनास्थल बदल दिया है । पेटीकोट को रासायनिक परीक्षा हेतु नहीं भेजा गया था । अभियोक्त्री द्वारा दिया गया परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और यह अत्यधिक असंभाव्य है ।

7. दूसरी ओर, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अपीलार्थी/अभियुक्त को मात्र अभियोक्त्री दवारा दिए गए परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है । किसी भी तरह की अभिपुष्टि करने वाली सामग्री की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी अन्य तथ्यात्मक साक्षी की आवश्यकता है ।

8. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल और विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित रिपोर्ट और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में भी घटनास्थल का उल्लेख 'गेहूं के खेत' के रूप में किया गया है । अभियोक्त्री ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान भी घटनास्थल का उल्लेख 'गेहूं के खेत' के रूप में किया है । तथापि, प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियोक्त्री ने घटनास्थल को बदल दिया है और अब उसने कथन किया है कि घटनास्थल मटर का खेत है । स्थल नक्शे में अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल को 'गेहूं के खेत' के रूप में दर्शाया है । इस प्रकार घटनास्थल के परिवर्तन के कारण अभियोक्त्री के कथन का यह भाग संदेहास्पद हो गया है । मुख्य-परीक्षा के दौरान अभियोक्त्री ने यह कहा है कि अभियुक्त ने उसका हाथ खींचकर उसे घसीटा था किन्तु प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था और न ही उसने उसे घसीटा था । उन्होंने इसके आगे कहा कि

घटना के पांचवें दिन वह रिपोर्ट दर्ज कराने गई जिसमें घटना की तारीख 6 मार्च, 2000 लिखी गई है और यह लिखित रिपोर्ट तारीख में 8 मार्च, 2000 को तैयार की गई है (जिसके आधार पर) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 8 मार्च, 2000 को दर्ज कराई गई है ।

अभियोक्त्री के कथनानुसार, प्रथम इतिला रिपोर्ट/लिखित रिपोर्ट घटना के पांचवें दिन दी गई थी । इस प्रकार घटना लिखित रिपोर्ट से पांच दिन पहले अर्थात् तारीख 3 मार्च, 2000 को घटित हुई होगी, न कि तारीख 6 मार्च, 2000 को, जैसाकि अभियोक्त्री ने अपनी लिखित रिपोर्ट में उल्लेख किया है । अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी । यह विवादित नहीं है कि अभियोक्त्री को धमकाने के लिए अपीलार्थी द्वारा किसी आयुध का प्रयोग नहीं किया गया था । घटनास्थल से घर की दूरी मात्र एक बीघा है जो बहुत ही कम है और घटनास्थल उसके घर से साफ दिखाई देता है । फिर भी घटना को घटित होते हुए किसी ने नहीं देखा । घटनास्थल सार्वजनिक मार्ग से सटा हुआ है जिस पर अभियोक्त्री के अनुसार शाम 5 से 6 बजे तक लोगों का आवागमन रहता है । घटना सायं 5 बजे घटित हुई थी फिर भी किसी ने घटना को घटित होते हुए नहीं देखा । सायं 5 बजे दिन का समय अर्थात् उजाला था । उसने इसके आगे यह कथन किया है कि वह गांव में नई-नई आई थी । घटना की तारीख से पूर्व वह चंदन से नहीं मिली थी । उसने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जब वह गांव से परिचित नहीं थी और चंदन को नहीं जानती थी, तो अभिकथित अपराध के समय उसने चंदन को कैसे पहचाना । इसके अतिरिक्त यह अभियोक्त्री का दूसरा विवाह था । उसने इस बात से इनकार किया कि उसके श्वसुर और सुंदरलाल की अभियुक्त से शत्रुता थी । एफ. एस. जाफरी (अभि. सा. 5) ने अभियोक्त्री का पेटीकोट रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा, जो उसे अभियोक्त्री के पक्षकथन को साबित करने के लिए भेजना चाहिए था । चिकित्सा रिपोर्ट से अभियोक्त्री के पक्षकथन की अभिपुष्टि नहीं होती है । अभियोक्त्री के शरीर पर कोई क्षति विद्यमान नहीं थी । अभियोजन साक्षियों के द्वारा दिए गए साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री का

परिसाक्ष्य घटनास्थल और हमले के तरीके और अपराध के विषय में स्वयं विरोधाभासी है । अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य स्वयं विरोधाभासी है क्योंकि घटनास्थल को बदल दिया गया है और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के कथन में यह तथ्य है कि अभियोक्त्री के श्वसुर के साथ शत्रुता के कारण उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है जो विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । इसके लिए कुछ पुष्टिकरण या पुष्टिकरण जैसी स्थिति का होना आवश्यक है जो वर्तमान मामले में नहीं है । चिकित्सा जांच से अभियोजन के पक्षकथन की अभिपुष्टि नहीं होती है । अभियोक्त्री के ऐसे असंभावित, अस्थिर परिसाक्ष्य के आधार पर, सुरक्षित रूप से यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है ।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **नरेंद्र कुमार** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली)**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां अभियोक्त्री का साक्ष्य अन्य सामग्री के साथ असंगतता और दुर्बलता से ग्रसित पाया जाता है, वहां उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता है । इस निर्णय का सुसंगत पैरा 22 निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

> "जहां अभियोक्त्री के साक्ष्य में गंभीर कमी पाई जाती है और अन्य सामग्री के साथ असंगतता पाई जाती है तथा अभियोक्त्री अपनी ओर से सहमति से इनकार करने के उद्देश्य से तात्विक बिंदु पर जानबूझकर सुधार करती है और उसके शरीर पर कोई क्षति विद्यमान नहीं है, भले ही उसका वृत्तांत अन्यथा हो तब उसके साक्ष्य पर कोई अवलंब नहीं लिया जा सकता है । सुरेश एन. भुसारे **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(1991) 1 एस. सी. सी. 220 = ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 3131] वाला मामला देखें"

**जय कृष्णा मंडल** बनाम **झारखंड राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह दोहराया है कि अभियोक्त्री के असंभावित कथन पर

---

[1] (2012) 7 एस. सी. सी. 171 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 2281.

[2] (2010) 14 एस. सी. सी. 534 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2010 एस. सी. 87.

विश्वास नहीं किया जा सकता । इस निर्णय के पैरा 4 में सुसंगत भाग निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

> "4. ...बलात्संग का एकमात्र साक्ष्य अभियोक्त्री का स्वयं का कथन था और जब इस साक्ष्य को संचयी रूप में पढ़ा गया, तो अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत इतना असंभाव्य मालूम दिया कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था ।"

**राजू** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बलात्संग का मिथ्या अभिकथन अभियुक्त को भी समान रूप से कष्ट, अपमान और क्षति पहुंचा सकता है और अभियुक्त के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए । इस निर्णय के पैरा 10 और 11 का सुसंगत भाग निम्न प्रकार है :–

> "10. ....... यह कि सामान्यतः अभियोक्त्री के साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उस पर विश्वास किया जाना चाहिए क्योंकि उसके कथन का मूल्यांकन आहत साक्षी के कथन के समान किया जाना चाहिए और यदि वह साक्ष्य विश्वसनीय है तो किसी भी पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं है ।
>
> 11. ..... इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि बलात्संग से पीड़िता को सबसे ज़्यादा कष्ट और अपमान का सामना करना पड़ता है, किन्तु साथ ही बलात्संग का मिथ्या अभिकथन भी अभियुक्त को उतना ही कष्ट, अपमान और नुकसान पहुंचा सकता है । अभियुक्त को मिथ्या अभिकथन की संभावना से भी बचाया जाना चाहिए ...... ऐसी कोई धारणा या आधार नहीं है जिससे यह माना जा सके कि ऐसे साक्षी का कथन हमेशा सत्य होता है या उसमें कोई बनावट या अतिश्योक्ति नहीं होती ।"

इसी प्रकार का विचार माननीय उच्चतम न्यायालय ने **तमीजुद्दीन** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)**[2] में व्यक्त किया है ।

10. इसमें निश्चित रूप से पीड़ित के वस्त्रों की बरामदगी जैसी

---

[1] (2008) 15 एस. सी. सी. 133 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 858.

[2] (2009) 15 एस. सी. सी. 566 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 2519.

परिस्थिति भी शामिल है । तथापि, अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाले अभिलेख पर किसी अन्य तात्विक साक्ष्य की अनुपस्थिति में पेटीकोट की ऐसी बरामदगी को यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है कि मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हुआ है विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्वेषण अधिकारी ने पेटीकोट पर शुक्राणु के धब्बे पाए, फिर भी उसने इसे रासायनिक परीक्षा के लिए नहीं भेजा । चिकित्सा रिपोर्ट से अभियोजन के पक्षकथन की अभिपुष्टि नहीं होती है । अभियोक्त्री ने घटनास्थल बदल दिया है और अभियोक्त्री का कथन किसी भी साक्ष्य द्वारा अभिपुष्टि किए जाने योग्य नहीं है । इस प्रकार उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, चूंकि अभियोक्त्री द्वारा दिया गया परिसाक्ष्य स्वयं में विरोधाभासी है, यह कहा जा सकता है कि यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । कुछ संपोषक सामाग्री आवश्यक है जो इस मामले में अनुपस्थित है ।

11. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि पर विचार करते हुए, इस प्रकार के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराना और उसकी आक्षेपित दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखना उचित नहीं होगा ।

12. इसलिए, मैं इस अपील को मंजूर करता हूं और अपीलार्थी के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त करता हूं । अपीलार्थी को तुरंत निर्मुक्त किया जाए, जब तक कि किसी अन्य अपराध के संबंध में उसके अभिरक्षा में रहने की आवश्यकता न हो । अपीलार्थी जमानत पर है, उसके जमानत पत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।

निचले न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

जा./अस.

# यूआंसू माझी

बनाम

# उड़ीसा राज्य

(2016 की कारागार दांडिक अपील सं. 14)

तारीख 30 जून, 2021

**न्यायमूर्ति एस. के. मिश्रा और न्यायमूर्ति बी. पी. रोत्रे**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अभियुक्त पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया जाना – अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से अपनी पत्नी की गर्दन पर पीछे से कुल्हाड़ी से प्रहार करके उसकी हत्या किया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा, अन्य बातों के साथ, अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से की गई न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का अवलंब लेकर अभियुक्त के विरुद्ध अपना पक्षकथन साबित करने का प्रयास करना – साक्षियों द्वारा किए गए कथन के अनुसार जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो कुछ सहग्रामीण अभियुक्त पर हमला करके उसकी पिटाई कर रहे थे, अत:, यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति पूर्णतया स्वैच्छिक थी तथा किसी बाह्य दबाव या भय से मुक्त थी, इसके अतिरिक्त अन्य साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किया गया इस प्रभाव का साक्ष्य कि अभियुक्त घटनास्थल पर मृतका के साथ अकेला मौजूद था, का उल्लेख पुलिस के समक्ष उनके द्वारा किए गए कथनों में विद्यमान नहीं है, इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की पूर्ण श्रृंखला को इस प्रकार स्थापित करने में असफल रहा है, जिससे युक्तियुक्त रूप से केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्त ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है – अत:, अपील मंजूर की जाती है और अभियुक्त की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है और वह निर्मुक्त किए जाने का हकदार है ।**

वर्तमान मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी और मृतका पति-पत्नी थे । यह घटना इत्तिलाकर्ता के घर में घटित हुई जो मृतक पत्नी का भाई अर्थात् अपीलार्थी का साला है । घटना से कुछ दिन पूर्व मृतक और अपीलार्थी अपनी अप्राप्तवय पुत्री के साथ इत्तिलाकर्ता के घर आए थे । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, अपीलार्थी ने तारीख 17 मई, 2014 को रात्रि लगभग 8.00 बजे इत्तिलाकर्ता के घर के आंगन में अपनी पत्नी कमले माझी (मृतक) की गर्दन पर पीछे से एक कुल्हाड़ी (एम ओ-1) से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी । अभि. सा. 1 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर केसिंगा पुलिस थाने में तारीख 17 मई, 2014 को अपराध मामला सं. 48 रजिस्टर किया गया तथा उसका अन्वेषण पुलिस निरीक्षक द्वारा आरंभ किया गया । उसके पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध विचारण आरंभ हुआ और विचारण की समाप्ति पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराते हुए उसे दंडादिष्ट किया गया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों और तर्कों को सुनने के पश्चात् अपील को मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – अभि. सा. 1, 2, 3, 5 और 6 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार घटना तारीख 17 मई, 2014 को रात्रि लगभग 8.00 बजे घटित हुई तथा चीख-पुकार की आवाज सुनकर वे अपने घर से बाहर आए और उन्होंने यह देखा कि मृतका इत्तिलाकर्ता के घर के आंगन में मृत पड़ी थी और उसके शरीर पर क्षतियां विद्यमान थीं । साक्ष्य का अन्य भाग यह दर्शित करता है कि उन्होंने अपीलार्थी को वहां अकेले खड़े देखा और उस समय अपीलार्थी ने उनके समक्ष इस तथ्य को स्वीकार किया था कि उसने मृतका पर कुल्हाड़ी से प्रहार करके उसकी हत्या की है । किन्तु साक्ष्य के इस भाग को, उसमें विद्यमान विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं पाया गया है । अन्वेषण अधिकारी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि स्वीकार्य रूप से उन साक्षियों ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन उनकी परीक्षा के अनुक्रम में उसके समक्ष उक्त तथ्य के संबंध में कोई कथन नहीं किया था । इस तथ्य को

अभि. सा. 16 द्वारा अभिलिखित कराए गए साक्ष्य के संबंध में उसकी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में उल्लिखित किया गया है । इस प्रकार, साक्ष्य का उक्त भाग अस्वीकार्य होने के कारण परित्यक्त किए जाने का दायी है । अभि. सा. 4 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि जब वह अपने घर में बैठकर रात्रि का भोजन कर रहा था तो उसे अपने घर की 'खप्पड़-छत' पर एक आवाज सुनाई दी और उक्त आवाज सुनने के पश्चात् जब वह घर से बाहर आया तो उसने देखा कि उसके घर की छत पर एक कुल्हाड़ी पड़ी थी जिस पर रक्तचिह्न लगे थे । किन्तु उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिसाक्ष्य के इस भाग का कथन, पुलिस (अभि. सा. 16) के समक्ष परीक्षा के दौरान नहीं किया गया था । अभि. सा. 16 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभि. सा. 4 ने उसके समक्ष उपरोक्त प्रभाव का कोई कथन नहीं किया था । इसलिए उपरोक्त साक्ष्य भी अस्वीकार्य होने के कारण परित्यक्त किए जाने का दायी है । अभि. सा. 1, 2, 3, 5 और 6 के कथनों से इन सुसंगत भागों को हटाने के पश्चात्, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का शेष भाग अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप को स्थापित करने हेतु सारवान् प्रतीत नहीं होता है । अब अभि. सा. 8 ने यह कथन किया है कि हल्ले की आवाज सुनकर जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने यह देखा कि मृतका आंगन में मृत पड़ी थी और उसकी गर्दन के पृष्ठ भाग में काटे जाने की क्षति विद्यमान थी । अपीलार्थी ने उसके समक्ष यह कथन किया था कि उसने मृतका के बदचलन होने के कारण उसकी हत्या की है । अतः, प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 8 द्वारा किए गए कथन का परिशीलन करना महत्वपूर्ण है । अभि. सा. 8 द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा था तो उसने यह देखा था कि कुछ सह-ग्रामीण अपीलार्थी पर हमला कर रहे थे । इसके अतिरिक्त, उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि अपीलार्थी पर ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया था और भयवश उसने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि उसने मृतक पर हमला किया है । विधि में यह सुस्थापित है कि किसी न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति का अवलंब लेने से पूर्व यह जांच करना आवश्यक है कि वह सत्य, स्वैच्छिक तथा

किसी प्रकार के दवाब और प्रलोभन से मुक्त है । अभि. सा. 8 द्वारा निम्न प्रभाव की परिस्थितियों का कथन किया गया है, उसके अनुसार अपीलार्थी पर स्थानीय ग्रामीण व्यक्ति हमला कर रहे थे और भयवश उसने यह स्वीकार किया था कि उसने मृतका की हत्या की है तथा उक्त कथन से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी की अभिकथित स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक नहीं है और उसे भयवश तथा दबाव में प्रस्तुत किया गया था । उपरोक्त परिचर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिस न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति का अवलंब लिया गया है, उसे अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए उसके विरुद्ध उपयोग में नहीं लाया जा सकता । जहां तक अपराध में प्रयुक्त हथियार का संबंध है, अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन के अनुसार उसे घटनास्थल से अभिगृहीत किया गया था । यद्यपि, अभि. सा. 4 और अन्य साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य के अनुसार कुल्हाड़ी पर रक्तचिह्न विद्यमान थे किन्तु न्यायालिक परीक्षा किए जाने पर हत्या में प्रयुक्त हथियार पर किसी प्रकार के रक्तचिह्न नहीं पाए गए थे । अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि हत्या में प्रयुक्त हथियार का अभिग्रहण अपीलार्थी की निशानदेही पर किया गया था । प्रदर्श-3 से संबंधित अभिग्रहण सूची के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह संदेह से मुक्त नहीं है क्योंकि उससे संबंधित किन्हीं भी परिस्थितियों के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है । वर्तमान मामले में, साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों से जो परिस्थितियां सामने आती हैं, उनके आधार पर साक्ष्यों की ऐसी पूर्ण श्रृंखला को स्थापित नहीं किया जा सकता, जो अपीलार्थी के दोषी होने को इंगित करती हो । परिस्थितियों के अलावा अपीलार्थी और मृतक पति-पत्नी हैं और वे घटना के समय इत्तिलाकर्ता के घर में मौजूद थे इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से इससे अधिक संकेत प्राप्त नहीं किए जा सकते । इस प्रकार, संपूर्ण साक्ष्य की संवीक्षा करने पर उच्च न्यायालय की सुविचारित राय यह है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के दोष को साबित करने में असफल रहा है और वह पर्याप्त सामग्री की अनुपस्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध लाए गए आरोप को साबित करने में असफल रहा है ।

विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, कालाहांडी, भवानी पटना द्वारा वर्ष 2014 के सी. टी. मामला सं. 77 (सेशन) में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को अपास्त किया जाता है और हम यह निदेश देते हैं कि अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाए । यदि उसकी अभिरक्षा किसी अन्य मामले में अपेक्षित नहीं है तो अपीलार्थी को तुरंत निर्मुक्त किया जाए । (पैरा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 और 15)

**निर्दिष्ट निर्णय**

पैरा

[1984] (1984) 4 एस. सी. सी.116 =
ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622 :
**शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 13

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की कारागर दांडिक अपील सं. 14.**

वर्तमान अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, कालाहांडी, भवानी पटना द्वारा वर्ष 2014 के सी. टी. मामला सं. 77 (सेशन) में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

**अपीलार्थी की ओर से** श्री प्रभव बेहेरा, अधिवक्ता

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री जन्मेजय कातिकिया, अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बी. पी. रोत्रे ने दिया ।

**न्या. रोत्रे** – अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री प्रभव बेहेरा और राज्य के विद्वान् काउंसेल श्री जन्मेजय कातिकिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना ।

अपीलार्थी को विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, कालाहांडी, भवानी पटना द्वारा वर्ष 2014 के सी. टी. मामला सं. 77 (सेशन) में भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 302 के अधीन अपराध करने के लिए

सिद्धदोष ठहराया गया है तथा उस पर आजीवन कारावास का दंड अधिरोपित किया गया है ।

2. अपीलार्थी और मृतका पति-पत्नी थे । यह घटना इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) के घर में घटित हुई जो मृतक पत्नी का भाई अर्थात् अपीलार्थी का साला है । घटना से कुछ दिन पूर्व मृतक और अपीलार्थी अपनी अप्राप्तवय पुत्री के साथ इत्तिलाकर्ता के घर आए थे । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, अपीलार्थी ने तारीख 17 मई, 2014 को रात्रि लगभग 8.00 बजे इत्तिलाकर्ता के घर के आंगन में अपनी पत्नी कमले माझी (मृतक) की गर्दन पर पीछे से एक कुल्हाड़ी (एम ओ-1) से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी ।

अभि. सा. 1 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर केसिंगा पुलिस थाने में तारीख 17 मई, 2014 को अपराध मामला सं. 48 रजिस्टर किया गया तथा उसका अन्वेषण पुलिस निरीक्षक (अभि. सा. 16) द्वारा आरंभ किया गया । उसके पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध विचारण आरंभ हुआ और विचारण की समाप्ति पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराते हुए उसे ऊपर उल्लिखित किए गए अनुसार दंडादिष्ट किया गया ।

3. स्वीकार्य रूप से, वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और उक्त घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । भवानी पटना स्थित विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, कालाहांडी ने अभि. सा. 1 से 6 और अभि. सा. 8 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य तथा अभिलेख पर रखे गए चिकित्सीय साक्ष्य और अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराया ।

4. प्रारंभ में मृतका की शव-परीक्षा करने वाले डाक्टर अभि. सा. 14 द्वारा प्रस्तुत की गई राय के अनुसार मृत्यु की प्रकृति मानव वध है और इस तथ्य को भली-भांति स्थापित किया गया है कि मृतका की मृत्यु मानव वध प्रकृति की है । अभि. सा. 14 ने यह कथन किया है कि मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव तथा रीढ़ की हड्डी का टूट जाना है, जिसके परिणामस्वरूप हाइपोवोलेमिक तथा न्यूरोजेनिक आघात हुआ ।

मृतका को कारित की गई क्षतियों, जिन्हें अभि. सा. 14 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य में क्रम III(क) और (IV) के रूप में दर्शित किया गया है, की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस तथ्य को स्थापित किया गया है कि मृतका की मृत्यु मानव वध प्रकृति की है और इस तथ्य के संबंध में अपीलार्थी और राज्य के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद विद्यमान नहीं है ।

5. भवानी पटना स्थित विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, कालाहांडी के आक्षेपित निर्णय के परिशीलन से यह तथ्य प्रकट होता है कि वह अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य का समुचित रूप से विश्लेषण करने में असफल रहे हैं ।

6. अभियोजन पक्ष ने कुल 16 साक्षियों की परीक्षा की है, जिनमें अभि. सा. 1 इत्तिलाकर्ता है तथा अभि. सा. 6 उसकी पत्नी है । अभि. सा. 2, 3 और 4 मृतका के चचेरे भाई हैं । अभि. सा. 5 मृतका की माता है । अभि. सा. 6 मौके का साक्षी है, जो घटना के समय संयोगवश इत्तिलाकर्ता के घर में उपस्थित था । अभि. सा. 7 ग्राम का सरपंच है । अभि. सा. 8 एक सह-ग्रामीण है । अभि. सा. 15 पुलिस कांस्टेबल है और वह अभिग्रहण का साक्षी है ।

7. अभि. सा. 1, 2, 3, 5 और 6 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार घटना तारीख 17 मई, 2014 को रात्रि लगभग 8.00 बजे घटित हुई तथा चीख-पुकार की आवाज सुनकर वे अपने घर से बाहर आए और उन्होंने यह देखा कि मृतका इत्तिलाकर्ता के घर के आंगन में मृत पड़ी थी और उसके शरीर पर क्षतियां विद्यमान थीं । साक्ष्य का अन्य भाग यह दर्शित करता है कि उन्होंने अपीलार्थी को वहां अकेले खड़े देखा और उस समय अपीलार्थी ने उनके समक्ष इस तथ्य को स्वीकार किया था कि उसने मृतका पर कुल्हाड़ी से प्रहार करके उसकी हत्या की है । किन्तु साक्ष्य के इस भाग को, उसमें विद्यमान विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं पाया गया है । अन्वेषण अधिकारी अभि. सा. 16 ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि स्वीकार्य रूप से उन साक्षियों ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 161 के अधीन उनकी

परीक्षा के अनुक्रम में उसके समक्ष उक्त तथ्य के संबंध में कोई कथन नहीं किया था । इस तथ्य को अभि. सा. 16 द्वारा अभिलिखित कराए गए साक्ष्य के संबंध में उसकी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में उल्लिखित किया गया है । इस प्रकार, साक्ष्य का उक्त भाग अस्वीकार्य होने के कारण परित्यक्त किए जाने का दायी है ।

8. अभि. सा. 4 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि जब वह अपने घर में बैठकर रात्रि का भोजन कर रहा था तो उसे अपने घर की 'खप्पड़-छत' पर एक आवाज सुनाई दी और उक्त आवाज सुनने के पश्चात् जब वह घर से बाहर आया तो उसने देखा कि उसके घर की छत पर एक कुल्हाड़ी पड़ी थी जिस पर रक्तचिह्न लगे थे । किन्तु उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिसाक्ष्य के इस भाग का कथन, पुलिस (अभि. सा. 16) के समक्ष परीक्षा के दौरान नहीं किया गया था । अभि. सा. 16 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभि. सा. 4 ने उसके समक्ष उपरोक्त प्रभाव का कोई कथन नहीं किया था । इसलिए उपरोक्त साक्ष्य भी अस्वीकार्य होने के कारण परित्यक्त किए जाने का दायी है ।

अभि. सा. 1, 2, 3, 5 और 6 के कथनों से इन सुसंगत भागों को हटाने के पश्चात्, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का शेष भाग अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप को स्थापित करने हेतु सारवान् प्रतीत नहीं होता है ।

9. अब अभि. सा. 8 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया जाएगा, जिसने यह कथन किया है कि हल्ले की आवाज सुनकर जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने यह देखा कि मृतका आंगन में मृत पड़ी थी और उसकी गर्दन के पृष्ठ भाग में काटे जाने की क्षति विद्यमान थी । अपीलार्थी ने उसके समक्ष यह कथन किया था कि उसने मृतका के बदचलन होने के कारण उसकी हत्या की है । अतः, प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 8 द्वारा किए गए कथन का परिशीलन करना महत्वपूर्ण है । अभि. सा. 8 द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा था तो उसने यह देखा था कि कुछ सहग्रामीण अपीलार्थी पर हमला कर रहे थे । इसके अतिरिक्त, उसने इस तथ्य को

भी स्वीकार किया है कि अपीलार्थी पर ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया था और भयवश उसने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि उसने मृतक पर हमला किया है ।

10. विधि में यह सुस्थापित है कि किसी न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति का अवलंब लेने से पूर्व यह जांच करना आवश्यक है कि वह सत्य, स्वैच्छिक तथा किसी प्रकार के दवाब और प्रलोभन से मुक्त है । अभि. सा. 8 द्वारा निम्न प्रभाव की परिस्थितियों का कथन किया गया है, उसके अनुसार अपीलार्थी पर स्थानीय ग्रामीण व्यक्ति हमला कर रहे थे और भयवश उसने यह स्वीकार किया था कि उसने मृतका की हत्या की है तथा उक्त कथन से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी की अभिकथित स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक नहीं है और उसे भयवश तथा दबाव में प्रस्तुत किया गया था ।

11. उपरोक्त परिचर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिस न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति का अवलंब लिया गया है, उसे अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए उसके विरुद्ध उपयोग में नहीं लाया जा सकता ।

12. जहां तक अपराध में प्रयुक्त हथियार (एम ओ-1) का संबंध है, अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 16) द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन के अनुसार उसे घटनास्थल से अभिगृहीत किया गया था । यद्यपि, अभि. सा. 4 और अन्य साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य के अनुसार कुल्हाड़ी पर रक्तचिह्न विद्यमान थे किन्तु न्यायालयिक परीक्षा किए जाने पर एम ओ-1 पर किसी प्रकार के रक्तचिह्न नहीं पाए गए थे । अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि एम ओ-1 का अभिग्रहण अपीलार्थी की निशानदेही पर किया गया था । प्रदर्श-3, अर्थात् एम ओ-1 से संबंधित अभिग्रहण सूची के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह संदेह से मुक्त नहीं है क्योंकि उससे संबंधित किन्हीं भी परिस्थितियों के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है । सारवान् साक्ष्यों की अनुपस्थिति में अपराध में प्रयुक्त हथियार (एम ओ-1) के अभिग्रहण के

संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपीलार्थी तथा अभिकथित अपराध के बीच कड़ी को स्थापित किया है ।

13. **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में सिद्धांतों को अधिकथित किया था, जो निम्नानुसार हैं :–

> "153. इस निर्णय का निकट विश्लेषण करने से यह दर्शित होगा कि किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध पक्षकथन को पूर्णरूपेण स्थापित करने हेतु निम्नलिखित शर्तों को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए ;
>
> (1) वे परिस्थितियां जिनसे अभियुक्त के दोषी होने का निष्कर्ष निकाला गया है, पूर्णतया स्थापित की जानी चाहिए ।
>
> यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित किया है कि संबंधित परिस्थितियों को 'अवश्य स्थापित किया जाना चाहिए' और न कि 'स्थापित किया जा सकेगा' । 'साबित किया जाए' और 'अवश्य ही साबित किए जाने चाहिए', इन दो पदों में न केवल व्याकरणीय अंतर है अपितु दोनों के बीच एक बड़ा विधिक अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहेबराव बोबाडे **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एस. सी. सी. 793 = ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2622] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया है, जहां निम्नलिखित संप्रेक्षण किए गए थे –
>
>> 'निश्चित रूप से यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराने से पूर्व उसके दोष को स्थापित करना आवश्यक है और मात्र यह इंगित करना कि वह दोषी हो सकता है, पर्याप्त नहीं है तथा "हो सकता है" तथा "अवश्य दोषी है" पदों में मानसिक अंतर

[1] (1984) 4 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622.

काफी महत्वपूर्ण है और वह निश्चित निष्कर्षों से अस्पष्ट पहलुओं को भिन्न-भिन्न रूप से दर्शित करता है ।'

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्यों को अभियुक्त के दोषी होने की कहानी से पूर्णरूपेण संगत होना चाहिए, अर्थात् उनका स्पष्टीकरण केवल और केवल इस सिद्धांत के आधार पर दिया जाना चाहिए कि अभियुक्त दोषी है और न कि किसी अन्य सिद्धांत के आधार पर ।

(3) परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए ।

(4) परिस्थितिजन्य साक्ष्य से अभियुक्त के दोष को स्थापित करने के अलावा अन्य सभी संभावित सिद्धांतों को अपवर्जित किया जाना चाहिए ।

(5) साक्ष्यों की श्रृंखला विद्यमान होनी चाहिए और वह इस प्रकार पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त के निर्दोष होने से संगत निष्कर्ष के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार बचना नहीं चाहिए और उसे यह भी उपदर्शित करना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपराध केवल अभियुक्त द्वारा ही किया गया है ।

154. ये पांच स्वर्णिम सिद्धांत, यदि हम उन्हें ऐसा कह सकते हैं तो वे परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी पक्षकथन को साबित करने हेतु पंचशील का गठन करते हैं ।"

14. वर्तमान मामले में, साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों से जो परिस्थितियां सामने आती हैं, उनके आधार पर साक्ष्यों की ऐसी पूर्ण श्रृंखला को स्थापित नहीं किया जा सकता, जो अपीलार्थी के दोषी होने को इंगित करती हो । परिस्थितियों के अलावा अपीलार्थी और मृतक पति-पत्नी हैं और वे घटना के समय इत्तिलाकर्ता के घर में मौजूद थे इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से इससे अधिक संकेत प्राप्त नहीं किए जा सकते ।

15. इस प्रकार, संपूर्ण साक्ष्य की संवीक्षा करने पर हमारी सुविचारित राय यह है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के दोष को साबित करने में असफल रहा है और वह पर्याप्त सामग्री की अनुपस्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध लाए गए आरोप को साबित करने में असफल रहा है । तद्नुसार, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, कालाहांडी, भवानी पटना द्वारा वर्ष 2014 के सी. टी. मामला सं. 77 (सेशन) में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को अपास्त किया जाता है और हम यह निदेश देते हैं कि अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाए । यदि उसकी अभिरक्षा किसी अन्य मामले में अपेक्षित नहीं है तो अपीलार्थी को तुरंत निर्मुक्त किया जाए ।

16. अपील मंजूर की जाती है ।

चूंकि कोविड-19 महामारी के पुन: फैलने के कारण निर्बंधन जारी हैं इसलिए पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आदेश की मुद्रित प्रति प्राप्त कर सकते हैं, जिसे इस न्यायालय की सूचना संख्या 4587, तारीख 25 मार्च, 2020 जिसे न्यायालय की सूचना सं. 4798, तारीख 15 अप्रैल, 2021 द्वारा यथाउपांतरित किया गया था, में विहित रीति में संबद्ध अधिवक्ता द्वारा अनुप्रमाणन के अधीन रहते हुए प्रमाणित प्रति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है ।

अपील मंजूर की गई ।

पु.

---

## **प्रमोद प्रधान** उर्फ **प्रमोद कुमार और अन्य**

बनाम

## **उड़ीसा राज्य**

(2010 की दांडिक अपील सं. 401)

तारीख 8 जुलाई, 2021

**न्यायमूर्ति डी. दास**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 435, 451, 427 और 148 – अभियुक्त व्यक्तियों पर गृह अतिचार, दंगा करने और घातक हथियारों से लैस होकर हमला करने का आरोप लगाया जाना – अभिकथित रूप से अभियुक्त व्यक्तियों ने एक विधिविरुद्ध जमाव को तैयार करके संपत्तियों की लूटपाट की तथा आवासीय घरों में आग लगाई – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को दोषसिद्ध ठहराकर उन्हें दंडादिष्ट किया जाना – चुनौती – उच्च न्यायालय द्वारा यह संप्रेक्षण किया जाना कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल करने में हुए ढाई मास से अधिक के विलंब हेतु कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है – अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन नहीं किया गया है कि किस अभियुक्त व्यक्ति ने क्या-क्या आपराधिक कार्य किया और साथ ही हथियारों के संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है – अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः, अभियोजन पक्ष सभी सुसंगत संदेहों से परे आरोप साबित करने में असफल रहा है इसलिए दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है ।**

वर्तमान मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 23 अगस्त, 2008 को हिन्दू संत स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या के पश्चात् कुछ हिन्दू कट्टरपंथियों, जिन्होंने अपनी पहचान बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद् के अनुयायियों के रूप में

प्रस्तुत की थी, ने उक्त हत्या के आपराधिक दायित्व का आरोप ईसाई समुदाय के सदस्यों पर लगाया और इसके परिणामस्वरूप कंधामाल जिले में सांप्रदायिक हिंसा हुई । इसके परिणामस्वरूप, हिन्दू और साथ ही ईसाई समुदायों के सदस्यों ने एक-दूसरे पर हमला किया तथा स्वयं पर किए जा रहे हमलों का जवाब दिया । जब इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान थीं तो तारीख 26 अगस्त, 2008 को प्रात: लगभग 9.20 बजे अभियुक्त व्यक्तियों ने अन्य लगभग साठ (60) व्यक्तियों के साथ एक विधिविरुद्ध जमाव का निर्माण किया जो घातक हथियारों से लैस था और उन्होंने जय बजरंग बली आदि जैसे नारे लगाते हुए गासुकिया ग्राम में प्रवेश किया और उन्होंने मैसा मलिक और कुछ अन्य व्यक्तियों के घरों पर हमला करके वहां लूटपाट की । यह अभिकथन किया गया है कि उन्होंने मैसा मलिक के आवासीय घर का अतिचार किया, उक्त आवासीय घर के दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ डाला तथा घर में मौजूद संपत्ति की लूटमार की और साथ ही घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाया और अंत में उक्त घर से निकलते हुए उन्होंने घर को आग लगा दी, जिससे वह संपूर्ण घर नष्ट हो गया । यह भी अभिकथन किया गया है कि क्षेत्र के अन्य अनेक घरों में इसी प्रकार का आपराधिक कृत्य किया गया । बालीगुड़ा पुलिस थाने के अधीन आने वाली नुवांगांव पुलिस चेक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी ने मैसा मलिक के हस्ताक्षाराधीन एक शिकायत प्राप्त की । उल्लेखनीय है कि उक्त मैसा मलिक वर्तमान मामले का इत्तिलाकर्ता है और उसकी उक्त मामले के विचारण में अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई है । मैसा मलिक, इत्तिलाकर्ता से लिखित में जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् वर्ष 2008 का पुलिस थाना मामला सं. 157 रजिस्टर किया गया तथा उससे संबंधित अन्वेषण को प्रारंभ किया गया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत इस मामले को सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया और इस प्रकार अभियुक्त व्यक्तियों ने विचारण का सामना किया । विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की संवीक्षा करने तथा अपने स्तर पर उक्त साक्ष्य की गहन और आत्यंतिक

परीक्षा करने के पश्चात् अंततः, यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त व्यक्तियों (कुल 6 अभियुक्तों) के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 147/148/427/435/451 के अधीन अपराध करने के आरोपों को भली-भांति स्थापित किया है । तद्नुसार, अभियुक्त व्यक्तियों को उपरोक्त अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों और तर्कों को सुनने के पश्चात् अपील को मंजूर करते हुए

**अभिनिर्धारित** – घटना के संबंध में यह कथन किया गया है कि वह तारीख 26 अगस्त, 2008 को प्रातः 9.20 बजे घटित हुई थी तथा के नुवागांव पुलिस आउट पोस्ट से सहबद्ध पुलिस अधिकारी (अभि. सा. 6) द्वारा इस घटना से संबंधित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 17 नवम्बर, 2008 को प्राप्त की गई । इस तथ्य से यह प्रकट होता है कि अभि. सा. 1 ने उक्त प्रदर्श-1 में तारीख 8 अक्तूबर, 2008 को उल्लिखित किया है । (प्रदर्श-1/1 के रूप में चिह्नित) । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्राप्त करने में ढाई मास से अधिक समय का असाधारण विलंब हुआ है और यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त घटना से संबंधित जानकारी सर्वप्रथम पुलिस आउट पोस्ट की स्टेशन डायरी पुस्तिका में अभि. सा. 6 द्वारा लेखबद्ध की गई थी और उसी तारीख को उसे आईआईसी, बालीगुड़ा (अभि. सा. 7) को अग्रेषित किया गया था, जिसने औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले को रजिस्टर किया था । उक्त विलंब के संबंध में किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया गया है तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) में विलंब को स्पष्ट करने के संबंध में कोई प्रयास नहीं किया गया है । इन सभी बातों का किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है । इसके अतिरिक्त, जब अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि उसने डाक द्वारा प्रदर्श-1 को अग्रेषित किया था किन्तु अभि. सा. 6 ने इस संबंध में किसी प्रकार का कोई पृष्ठांकन अंकित नहीं किया है । इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) ने अपने साक्ष्य में साधारण रूप से यह कथन किया है कि चूंकि क्षेत्र में

दंगे जारी थे और साथ में कर्फ्यू भी लगाया गया था इसलिए वह समय पर पुलिस को घटना की रिपोर्ट नहीं दे सका था । यह कथन किया गया है कि जब वह राहत शिविर में था तो उस समय एक प्रवाकार ने उसके लिए रिपोर्ट को लेखबद्ध किया था, जिसे उसने डाक के माध्यम से पुलिस आउट पोस्ट को भेजा था । तथापि, प्रदर्श-1 में उस प्रवाकार द्वारा किया गया किसी प्रकार का कोई पृष्ठांकन उल्लिखित नहीं है और न ही किसी स्थान पर उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं । उक्त प्रवाकार को अभियोजन पक्ष की ओर से न तो परीक्षा हेतु बुलाया गया और न ही उसे साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अभियोजन पक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि उक्त प्रवाकार ने अभि. सा. 1 के अनुदेशों के अधीन उक्त रिपोर्ट लेखबद्ध की थी और वह इस संबंध में अपने कथन को प्रस्तुत करने के लिए आगे नहीं आया और इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभि. सा. 1 द्वारा लिखित किए गए के रूप में माना गया है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 1 ने भी इस प्रभाव का कोई कथन नहीं किया है कि उक्त प्रवाकार ने प्रदर्श-1 को लेखबद्ध करने के पश्चात् उसे पढ़कर सुनाया था और उसे सुनने के पश्चात् उसने उसकी अंतर्वस्तु का सही के रूप में सत्यापन किया था और उसके पश्चात् उसने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे । दूसरी ओर, अभि. सा. 6, पुलिस आउट पोस्ट से सहबद्ध अधिकारी ने यह कथन किया है कि उसे प्रदर्श-1 अभि. सा. 1 से प्राप्त हुआ था जिसने स्वयं प्रदर्श-1 को उसे सौंपा था । संदेहों को दूर करने के लिए अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 7) ने मामले के इन पहलुओं के संबंध में किसी प्रकार का कोई अन्वेषण नहीं किया है । प्रदर्श-1 का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् यह तथ्य सामने आता है कि विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के रूप में 10 व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत किए गए हैं जिन्हें 'दंगाकारी' प्रवर्ग के अधीन रखा गया है और उसमें यह कथन किया गया है कि केवल यही व्यक्ति नारे लगाते हुए गांव में आए थे और प्रदर्श-1 में कहीं भी यह कथन नहीं किया गया है कि 60-70 व्यक्तियों के विधिविरुद्ध जमाव में उक्त 10 व्यक्तियों की शनाख्त की गई है । तथापि, अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि

हमला करने वाली भीड़ में 60 से 70 व्यक्ति सम्मिलित थे और वे सब हल्ला करते हुए आए थे । उसने साधारण रूप से यह कथन किया है कि विचारण का सामना करने वाले अभियुक्त व्यक्ति उक्त भीड़ में शामील थे । इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है कि उन्होंने कोई हथियार धारण किए हुए थे तथा हथियारों की किस्म के संबंध में तो किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, उसने इस संबंध में भी कोई कथन नहीं किया है कि विचारण का सामना करने वाले व्यक्तियों ने गांव में पहुंचने के समय से लेकर गांव से चले जाने की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट रूप से समय के किस बिन्दु पर क्या आपराधिक कार्य किया । अभि. सा. 2 द्वारा इसी रूप रेखा के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । यद्यपि, अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि वह भीड़ में से अभियुक्त व्यक्तियों की शनाख्त कर सकता था किन्तु उसने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि चूंकि वे व्यक्ति उसके सह-ग्रामीण नहीं थे और वे भिन्न-भिन्न ग्रामों से संबंध रखते थे तो वह किस प्रकार उनसे परिचित था और उसे उनके नाम किस प्रकार स्मरण थे । इसके अतिरिक्त, इस प्रभाव का कोई कथन नहीं किया गया है कि उन व्यक्तियों ने विनिर्दिष्ट रूप से क्या-क्या अपराध किया और क्या वे किसी रीति में सक्रिय रूप से आपराधिक कृत्यों में भाग ले रहे थे या चुपचाप देख रहे थे । अभि. सा. 3 ने भी इसी प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत किया है । अभि. सा. 4 ने भी इसी रूप रेखा के अनुसार न्यायालय के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया है । तथापि, अभि. सा. 4 ने अन्य साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अतिरिक्त यह भी कथन किया है कि विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 200-300 थी और उन्होंने घरों को लूटा तथा उनमें आग लगा दी । यदि उसके इस कथन को सत्य माना जाए तो जैसा कि उपरोक्त सभी साक्ष्यों द्वारा इन अभियुक्त व्यक्तियों की शनाख्त संबंधी अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, तो वह किसी दृढ़ पुष्टिकारक साक्ष्य की अनुपस्थिति में संदेह उत्पन्न करता है क्योंकि घटना के समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह

इस प्रकार के सभी पहलुओं के संबंध में सावधान रहे तथा मामले में किसी व्यक्ति को मिथ्या रूप से फंसाए जाने की संभावना को दूर करने के संबंध में अपना सुनिश्चय अत्यंत सावधानीपूर्वक करे । अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य, पहले से चर्चा की गई तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय की सुविचारित राय में यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध स्पष्ट, ठोस और स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत करके सभी सुसंगत संदेहों से परे आरोपों को साबित करने में असफल रहा है । अतः, इन अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उन अपराधों के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के निष्कर्ष को बनाए नहीं रखा जा सकता । इस मत को ध्यान में रखते हुए तदर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय सं. II, कंधामाल, फूलबनी द्वारा 2010 के सेशन विचारण मामला सं. 26 और सेशन विचारण मामला सं. 52 में तारीख 30 जुलाई, 2010 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश अपास्त किए जाने के दायी हैं, और तद्नुसार उन्हें अपास्त किया जाता है और अभियुक्त व्यक्तियों को आरोपों से मुक्त किया जाता है । परिणामतः, दांडिक अपील को स्वीकार किया जाता है । (पैरा 8, 9 और 10)

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 401**

अपीलार्थियों ने विद्वान् तदर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, एफटीसी सं. II, कंधामाल, फूलबनी द्वारा 2010 के सेशन विचारण मामला सं. 26 और 52 में तारीख 30 जुलाई, 2010 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील फाइल की है ।

| | |
|---|---|
| **याची की ओर से** | सर्वश्री प्रसन्ना कुमार परही, जी. मोहंती और डी. रथ |
| **प्रत्यर्थी की ओर से** | श्री पूर्ण चंद्र दास, अपर स्थायी काउंसेल |

**न्यायमूर्ति डी. दास** – अपीलार्थियों ने विद्वान् तदर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय सं. II, कंधामाल, फूलबनी द्वारा

2010 के सेशन विचारण मामला सं. 26 और सेशन विचारण मामला सं. 52 में तारीख 30 जुलाई, 2010 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील फाइल की है ।

उपरोक्त आदेश के अनुसार प्रत्येक अपीलार्थी को निम्नानुसार दोषसिद्ध ठहराकर दंडादिष्ट किया गया है :–

(i) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 433/451 में से प्रत्येक के अधीन अपराध करने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और 2,000/- रुपए का जुर्माना, जिसके संदाय में व्यतिक्रम पर अतिरिक्त तीन मास का कठोर कारावास ;

(ii) दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 427 के अधीन अपराध करने के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और 2,000/- रुपए का जुर्माना, जिसके संदाय में व्यतिक्रम पर अतिरिक्त तीन मास का कठोर कारावास ; और

(iii) दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 148 के अधीन अपराध करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और 500/- रुपए का जुर्माना, जिसके संदाय में व्यतिक्रम पर अतिरिक्त एक मास का कठोर कारावास, इस अनुबंध के साथ कि सारवान् दंडादेश एक साथ चलेंगे ।

2. अभियोजन का पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि तारीख 23 अगस्त, 2008 को हिन्दू संत स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या के पश्चात् कुछ हिन्दू कट्टरपंथियों, जिन्होंने अपनी पहचान बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद् के अनुयायियों के रूप में प्रस्तुत की थी, ने उक्त हत्या के आपराधिक दायित्व का आरोप ईसाई समुदाय के सदस्यों पर लगाया और इसके परिणामस्वरूप कंधामाल जिले में सांप्रदायिक हिंसा हुई । इसके परिणामस्वरूप, हिन्दू और साथ ही ईसाई समुदायों के सदस्यों ने एक-दूसरे पर हमला किया तथा स्वयं पर किए जा रहे हमलों का जवाब दिया ।

जब इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान थीं तो तारीख 26 अगस्त, 2008 को प्रात: लगभग 9.20 बजे अभियुक्त व्यक्तियों ने अन्य लगभग साठ (60) व्यक्तियों के साथ एक विधिविरुद्ध जमाव का निर्माण किया जो घातक हथियारों से लैस था और उन्होंने जय बजरंग बली आदि जैसे नारे लगाते हुए गासुकिया ग्राम में प्रवेश किया और उन्होंने मैसा मलिक और कुछ अन्य व्यक्तियों के घरों पर हमला करके वहां लूटपाट की । यह अभिकथन किया गया है कि उन्होंने मैसा मलिक के आवासीय घर का अतिचार किया, उक्त आवासीय घर के दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ डाला तथा घर में मौजूद संपत्ति की लूटमार की और साथ ही घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाया और अंत में उक्त घर से निकलते हुए उन्होंने घर को आग लगा दी, जिससे वह संपूर्ण घर नष्ट हो गया । यह भी अभिकथन किया गया है कि क्षेत्र के अनेक घरों में इसी प्रकार का आपराधिक कृत्य किया गया । बालीगुड़ा पुलिस थाने के अधीन आने वाली नुवांगांव पुलिस चेक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी ने मैसा मलिक के हस्ताक्षाराधीन एक शिकायत प्राप्त की । उल्लेखनीय है कि उक्त मैसा मलिक वर्तमान मामले का इत्तिलाकर्ता है और उसकी उक्त मामले के विचारण में अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई है । मैसा मलिक, इत्तिलाकर्ता से लिखित में जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् वर्ष 2008 का पुलिस थाना मामला सं. 157 रजिस्टर किया गया तथा उससे संबंधित अन्वेषण को प्रारंभ किया गया ।

अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत इस मामले को सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया और इस प्रकार अभियुक्त व्यक्तियों ने विचारण का सामना किया ।

3. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपों को स्थापित करने के लिए कुल सात (7) प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की परीक्षा की । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष लिखित रिपोर्ट (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श-1), पुलिस आउट पोस्ट की स्टेशन डायरी पुस्तक में किए गए पृष्ठांकन, औपचारिक प्रथम

इत्तिला रिपोर्ट, अभिग्रहण सूची, स्थल-नक्शा आदि को साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत किया । प्रतिरक्षा पक्ष ने किसी भी व्यक्ति की परीक्षा नहीं की ।

4. विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की संवीक्षा करने तथा अपने स्तर पर उक्त साक्ष्य की गहन और आत्यंतिक परीक्षा करने के पश्चात् अंततः, यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त व्यक्तियों (कुल 6 अभियुक्तों) के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 147/148/427/435/451 के अधीन अपराध करने के आरोपों को भली-भांति स्थापित किया है । तद्नुसार, अभियुक्त व्यक्तियों को उपरोक्त अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया और ऊपर कथन किए गए अनुसार उन्हें दंडादिष्ट किया गया ।

5. मैंने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री पी. के. परही, जिनकी सहायता विद्वान् काउंसेल श्री बी. के. परही द्वारा की जा रही है, को सुना । मैंने विद्वान् अपर स्थायी काउंसेल श्री पूर्ण चंद्र दास को भी सुना ।

6. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री पी. के. परही ने अपनी बहस के दौरान निर्णय और विशेषकर निर्णय के उन पैराओं, जिनमें अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य और उसके मूल्यांकन के संबंध में चर्चा की गई है, को उद्धृत करते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किए । ऐसा करते समय उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान अभि. सा. 1 तथा अन्य साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की ओर आकर्षित किया । उनके अनुसार अभिलेख पर विद्यमान संपूर्ण साक्ष्य, जब उसे मामले की अन्य परिस्थितियों के साथ संपूर्ण रूप से विचार में लिया जाता है तो वह इन अभियुक्त व्यक्तियों के इस मामले में संलिप्त होने, अर्थात् उनके घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित होने तथा उसमें भाग लेने के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है । अतः, उन्होंने यह दलील प्रस्तुत की है कि विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सभी सुसंगत संदेहों से परे आरोपों को साबित किया है, कोई ठोस निष्कर्ष नहीं है और उसे बनाए नहीं रखा जा सकता ।

7. दूसरी ओर, श्री पूर्ण चंद्र दास, विद्वान् अपर स्थायी काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि घटना के समय संपूर्ण क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण था और सभी व्यक्ति जिले में फैली सांप्रदायिक हिंसा के कारण डरे हुए थे और इस परिस्थिति में अभि. सा. 1, इत्तिलाकर्ता जो वर्तमान मामले का पीड़ित भी है, ने भी यह कथन किया है कि वह अपने कुटुम्ब के सदस्यों को जंगल के भीतर छोड़ आया था और वह स्वयं अपने घर की रखवाली करने के लिए अपने आवासीय घर में अकेले निवास कर रहा था और इस प्रकार घर में अकेले निवास करते हुए उसने इस घटना और साथ ही उक्त घटना में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा निभाई गई भूमिका को प्रत्यक्ष रूप से देखा । विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि इन परिस्थितियों के अधीन साक्ष्य में विद्यमान लघु विरोधाभासों की अनदेखी की जानी चाहिए । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि अभि. सा. 1 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की अभिपुष्टि उस सीमा तक अन्य साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से हो गई है कि वर्तमान मामले के अभियुक्त व्यक्ति एक विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे और वे घातक हथियारों से लैश होकर अभि. सा. 1 के घर के समीप आए थे और फिर उन्होंने घर में प्रवेश किया तथा घर के सामान को नुकसान पहुंचाया, जंगम संपत्तियों की लूटपाट की तथा अंततः, घर से बाहर निकलते हुए उन्होंने घर को आग के हवाले कर दिया । विद्वान् स्थायी काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराकर तथा उन्हें दंडादिष्ट करके कोई त्रुटि नहीं की है ।

8. उपरोक्त दलीलों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अब घटना के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की वहनीयता तथा इन अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उक्त घटना में निभाई गई भूमिका के संबंध में विचार करने के लिए उद्धत है ।

अभियुक्त व्यक्तियों के घटना में संलिप्त होने के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने से पूर्व यह अनिवार्य है कि घटना के समय विद्यमान परिस्थितियों, जो अभियोजन पक्ष द्वारा

प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर सामने लाई गई हैं, पर विचार किया जाए तथा इस तथ्य को अभिनिश्चित किया जाए कि वे परिस्थितियां किस सीमा तक वर्तमान मामले के आधारों को प्रभावित करती हैं । घटना के संबंध में यह कथन किया गया है कि वह तारीख 26 अगस्त, 2008 को प्रात: 9.20 बजे घटित हुई थी तथा केनुवागांव पुलिस आउट पोस्ट से सहबद्ध पुलिस अधिकारी (अभि. सा. 6) द्वारा इस घटना से संबंधित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 17 नवम्बर, 2008 को प्राप्त की गई ।

इस तथ्य से यह प्रकट होता है कि अभि. सा. 1 ने उक्त प्रदर्श-1 में तारीख 8 अक्तूबर, 2008 को उल्लिखित किया है । (प्रदर्श-1/1 के रूप में चिह्नित) । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्राप्त करने में ढाई मास से अधिक समय का असाधारण विलंब हुआ है और यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त घटना से संबंधित जानकारी सर्वप्रथम पुलिस आउट पोस्ट की स्टेशन डायरी पुस्तिका में अभि. सा. 6 द्वारा लेखबद्ध की गई थी और उसी तारीख को उसे आईआईसी, बालीगुड़ा (अभि. सा. 7) को अग्रेषित किया गया था, जिसने औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले को रजिस्टर किया था । उक्त विलंब के संबंध में किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया गया है तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) में विलंब को स्पष्ट करने के संबंध में कोई प्रयास नहीं किया गया है । इन सभी बातों का किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है । इसके अतिरिक्त, जब अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि उसने डाक द्वारा प्रदर्श-1 को अग्रेषित किया था किन्तु अभि. सा. 6 ने इस संबंध में किसी प्रकार का कोई पृष्ठांकन अंकित नहीं किया है । इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) ने अपने साक्ष्य में साधारण रूप से यह कथन किया है कि चूंकि क्षेत्र में दंगे जारी थे और साथ में कर्फ्यू भी लगाया गया था इसलिए वह समय पर पुलिस को घटना की रिपोर्ट नहीं दे सका था । यह कथन किया गया है कि जब वह राहत शिविर में था तो उस समय एक प्रवाकार ने उसके लिए रिपोर्ट को लेखबद्ध किया था, जिसे उसने डाक के माध्यम से पुलिस आउट पोस्ट को भेजा था । तथापि, प्रदर्श-1 में उस प्रवाकार द्वारा किया गया किसी प्रकार का कोई

पृष्ठांकन उल्लिखित नहीं है और न ही किसी स्थान पर उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं । उक्त प्रवाकार को अभियोजन पक्ष की ओर से न तो परीक्षा हेतु बुलाया गया और न ही उसे साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अभियोजन पक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि उक्त प्रवाकार ने अभि. सा. 1 के अनुदेशों के अधीन उक्त रिपोर्ट लेखबद्ध की थी और वह इस संबंध में अपने कथन को प्रस्तुत करने के लिए आगे नहीं आया और इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभि. सा. 1 द्वारा लिखित किए गए के रूप में माना गया है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 1 ने भी इस प्रभाव का कोई कथन नहीं किया है कि उक्त प्रवाकार ने प्रदर्श-1 को लेखबद्ध करने के पश्चात् उसे पढ़कर सुनाया था और उसे सुनने के पश्चात् उसने उसकी अंतर्वस्तु का सही के रूप में सत्यापन किया था और उसके पश्चात् उसने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे । दूसरी ओर, अभि. सा. 6, पुलिस आउट पोस्ट से सहबद्ध अधिकारी ने यह कथन किया है कि उसे प्रदर्श-1 अभि. सा. 1 से प्राप्त हुआ था जिसने स्वयं प्रदर्श-1 को उसे सौंपा था । संदेहों को दूर करने के लिए अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 7) ने मामले के इन पहलुओं के संबंध में किसी प्रकार का कोई अन्वेषण नहीं किया है ।

प्रदर्श-1 का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् यह तथ्य सामने आता है कि विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के रूप में 10 व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत किए गए हैं जिन्हें 'दंगाकारी' प्रवर्ग के अधीन रखा गया है और उसमें यह कथन किया गया है कि केवल यही व्यक्ति नारे लगाते हुए गांव में आए थे और प्रदर्श-1 में कहीं भी यह कथन नहीं किया गया है कि 60-70 व्यक्तियों के विधिविरुद्ध जमाव में उक्त 10 व्यक्तियों की शनाख्त की गई है । तथापि, अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि हमला करने वाली भीड़ में 60 से 70 व्यक्ति सम्मिलित थे और वे सब हल्ला करते हुए आए थे । उसने साधारण रूप से यह कथन किया है कि विचारण का सामना करने वाले अभियुक्त व्यक्ति उक्त भीड़ में शामील थे । इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है कि उन्होंने कोई हथियार धारण किए हुए थे तथा हथियारों की किस्म के संबंध में तो

किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, उसने इस संबंध में भी कोई कथन नहीं किया है कि विचारण का सामना करने वाले व्यक्तियों ने गांव में पहुंचने के समय से लेकर गांव से चले जाने की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट रूप से समय के किस बिन्दु पर क्या आपराधिक कार्य किया । अभि. सा. 2 द्वारा इसी रूप रेखा के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । यद्यपि, अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि वह भीड़ में से अभियुक्त व्यक्तियों की शनाख्त कर सकता था किन्तु उसने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि चूंकि वे व्यक्ति उसके सह-ग्रामीण नहीं थे और वे भिन्न-भिन्न ग्रामों से संबंध रखते थे तो वह किस प्रकार उनसे परिचित था और उसे उनके नाम किस प्रकार स्मरण थे । इसके अतिरिक्त, इस प्रभाव का कोई कथन नहीं किया गया है कि उन व्यक्तियों ने विनिर्दिष्ट रूप से क्या-क्या अपराध किया और क्या वे किसी रीति में सक्रिय रूप से आपराधिक कृत्यों में भाग ले रहे थे या चुपचाप देख रहे थे । अभि. सा. 3 ने भी इसी प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत किया है । अभि. सा. 4 ने भी इसी रूप रेखा के अनुसार न्यायालय के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया है । तथापि, अभि. सा. 4 ने अन्य साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अतिरिक्त यह भी कथन किया है कि विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 200-300 थी और उन्होंने घरों को लूटा तथा उनमें आग लगा दी । यदि उसके इस कथन को सत्य माना जाए तो जैसा कि उपरोक्त सभी साक्ष्यों द्वारा इन अभियुक्त व्यक्तियों की शनाख्त संबंधी अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, तो वह किसी दृढ़ पुष्टिकारक साक्ष्य की अनुपस्थिति में संदेह उत्पन्न करता है क्योंकि घटना के समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह इस प्रकार के सभी पहलुओं के संबंध में सावधान रहे तथा मामले में किसी व्यक्ति को मिथ्या रूप से फंसाए जाने की संभावना को दूर करने के संबंध में अपना सुनिश्चय अत्यंत सावधानीपूर्वक करे ।

9. अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य, पहले से चर्चा की गई तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरी सुविचारित राय में

यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध स्पष्ट, ठोस और स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत करके सभी सुसंगत संदेहों से परे आरोपों को साबित करने में असफल रहा है । अत:, इन अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उन अपराधों के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के निष्कर्ष को बनाए नहीं रखा जा सकता । इस मत को ध्यान में रखते हुए तदर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय सं. II, कंधामाल, फूलबनी द्वारा 2010 के सेशन विचारण मामला सं. 26 और सेशन विचारण मामला सं. 52 में तारीख 30 जुलाई, 2010 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश अपास्त किए जाने के दायी हैं, और तदनुसार उन्हें अपास्त किया जाता है और अभियुक्त व्यक्तियों को आरोपों से मुक्त किया जाता है ।

10. परिणामत:, दांडिक अपील को स्वीकार किया जाता है । अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा निष्पादित बंधपत्रों को उन्मोचित किया जाता है ।

निचले न्यायालय के अभिलेख को तुरंत लौटाया जाए ।

चूंकि कोविड-19 महामारी के उभरने के कारण निर्बंधन अभी जारी हैं, इसलिए पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आदेश की मुद्रित प्रति को, संबद्ध अधिवक्ता द्वारा न्यायालय की तारीख 25 मार्च, 2020 की सूचना सं. 4587, जिसे तारीख 15 अप्रैल, 2021 की न्यायालय की सूचना सं. 4798 द्वारा यथा उपांतरित किया गया है, के अधीन रहते हुए अधिप्रमाणन के पश्चात् प्रमाणित प्रति के रूप में उपयोग में ला सकते हैं ।

अपील मंजूर की गई ।

पु.

---

## **मनु एसके.** उर्फ **मनोवर आजम**

बनाम

## **पश्चिम बंगाल राज्य**

(2013 की दांडिक अपील सं. 745)

तारीख 11 नवंबर, 2021

**न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 489-ग [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक-नोट का कब्ज़ा होना – साक्ष्य और सबूत – अभियुक्त के कब्जे में जाली करेंसी नोटों का पाया जाना – अभिग्रहण के समय स्थानीय व्यक्तियों का मौजूद होना जिनका पुलिस बल से कोई संबंध न होना – उक्त करेंसी नोटों को वैज्ञानिक परीक्षण हेतु सरकारी मुद्रणालय भेजा जाना – सरकारी मुद्रणालय की रिपोर्ट में यह पाया गया कि करेंसी नोटों को जांच हेतु भेजा गया था और अभियोजन साक्षियों के अनुसार यही नोट अभियुक्त के कब्जे से बरामद किए गए थे, अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अभियुक्त के कब्ज़े में उक्त करेंसी नोट विद्यमान थे तथा वह उन्हें असली के रूप में चलाए जाने का आशय रखता था, इसलिए अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।**

वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना गाजोले से संबद्ध पुलिस को सूचना मिली कि एक बोलेरो कार सं. डब्ल्यू. बी.-66ए/1627 के चालक सहित चार व्यक्ति आलमपुर चिरियादाहा की ओर खड़े हैं और उक्त चारों व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध मालूम दे रही हैं । यह सूचना थाने की साधारण डायरी में अभिलिखित की गई । इसके पश्चात् पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक रसमय पॉल उक्त सूचना पर कार्यवाई हेतु घटनास्थल पर गए । उन्हें आलमपुर में सड़क के किनारे खड़ी एक बोलेरो कार मिली । उस बोलेरो कार में चालक की सीट

पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था । पुलिस ने उक्त व्यक्ति से पूछताछ की । वह उक्त कार के यात्री का पता बताने में विफल रहा । सहायक उपनिरीक्षक रसमय पॉल ने उसकी तलाशी ली और उसके पास 500/- रुपए अंकित मूल्य के 12 जाली भारतीय मुद्रा नोट (जाली नोटों) बरामद किए । उक्त एफ.आई.सी.एन को स्थानीय व्यक्तिगत साक्षियों की उपस्थिति में उचित रूप से अभिगृहीत करके लेबल लगा दिया गया । उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस थाने लाया गया । सहायक उपनिरीक्षक रसमय पॉल ने पुलिस थाना, गाजोले के भारसाधक अधिकारी को एक शिकायत प्रस्तुत की जिसके आधार पर तारीख 27 जुलाई, 2012 को पुलिस थाना, गाजोले में मामला सं. 92/2012, दंड संहिता की धारा 489-बी और 489-ग के अधीन अभियुक्तों के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत किया गया । मामले का अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया । चूंकि दंड संहिता की धारा 489-ख और 489-ग के अधीन आरोपपत्रित अपराध विशेष रूप से सेशन न्यायालय के अधीन विचारणीय है, इसलिए मामला मालदा के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश-पंचम के न्यायालय में विचारण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने साक्षियों की परीक्षा कराने और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा कराने के पश्चात् अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 489-ग के अधीन अपराध कारित करने के लिए दोषी पाया और तद्नुसार उसे दोषसिद्ध करते हुए दंडादेश पारित किया । उक्त दोषसिद्धि तथा दंडादेश के निर्णय को वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है । अपील खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – अपीलार्थी और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल को सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात्, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि तारीख 27 जुलाई, 2012 वाले दिन अपीलार्थी को जाली करेंसी नोटों के साथ पुलिस ने पकड़ा था । उक्त जाली करेंसी नोटों को अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6, जो कि वे स्थानीय व्यक्ति हैं और पुलिस बल से संबंधित नहीं हैं, की उपस्थिति में अभिगृहीत करके उन पर परचियां लगाई गई थीं । उक्त

करेंसी नोटों को वैज्ञानिक परीक्षा के लिए करेंसी नोट-मुद्रणालय, नासिक भेजा गया था । विद्वान् न्यायमित्र ने यह प्रश्न उठाया है कि जाली नोट अभिगृहीत करने के पश्चात् उन्हें अभिकथित तौर पर पुलिस थाने के मालखाने में रखा गया था, किन्तु विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष मालखाना-रजिस्टर प्रस्तुत करने में विफल रहा, जिससे यह साबित हो पाता कि अभिगृहीत की गई वस्तु को मालखाना में रखा गया था और उन्हें वैज्ञानिक राय के लिए सरकारी करेंसी नोट-मुद्रणालय भेजा गया था । इस दलील का कोई आधार नहीं है, क्योंकि अभिग्रहण के समय अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 सहित अन्य साक्षियों ने जाली नोटों पर अपने हस्ताक्षर किए थे । सरकारी मुद्रणालय की रिपोर्ट (प्रदर्श-8) से पता चलता है कि उक्त करेंसी नोटों को जांच और रिपोर्ट के लिए भेजा गया था । वही करेंसी नोट विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए तथा उन्हें तात्विक प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया । इसलिए, इस तथ्य पर प्रश्न उठाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि अभियुक्त के कब्जे से अभिगृहीत किए गए करेंसी नोटों को जांच के लिए सरकारी मुद्रणालय नहीं भेजा गया था या उन्हें विचारण के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था । अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह साबित कर दिया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी के कब्जे से जाली करेंसी नोट बरामद किए गए थे । यह अनुमान लगाया गया है कि अभियुक्त के पास उक्त करेंसी नोट थे और वह उन्हें असली के रूप में प्रयोग करने का आशय रखता था । उपरोक्त कारणों के आधार पर मुझे विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार दिखाई नहीं देता है । (पैरा 20, 21, 22 और 23)

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 745.**

पुलिस थाना, गाजोले के अंतर्गत 2012 के मामला सं. 7 में मालदा के पांचवे विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 31 जुलाई, 2013 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** श्री मुजीबर अली नस्कर (न्यायमित्र)

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री शाश्वत गोपाल मुखर्जी, सुश्री फारिया हुसैन और श्री संदीप चक्रवर्ती

**न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी** – वर्तमान दांडिक अपील 2013 सेशन विचारण मामला संख्या 7 में मालदा के पांचवे विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 31 जुलाई, 2013 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फ़ाइल की गई है और इससे संबन्धित पुलिस मामला संख्या 281/2012 पुलिस थाना गाजोले में दर्ज किया गया था और विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश के उपरोक्त आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 489-ग के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया एक वर्ष के कठोर कारावास से और 1,000/- रुपए का जुर्माना से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त छह मास के साधारण से दंडादिष्ट किया गया ।

2. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं । पुलिस थाना गाजोले से संबद्ध पुलिस को सूचना मिली कि एक बोलेरो कार सं. डब्ल्यू.बी.-66ए/1627 के चालक सहित चार व्यक्ति आलमपुर चिरियादाहा की ओर खड़े हैं और उक्त चारों व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध मालूम दे रही हैं । यह सूचना थाने की साधारण डायरी में अभिलखित की गई । इसके पश्चात् पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक रसमय पॉल उक्त सूचना पर कार्यवाई हेतु घटनास्थल पर गए । उन्हें आलमपुर में सड़क के किनारे खड़ी एक बोलेरो कार मिली । उस बोलेरो कार में चालक की सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था । पुलिस ने उक्त व्यक्ति से पूछताछ की । वह उक्त कार के यात्री का पता बताने में विफल रहा । सहायक उपनिरीक्षक रसमय पॉल ने उसकी तलाशी ली और उसके पास 500/- रुपए अंकित मूल्य के 12 जाली भारतीय मुद्रा नोट (जाली नोटों) बरामद किए । उक्त एफ.आई.सी.एन को स्थानीय व्यक्तिगत साक्षियों की उपस्थिति में उचित रूप से अभिगृहीत करके लेबल लगा दिया गया । उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस थाने लाया गया ।

3. सहायक उपनिरीक्षक रसमय पॉल ने पुलिस थाना, गाजोले के

भारसाधक अधिकारी को एक शिकायत प्रस्तुत की जिसके आधार पर तारीख 27 जुलाई, 2012 को पुलिस थाना, गाजोले में मामला सं. 292/2012, दंड संहिता की धारा 489-बी और 489-ग के अधीन अभियुक्तों के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत किया गया । मामले का अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया ।

4. चूंकि दंड संहिता की धारा 489-ख और 489-ग के अधीन आरोपपत्रित अपराध विशेष रूप से सेशन न्यायालय के अधीन विचारणीय है, इसलिए मामला मालदा के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश-पंचम के न्यायालय में विचारण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने साक्षियों की परीक्षा कराने और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा कराने के पश्चात् अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 489-ग के अधीन अपराध कारित करने के लिए दोषी पाया और तद्नुसार उसे दोषसिद्ध करते हुए दंडादेश पारित किया ।

5. उक्त दोषसिद्धि तथा दंडादेश के निर्णय को वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है ।

6. वर्तमान मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल सात साक्षियों की परीक्षा कराई जिसमें अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 को छोड़कर अन्य सभी साक्षी पुलिसकर्मी हैं ।

7. अभि. सा. 1, वास्तविक शिकायतकर्ता है । उसने सशपथ कथन किया है कि तारीख 27 जुलाई, 2012 को पुलिस थाना, गाजोले के भारसाधक अधिकारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग आलमपुर चिरियादाहा के पास एक बोलेरो कार में संदिग्ध रूप से घूम रहे हैं । अभि. सा. 1 को उक्त सूचना पर कार्यवाई करने हेतु निदेश दिया गया । तद्नुसार, वह आलमपुर गया और एक बोलेरो कार को स्थिर अवस्था में पाया जिसमें चालक की सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था । उसने स्वयं को उक्त यान का चालक बताया, किन्तु उस कार में सवार लोगों के विषय में वह कुछ नहीं बता सका । फिर सहायक उपनिरीक्षक रसमय पॉल ने उसकी तलाशी ली और अपीलार्थी के कब्जे

से 500/- रुपए वाले 12 जाली नोट बरामद किए । घटनास्थल पर ही स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में जाली नोट अभिगृहीत कर उन पर लेबल लगा दिया गया । इसके पश्चात् उन्होंने अभियुक्त और तीन अन्य लोगों के विरुद्ध थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई ।

8. अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 पुलिस बल के सदस्य हैं । उन्होंने अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य की अभिपुष्टि की है । उन्होंने सशपथ कथन किया कि वे भी छापा मारने वाले दल के सदस्य थे ।

9. अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 अभिग्रहण कार्यवाही के साक्षी हैं जिन्होंने सशपथ यह कथन किया कि तारीख 27 जुलाई, 2012 को जब वह घर लौट रहा था तो उसने आलमपुर के पास भीड़ देखी । उत्सुकतावश वह घटनास्थल पर गया । पुलिस अधिकारी ने उससे अभिग्रहण सूची और जाली नोटों पर अपने हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया । तद्नुसार उसने उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए । अभि. सा. 6 का भी यही साक्ष्य है ।

10. अभि. सा. 7 वर्तमान मामले का अन्वेषण अधिकारी है । अन्वेषण के दौरान उसने जाली नोटों को परीक्षा और रिपोर्ट के लिए करेंसी नोट-मुद्रणालय, नासिक भेजा । उसको करेंसी नोट-मुद्रणालय से रिपोर्ट भी प्राप्त हुई, जिसमें यह प्रकट हुआ कि उक्त करेंसी नोट जाली थे ।

11. अभिग्रहण सूची में जाली नोटों के लेबल तथा करेंसी नोट-मुद्रणालय के संबंधित अधिकारी की रिपोर्ट प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया ।

12. विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के अभिलेखों पर उपस्थित साक्ष्यों की परीक्षा करने के पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 489-ग के अधीन अपराध कारित करने का दोषी पाया और उसके विरुद्ध एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया, साथ ही 1,000/- रुपए का जुर्माना भी

अधिरोपित किया और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त छह मास का साधारण कारावास भी अधिरोपित किया ।

13. अपीलार्थी की ओर से न्यायालय की सहायता के लिए नियुक्त विद्वान् न्यायमित्र श्री मुजीबर अली नस्कर ने दलील दी है कि दंड संहिता की धारा 489-ग के अधीन आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को (प्रथमतः) यह साबित करना होगा कि अभियुक्त के पास कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक-नोट थे । द्वितीयतः यदि अभियुक्त को यह ज्ञात है या उसके पास यह मानने का कारण है कि उक्त करेंसी नोट कूटरचित या कूटकृत हैं; उसका उक्त करेंसी नोटों को असली के रूप में प्रयोग करने का आशय है या उसे यह संभावना है असली के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तभी अभियुक्त/अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 489-ग के अधीन दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है ।

14. वर्तमान मामले में श्री नस्कर ने अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों के आधार पर यह दलील दी है कि साक्षियों ने कथन किया है कि अभियुक्त के कब्जे से 12 जाली नोट अभिगृहीत किए गए थे । पूछताछ में उसने यह स्वीकार किया कि उसके पास जाली नोट नमूने के तौर पर रखे हुए थे । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने प्रतिरक्षा पक्ष के अभिवाक् पर विश्वास नहीं किया और यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि उसके कब्ज़े में कूटकृत करेंसी नोट क्यों थे । न्यायालय को अभियुक्त के पास से पाए गए जाली नोटों से यह अनुमान लगाने का पूरा अधिकार है कि अभियुक्त के कब्जे में कूटकृत करेंसी नोट थे, जबकि वह यह जानता था कि उसके पास जो नोट हैं उन्हें असली के रूप में प्रयोग किए जाने के आशय से (किसी को भी) दिखाया जा सकता है ।

15. तथापि, विद्वान् न्यायमित्र ने यह बताया है कि पुलिस कर्मियों को छोड़कर किसी ने भी, यहां तक कि अभिग्रहण के साक्षियों ने भी यह कथन नहीं किया कि अपीलार्थी के कब्जे से जाली नोट बरामद किए गए थे ।

16. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वास्तविक शिकायतकर्ता ने कथन

किया कि उसे सूचना मिली थी कि एक बोलेरो कार चालक सहित चार व्यक्ति आलमपुर चिरियादाहा की ओर खड़े हैं तथा यह कि उक्त यात्रियों और चालक की गतिविधियां संदिग्ध हैं । इसके पश्चात् उसने यह सूचना साधारण डायरी में अभिलिखित की और उक्त सूचना पर कार्यवाही करने के लिए थाने से चला गया । तथापि, साक्ष्य में वास्तविक शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) ने कथन किया है कि पुलिस थाना, गाजोले के भारसाधक अधिकारी को उक्त सूचना मिली थी और उन्होंने उसे इस कार्यवाई हेतु निदेश दिया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दिए गए अभि. सा. 1 के कथन और साक्ष्य के बीच विसंगति है ।

17. विद्वान् न्यायमित्र ने आगे यह दलील दी है कि पुलिस कर्मियों को छोड़कर किसी भी साधारण साक्षी ने अभियोजन के पक्षकथन की अभिपुष्टि नहीं की है । अतः, किसी भी साक्षी की अनुपस्थिति में अपीलार्थी को अपराध कारित करने के लिए दोषी ठहराना उचित नहीं है ।

18. उन्होंने यह भी दलील दी है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन कराई गई परीक्षा के दौरान अपीलार्थी द्वारा यह कथन किया गया था कि जिस बोलेरो कार पर वे यात्रा कर रहे थे, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी । दुर्घटना के पश्चात् पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पुलिस थाने ले गई । फिर उन्हें दंड संहिता की धारा 489-ख और 489-ग के अधीन एक मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिरक्षा अभिवाक् का कोई विरोध नहीं किया गया । इसलिए अपीलार्थी आरोप से दोषमुक्त होने का हकदार है ।

19. इसके प्रतिकूल, राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि साक्ष्य के मूल्यांकन के नियम में कभी यह अभिनिर्धारित नहीं किया गया कि पुलिस बल से संबंधित साक्षियों पर हर परिस्थिति में अविश्वास किया जाना चाहिए । वास्तविक शिकायतकर्ता और अन्य सभी साक्षियों ने सशपथ स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त के पास जाली नोट थे । उक्त जाली नोटों को समुचित अभिग्रहण सूची के अधीन अभिगृहीत किया गया था । नासिक स्थित सरकारी करेंसी नोट प्रेस में वैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त की गई ।

संबंधित प्राधिकरण ने यह कहा कि अभिगृहीत किए गए नोट जाली और कूटकृत थे । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपराध के संघटकों के संबंध में साक्ष्य और कानूनी उपबंधों के उचित मूल्यांकन के आधार पर अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 489-ग के अधीन दोषी ठहराया तथा यह अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान अपील में विपरीत दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है ।

20. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल को सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात्, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि तारीख 27 जुलाई, 2012 वाले दिन अपीलार्थी को जाली करेंसी नोटों के साथ पुलिस ने पकड़ा था । उक्त जाली करेंसी नोटों को अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6, जो कि वे स्थानीय व्यक्ति हैं और पुलिस बल से संबंधित नहीं हैं, की उपस्थिति में अभिगृहीत करके उन पर परचियां लगाई गई थीं । उक्त करेंसी नोटों को वैज्ञानिक परीक्षा के लिए करेंसी नोट-मुद्रणालय, नासिक भेजा गया था । विद्वान् न्यायमित्र ने यह प्रश्न उठाया है कि जाली नोट अभिगृहीत करने के पश्चात् उन्हें अभिकथित तौर पर पुलिस ठाणे के मालखाने में रखा गया था, किन्तु विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष मालखाना-रजिस्टर प्रस्तुत करने में विफल रहा, जिससे यह साबित हो पाता कि अभिगृहीत की गई वस्तु को मालखाना में रखा गया था और उन्हें वैज्ञानिक राय के लिए सरकारी करेंसी नोट-मुद्रणालय भेजा गया था ।

21. इस दलील का कोई आधार नहीं है, क्योंकि अभिग्रहण के समय अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 सहित अन्य साक्षियों ने जाली नोटों पर अपने हस्ताक्षर किए थे । सरकारी मुद्रणालय की रिपोर्ट (प्रदर्श 8) से पता चलता है कि उक्त करेंसी नोटों को जांच और रिपोर्ट के लिए भेजा गया था । वही करेंसी नोट विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए तथा उन्हें तात्विक प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया । इसलिए, इस तथ्य पर प्रश्न उठाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि अभियुक्त के कब्जे से अभिगृहीत किए गए करेंसी नोटों को जांच के लिए सरकारी मुद्रणालय नहीं भेजा गया था या उन्हें विचारण के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

22. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह साबित कर दिया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी के कब्जे से जाली करेंसी नोट बरामद किए गए थे । यह अनुमान लगाया गया है कि अभियुक्त के पास उक्त करेंसी नोट थे और वह उन्हें असली के रूप में प्रयोग करने का आशय रखता था ।

23. उपरोक्त कारणों के आधार पर मुझे विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार दिखाई नहीं देता है ।

24. तद्नुसार, वर्तमान अपील दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज की जाती है । विद्वान् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश-पंचम, मालदा द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की जाती है ।

25. अपीलार्थी का जमानत बंधपत्र समपहृत किया जाता है । अपीलार्थी को आदेश की सूचना की तारीख से 15 दिनों के भीतर दंडादेश भोगने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करने का निदेश दिया जाता है ।

26. यदि अपीलार्थी दंडादेश भोगने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष स्वेच्छा से अभ्यर्पण करने में विफल रहता है तो विद्वान् विचारण न्यायाधीश उपरोक्त अवधि की समाप्ति होने पर उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करेंगे ।

अपील खारिज की गई ।

जा./अस.

**डेबरू मांझी** उर्फ **समरा तंती**

बनाम

**असम राज्य**

(2019 की दांडिक अपील सं. 54)

तारीख 5 मार्च, 2021

**न्यायमूर्ति मीर अलफ़ाज अली**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 304 भाग-I – हत्या – हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – अभियुक्त द्वारा मृतक के सिर पर लोहे की रॉड से क्षतियां पहुंचाई जाना – परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाना – मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने द्वारा दिए गए संस्वीकृति कथन में अभियुक्त ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके और मृतक के बीच छोटी सी बात पर विवाद हुआ तथा विवाद के दौरान मृतक ने उसे मुक्का मारा और जब मृतक ने उसे नीचे धकेल दिया तो उसने क्रोध में आकर लोहे की रॉड से मृतक पर बिना किसी पूर्व चिंतन के आवेश में आकर अचानक हमला किया है, अतः अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 302 के अधीन नहीं अपितु धारा 304 भाग-I के अधीन दोषी है ।**

इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 7 नवंबर, 2014 को लगभग 3 बजे मृतक अनिल बोरा और अभियुक्त डेबरू मांझी **उर्फ** समरा तंती के बीच झगड़ा हुआ था, जो दोनों शंभू शील के कर्मचारी थे । अपीलार्थी समरा तंती द्वारा मृतक के सिर पर लोहे के रॉड से वार किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई । मृतक के नियोजक और अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसे पुलिस ने मर्घेरिटा पुलिस थाने में 2006 के मामला सं. 172 के रूप में दंड संहिता की धारा 302 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया और अंततः अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया । विचारण के दौरान विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थियों के

विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए । अपीलार्थी ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया । आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने डा. और अन्वेषण अधिकारी सहित 8 साक्षियों की परीक्षा कराई । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा के दौरान अपीलार्थी ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया और आजीवन कठोर कारावास भोगने का दंडादिष्ट दिया और व्यतिक्रम खंड सहित 5,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील भागत: मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – स्वीकृततः, अपीलार्थी, मृतक और अभि. सा. 4, शंभू शील (अभि. सा. 3) के होटल में कर्मचारी थे और घटना की रात्रि में सभी होटल में एक साथ थे । अभि. सा. 4 अर्थात् घटना के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अनुसार जब वह चीख-पुकार (हल्ला) सुनकर उठा तो उसने देखा कि अपीलार्थी मृतक को रॉड से मार रहा था । अभि. सा. 3 के अनुसार उसे उसकी दुकान के पास स्थित सिख मंदिर के पंडित ने बताया कि उसकी दुकान में झगड़ा हो रहा है और उसने उसे तुरंत आने के लिए कहा । संस्वीकृति कथन में अभियुक्त/अपीलार्थी ने यह उल्लेख किया है कि उसके और मृतक के बीच मामूली-सी बात पर झगड़ा हुआ और इस झगड़े के दौरान मृतक ने उसे मुक्का मारा था । जब मृतक ने उसे धक्का दिया तो उसने गुस्से में आकर लोहे की छड़ से पीड़ित पर हमला कर दिया । उसने अपने संस्वीकृति कथन में यह भी उल्लेख किया गया है कि घटना के समय दोनों मत्तता की स्थिति में थे । इस प्रकार अभियुक्त/अपीलार्थी का संस्वीकृतिक कथन जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट (अभि. सा. 2) द्वारा यथाविधि अभिलिखित किया गया था, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (अभि. सा. 4) के कथनों के साथ-साथ अभि. सा. 3 के द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए प्रकथन का भी समर्थन करता है कि हमले की घटना झगड़े और आपसी लड़ाई के दौरान हुई थी । अभिलेख में ऐसा कुछ भी विद्यमान नहीं है जिससे अभियुक्त

द्वारा की गई संस्वीकृति की स्वैच्छिकता पर संदेह हो और संस्वीकृति की सत्यता की पुष्टि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के मौखिक परिसाक्ष्य से भी होती है । इस प्रकार, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 3 का मौखिक परिसाक्ष्य, अभियुक्त के संस्वीकृतिक कथन के साथ मिलकर पर्याप्त रूप से यह स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़ा और लड़ाई हुई थी और झगड़े के दौरान अपीलार्थी ने आवेश की तीव्रता में मृतक पर लोहे की छड़ से प्रहार किया । इस प्रकार, संपूर्ण साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित होता है कि अपीलार्थी की ओर से कोई पूर्व-योजना नहीं बनाई गई थी तथा झगड़ा होने पर आवेश की तीव्रता में अचानक हमला किया गया था । निश्चित रूप से, अपीलार्थी ने पीड़ित पर लोहे की ऐसी रॉड से हमला किया जो सामान्य रूप से किसी भी घर में उपलब्ध होती है । साक्ष्य, विशेष रूप से अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल किया गया आयुध और क्षति की प्रकृति से यह पता नहीं चलता है कि अपीलार्थी ने क्रूरता से कृत्य किया है या कोई अनुचित लाभ उठाया है । इसलिए, जब हमला अचानक झगड़े के दौरान आवेश की तीव्रता से बिना पूर्व-योजना के किया गया है और अपीलार्थी ने भी कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया है और न ही क्रूरता से कार्य किया है, इसलिए वर्तमान मामला पूरी तरह से दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद (4) की परिधि में आता है । यद्यपि, सिर पर लगी तीन क्षतियों और प्रयोग किए गए आयुध को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी का आशय मृत्यु कारित करने या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का नहीं था जिससे मृत्यु संभाव्य हो । इस प्रकार साक्ष्य का संचयी रूप से परिशीलन करने पर, हमारा यह विचार है कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है । इसलिए हम अपीलार्थी की दंड संहिता की धारा 302 के अधीन की गई दोषसिद्धि को अपास्त करते हैं और इसके स्थान पर उसे दंड संहिता की धारा 304 भाग-I के अधीन दोषसिद्ध करते हैं । अभिलेख से पता चलता है कि अपीलार्थी 14 वर्ष से अधिक समय से अभिरक्षा में है । इसलिए हमारे विचार से अपीलार्थी ने अन्वेषण और विचारण के दौरान

अभिरक्षा में जो अवधि पूर्व में ही भोग ली है, वह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी । तद्नुसार, हम अपीलार्थी को पूर्व में ही भोगी गई अवधि के कारावास से दंडादिष्ट करते हैं । अगर अपीलार्थी की आवश्यकता किसी अन्य मामले में नहीं है तो उसे कारावास से तुरंत निर्मुक्त कर दिया जाए । (पैरा 14 और 15)

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 54.**

विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, तिनसुकिया द्वारा तारीख 24 मार्च, 2011 को पारित किए गए निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** श्री बी. भगवती (न्यायमित्र)

**प्रत्यर्थी की ओर से** लोक अभियोजक, असम

**न्यायमूर्ति मीर अलफ़ाज अली** – अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् न्यायमित्र श्री बी. भगवती को सुना गया तथा प्रत्यर्थी असम राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री एम. फुकन को सुना गया ।

2. वर्तमान अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, तिनसुकिया द्वारा तारीख 24 मार्च, 2011 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके अधीन अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था तथा उसके विरुद्ध आजीवन कठोर कारावास भोगने और व्यतिक्रम खंड सहित 5,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था ।

3. अभियोजन का पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि तारीख 7 नवंबर, 2014 को लगभग 3 बजे मृतक अनिल बोरा और अभियुक्त डेबरू मांझी **उर्फ** समरा तंती के बीच झगड़ा हुआ था जो दोनों शंभू शील के कर्मचारी थे । अपीलार्थी समरा तंती द्वारा मृतक के सिर पर लोहे के रॉड से वार किया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई । मृतक के नियोजक और अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी

जिसे पुलिस ने पुलिस थाना मर्घेरिटा में 2006 के मामला सं. 172 के रूप में दंड संहिता की धारा 302 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया था और अंतत: अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया था ।

4. विचारण के दौरान विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए । अपीलार्थी ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया । आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने चिकित्सक और अन्वेषण अधिकारी सहित 8 साक्षियों की परीक्षा कराई । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन परीक्षा कराए जाने के दौरान अपीलार्थी ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया ।

5. शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक (अभि. सा. 1) ने निम्नलिखित क्षतियां पाईं :–

"(i) ललाट क्षेत्र के बाईं ओर एक विदीर्ण घाव, अंतर्निहित अस्थि भंग के साथ और मस्तिष्क में कुंद बल प्रभाव से उत्पन्न 2.7 सें. मी. x 2 सें. मी. आकार की क्षति ।

(ii) मस्तिष्क में कुंद बल प्रभाव से उत्पन्न 5 सें. मी. x 2 सें. मी. आकार की क्षति कारित होने के साथ और ललाट क्षेत्र के बाईं ओर एक विदीर्ण घाव ।

(iii) बाएं पार्श्विका क्षेत्र पर एक घाव है जिसमें अस्थि भंग है और मस्तिष्क में 4 सें. मी. x 2 सें. मी. आकार का घाव है जो कुंद बल के प्रहार से उत्पन्न हुआ है । दोनों ऊपरी पलकें सूजी हुई हैं और उनका रंग नीला है ।

(iv) दाहिना अंगूठा डिस्टल फलांक्स पर कुचला हुआ है, मात्र त्वचा का पृष्ठीय भाग यथावत् है । क्षति कुंद बल के प्रहार से उत्पन्न हुई है ।

(v) पेट के ऊपरी बाएं हिस्से पर त्वचा पर नीले रंग का दाग और 7 सें. मी. x 3 सें. मी. का घर्षण क्षेत्र जो कुंद बल के प्रहार से उत्पन्न हुआ है । अन्तर्निहित प्लीहा विदीर्ण पाई गई है ।

(vi) दाहिने पैर की मध्य सीमा पर त्वचा और अंतर्निहित मांसपेशियों तक कुंद बल के प्रहार से उत्पन्न 10 सें. मी. x 5 सें. मी. का घाव ।"

चिकित्सक के अनुसार मृत्यु का कारण आघात और रक्तस्राव था, जो क्षतियों के कारण हुआ था । सभी क्षतियां मृत्यु पूर्व प्रकृति और मानव वध की प्रकृति की थीं ।

6. इत्तिलाकर्ता शंभू शील की अभि. सा. 3 के रूप में परीक्षा कराई गई है जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि अपीलार्थी और मृतक उसकी दुकान में कर्मचारी थे । रात्रि में लगभग 2.00 बजे से 2.30 बजे के बीच उसके होटल के सामने स्थित सिख मंदिर के पंडित ने उसे फोन पर सूचना दी कि उसके होटल में झगड़ा हो रहा है और उसे होटल आने के लिए कहा । वह वहां तुरंत गया और यह पाया कि उसका कर्मचारी अनिल बोरा मृत पड़ा है । उसने घटनास्थल पर अभियुक्त समरा तंती को भी देखा । उसके अनुसार अनिल बोरा (मृतक) और अभियुक्त/अपीलार्थी (समरा तंती) के बीच झगड़ा हुआ था ।

7. राम बहादुर छेत्री (अभि. सा. 4) घटना का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जो शंभू शील (अभि. सा. 3) का कर्मचारी था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि रात्रि में लगभग 2 बजे जब वह होटल में शोरगुल सुनकर निद्रा से जागा तब उसने देखा कि अभियुक्त समरा तंती मृतक अनिल बोरा पर लोहे की रॉड से हमला कर रहा था । उसने अपीलार्थी को रोकने का प्रयास किया लेकिन उसने भी उस पर हमला करने की कोशिश की और इसलिए अभि. सा. 4 भयभीत होकर वहां से भाग गया । उसने मृतक के सिर पर क्षति के चिह्न भी देखे थे । प्रतिपरीक्षा के दौरान पता चला कि मृतक अभियुक्त का अपमान किया करता था ।

8. अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 घटना के पश्चात् के साक्षी हैं और उनके अनुसार उन्हें घटना के बारे में अगली सुबह पता चला ।

9. अभि. सा. 2 वह न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने अपीलार्थी का

संस्वीकृति कथन अभिलिखित किया है जिसे प्रदर्श-2 के रूप में साबित किया गया है । न्यायिक मजिस्ट्रेट (अभि. सा. 2) ने संस्वीकृति कथन अभिलिखित करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से साक्ष्य दिया है । उसने यह भी कथन किया है कि इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि अभियुक्त स्वेच्छा से संस्वीकृति कथन देने के लिए तैयार था, उसने अपीलार्थी के संस्वीकृति कथन को अभिलिखित किया । यद्यपि, इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा कराई गई लेकिन उसके द्वारा अभिलिखित किए गए संस्वीकृतिक कथन में कोई खामी निकालने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त नहीं ही सकी । अभि. सा. 2 द्वारा अभिलिखित किए गए संस्वीकृति कथन में अपीलार्थी ने निम्नानुसार कथन किया है :–

> "मैं लगभग एक माह पूर्व नौकरी की तलाश में मर्घरिटा आया था और मर्घरिटा मार्केट में नदी के किनारे स्थित एक होटल में कार्य करना आरंभ किया । लगभग 15 दिन पूर्व मेरा उसी होटल में कार्य करने वाले एक लड़के अनिल से झगड़ा हो गया और उसने मुझे मुक्का मारा । उसके पश्चात् कभी-कभी मेरा उससे झगड़ा होता रहता था । तारीख 7 नवंबर, 2006 को सुबह लगभग 3 बजे अनिल और मेरे बीच एक छोटी-सी बात पर झगड़ा हुआ । उस समय हम मदिरा का सेवन कर रहे थे । जब अनिल ने मुझे धक्का दिया तो मैंने उसके सिर पर लोहे की छड़ से वार किया और फिर वह भूमि पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई । भूमि पर गिरने से पूर्व जब उसने वह लोहे की छड़ी फेंकी तो मेरी पीठ पर चोट लग गई ।"

10. अभि. सा. 7, अन्वेषण अधिकारी है जिसके द्वारा दिया गया परिसाक्ष्य लगभग औपचारिक है और अन्वेषण के दौरान उसके द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों तक ही सीमित है ।

11. उपरोक्त साक्ष्यों विशेषकर अभि. सा. 4 द्वारा दिए मौखिक परिसाक्ष्य और अभियुक्त/अपीलार्थी के संस्वीकृति कथन को ध्यान में रखते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया और उपरोक्त रूप में दंडादिष्ट किया ।

12. विद्वान् न्यायमित्र ने विद्वान् विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष का विरोध नहीं किया है कि मृतक की मृत्यु अपीलार्थी द्वारा पहुंचाई गई क्षति के कारण हुई है । तथापि, विद्वान् न्यायमित्र द्वारा यह दलील दी गई है कि अपीलार्थी की ओर से कोई पूर्व-योजना नहीं थी और उसने झगड़े के दौरान आवेश की तीव्रता में क्षति पहुंचाई है और इस प्रकार अपीलार्थी की दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभिलिखित नहीं की जानी चाहिए थी । विद्वान् न्यायमित्र ने यह दलील दी है कि अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर बहुत से बहुत धारा 304 भाग-II के अधीन दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती थी ।

13. विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री एम. फुकन ने भी बहुत निष्पक्षता से दलील दी है कि यह हत्या का मामला नहीं है, बल्कि हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध है और इस प्रकार हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड संहिता की धारा 304 भाग-I के अधीन दंड अधिरोपित किया जा सकता है ।

14. स्वीकृततः, अपीलार्थी, मृतक और अभि. सा. 4, शंभू शील (अभि. सा. 3) के होटल में कर्मचारी थे और घटना की रात्रि में सभी होटल में एक साथ थे । अभि. सा. 4 अर्थात् घटना के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अनुसार जब वह चीख-पुकार (हल्ला) सुनकर उठा तो उसने देखा कि अपीलार्थी मृतक को रॉड से मार रहा था । अभि. सा. 3 के अनुसार उसे उसकी दुकान के पास स्थित सिख मंदिर के पंडित ने बताया कि उसकी दुकान में झगड़ा हो रहा है और उसने उसे तुरंत आने के लिए कहा । संस्वीकृति कथन में अभियुक्त/अपीलार्थी ने यह उल्लेख किया है कि उसके और मृतक के बीच मामूली-सी बात पर झगड़ा हुआ और इस झगड़े के दौरान मृतक ने उसे मुक्का मारा था । जब मृतक ने उसे धक्का दिया तो उसने गुस्से में आकर लोहे की छड़ से पीड़ित पर हमला कर दिया । उसने अपने संस्वीकृति कथन में यह भी उल्लेख किया गया है कि घटना के समय दोनों मत्तता की स्थिति में थे । इस प्रकार अभियुक्त/अपीलार्थी का संस्वीकृतिक कथन जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट

(अभि. सा. 2) द्वारा यथाविधि अभिलिखित किया गया था, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (अभि. सा. 4) के कथनों के साथ साथ अभि. सा. 3 के द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए प्रकथन का भी समर्थन करता है कि हमले की घटना झगड़े और आपसी लड़ाई के दौरान हुई थी। अभिलेख में ऐसा कुछ भी विद्यमान नहीं है जिससे अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति की स्वैच्छिकता पर संदेह हो और संस्वीकृति की सत्यता की पुष्टि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के मौखिक परिसाक्ष्य से भी होती है । इस प्रकार, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 3 का मौखिक परिसाक्ष्य, अभियुक्त के संस्वीकृतिक कथन के साथ मिलकर पर्याप्त रूप से यह स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़ा और लड़ाई हुई थी और झगड़े के दौरान अपीलार्थी ने आवेश की तीव्रता में मृतक पर लोहे की छड़ से प्रहार किया । इस प्रकार, संपूर्ण साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित होता है कि अपीलार्थी की ओर से कोई पूर्व-योजना नहीं बनाई गई थी तथा झगड़ा होने पर आवेश की तीव्रता में अचानक हमला किया गया था ।

15. निश्चित रूप से, अपीलार्थी ने पीड़ित पर लोहे की ऐसी रॉड से हमला किया जो सामान्य रूप से किसी भी घर में उपलब्ध होती है । साक्ष्य, विशेष रूप से अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल किया गया आयुध और क्षति की प्रकृति से यह पता नहीं चलता है कि अपीलार्थी ने क्रूरता से कृत्य किया है या कोई अनुचित लाभ उठाया है । इसलिए, जब हमला अचानक झगड़े के दौरान आवेश की तीव्रता से बिना पूर्व-योजना के किया गया है और अपीलार्थी ने भी कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया है और न ही क्रूरता से कार्य किया है, इसलिए वर्तमान मामला पूरी तरह से दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद (4) की परिधि में आता है । यद्यपि, सिर पर लगी तीन क्षतियों और प्रयोग किए गए आयुध को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी का आशय मृत्यु कारित करने या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का नहीं था जिससे मृत्यु संभाव्य हो । इस प्रकार साक्ष्य का संचयी रूप से परिशीलन करने पर, हमारा यह विचार है कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि

कायम रखे जाने योग्य नहीं है । इसलिए हम अपीलार्थी की दंड संहिता की धारा 302 के अधीन की गई दोषसिद्धि को अपास्त करते हैं और इसके स्थान पर उसे दंड संहिता की धारा 304 भाग-I के अधीन दोषसिद्ध करते हैं । अभिलेख से पता चलता है कि अपीलार्थी 14 वर्ष से अधिक समय से अभिरक्षा में है । इसलिए हमारे विचार से अपीलार्थी ने अन्वेषण और विचारण के दौरान अभिरक्षा में जो अवधि पूर्व में ही भोग ली है, वह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी । तद्नुसार, हम अपीलार्थी को पूर्व में ही भोगी गई अवधि के कारावास से दंडादिष्ट करते हैं । अगर अपीलार्थी की आवश्यकता किसी अन्य मामले में नहीं है तो उसे कारावास से तुरंत निर्मुक्त कर दिया जाए ।

16. दोषसिद्धि और दंडादेश में किए गए उपरोक्त संशोधन के साथ यह अपील भागत: मंजूर जाती है और इसका निपटारा किया जाता है ।

17. विद्वान् न्यायमित्र श्री बी. भगवती द्वारा प्रदान की गई सहायता की सराहना करते हुए, हम यह उपबंध करते हैं कि वे व्यावसायिक शुल्क के रूप में 7,500/- रुपए के हकदार होंगे जो उन्हें इस निर्णय की एक प्रति प्रस्तुत करने पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा संदत्त की जाएगी ।

18. निचले न्यायालय के अभिलेखों को इस आदेश के अनुपालन हेतु वापस भेजा जाए ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

जा./अस.

---

# अरविन्द यादव मार्फत पैरोकार

बनाम

# दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र, सरकार

(2021 का जमानत आवेदन सं. 1416)

तारीख 6 जुलाई, 2021

**न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता**

**स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 37 और धारा 52क – पुलिस दल द्वारा एक गोपनीय सूचना के आधार पर आवेदक को रंगे-हाथों कोकीन के साथ एक वाहन का चालन करते हुए गिरफ्तार किया जाना – आवेदक द्वारा, अन्य बातों के साथ, उसे मामले में मिथ्या फंसाए जाने, धारा 52क के उपबंधों का अनुपालन न किए जाने तथा अपनी पत्नी के अस्वस्थ होने के आधारों पर जमानत/अंतरिम जमानत मंजूर करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना कि मिथ्या फंसाए जाने के आधार पर केवल विचारण के दौरान ही विचार किया जा सकता है तथा धारा 52क प्रतिषिद्ध पदार्थों के, उनके अभिग्रहण के पश्चात् व्ययन से संबंधित है और उसका समुचित रूप से पालन न किए जाने से किसी भी प्रकार से विचारण दूषित नहीं हुआ है और जहां तक आवेदक की पत्नी के अस्वस्थ होने का संबंध है, नवीनतम चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार उसकी शल्यक्रिया हो चुकी है तथा उसके घाव भर गए हैं और उसका स्वास्थ्य स्थिर है इसलिए उच्च न्यायालय को ऐसा कोई आधार प्रतीत नहीं होता है जिसका अवलंब लेकर आवेदक को जमानत/अंतरिम जमानत मंजूर की जा सके, अत: जमानत आवेदन खारिज किया गया ।**

वर्तमान मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 14 मार्च, 2019 को रात्रि लगभग 9.45 बजे

नारकोटिक्स प्रकोष्ठ, अपराध शाखा के कार्यालय में सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार को यह गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि अरविंद और मोनू नामक दो व्यक्ति, जो मुनिरका में निवास कर रहे थे, अपने एक श्रीकांत नामक साथी के साथ दिल्ली में कोकीन की थोक आपूर्ति तथा खुदरा विक्रय के कारबार में संलिप्त हैं और ये व्यक्ति रात्रि 11.00 बजे से 12.00 बजे मध्यरात्रि के बीच एसडीएम गीता कॉलोनी के कार्यालय के समीप किसी व्यक्ति को कोकीन की आपूर्ति करने हेतु आएंगे और यदि छापा मारा जाता है तो अभियुक्त को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया जा सकता है । यह गोपनीय सूचना देने वाले व्यक्ति को तत्कालीन निरीक्षक, नारकोटिक्स प्रकोष्ठ के समक्ष रात्रि 10.00 बजे के लगभग प्रस्तुत किया गया, जिसने जांच-पड़ताल करने के पश्चात् टेलीफोन के माध्यम से नारकोटिक्स प्रकोष्ठ के सहायक पुलिस आयुक्त को इस संबंध में सूचित किया तथा इस सूचना को रात्रि लगभग 10.20 बजे डीडी सं. 26 के माध्यम से लेखबद्ध करने के पश्चात् एक छापामार दल तैयार किया गया और उसके पश्चात् वह दल 10.35 बजे डीडी सं. 27 के माध्यम से थाने से छापा मारने हेतु निकला और उस समय वे लोग आईओ, थैले, क्षेत्र परीक्षण किट, इलैक्ट्रॉनिक भारतोलन मशीन के साथ एक निजी यान में निकले, जिसका चालन कांस्टेबल पंकज द्वारा किया जा रहा था और गोपनीय इत्तिला देने वाला व्यक्ति भी छापे के दौरान उनके साथ था । छापामार दल लगभग 11.00 बजे एसडीएम, गीता कॉलोनी, दिल्ली के कार्यालय के समीप स्थित घटनास्थल पर पहुंचा । रात्रि लगभग 11.30 बजे एक सिल्वर रंग का स्कॉर्पियो यान, जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्याक डीएल-8सी-एक्यू-9099 था, पुश्ता रोड की ओर से एसडीएम कार्यालय की ओर आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे । गोपनीय इत्तिलाकर्ता ने यान में बैठे व्यक्तियों की शनाख्त की और उसके पश्चात् यान को रोका गया तथा दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया । उन दोनों व्यक्तियों ने क्रमश: अपने नाम मोहन राय अरोड़ा **उर्फ** मोनू तथा अरविंद यादव बताया । यान की तलाशी लेने पर, कार के डैश बोर्ड से एक काले रंग का

पॉलिथिन पैकेट बरामद किया गया । उक्त काले रंग के पॉलिथिन पैकेट में दो पारदर्शी पॉलिथिन पैकेट अंतर्विष्ट थे, जिसमें सफेद रंग का पाउडर जैसा पदार्थ भरा था, जिसकी क्षेत्र परीक्षण किट के माध्यम से परीक्षा करने के पश्चात् यह पाया गया कि वह पदार्थ कोकीन था । दोनों पैकेटों से नमूने भरे गए तथा नमूनों और प्रतिषिद्ध पदार्थ का अभिग्रहण करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया गया । दोनों अभियुक्त व्यक्तियों की जामा तलाशी किए जाने के पूर्व उन्हें सम्यक् रूप से किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लिए जाने के उनके विधिक अधिकार के संबंध में सूचित किया गया और साथ ही उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे अपनी तलाशी से पूर्व पुलिस दल के सदस्यों और पुलिस यान की तलाशी ले सकते थे, किन्तु उन्होंने इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया । उन दोनों व्यक्तियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अधीन लिखित सूचनाओं की तामील की गई, जिसके संबंध में उन्होंने स्वयं के हस्तलेख में उत्तर दिए तथा उन पर हस्ताक्षर किए । प्रतिषिद्ध पदार्थ के परिवहन के लिए प्रयुक्त स्कॉर्पियो यान का भी एक पृथक् अभिग्रहण ज्ञापन के माध्यम से अभिग्रहण किया गया और उसके पश्चात् ऊपर उल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रजिस्टर किया गया । तीसरे अभियुक्त, जो पूर्वोक्त प्रतिषिद्ध व्यापार में आवेदक के साथ संलिप्त था, अर्थात् श्रीकांत रंगनाथ को भी गिरफ्तार किया गया तथा इस संबंध में एक अनुपूरक आरोप पत्र भी फाइल किया गया । न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार "रासायनिक, पीएलसी और जीसी-एमएस परीक्षा किए जाने पर प्रदर्श ए-1 और प्रदर्श बी-1 में क्रमश: 22.9 प्रतिशत और 59.4 प्रतिशत कोकीन पाई गई । आवेदक की सीडीआर की एक प्रति अभिलेख पर रखी गई है, जिससे एसडीएम कार्यालय, प्रीत विहार के निकट गिरफ्तारी के समय याची की लोकेशन दर्शित होती है तथा यह तथ्य भी प्रकट होता है कि वह लगातार सह-अभियुक्त मोहन राय के संपर्क में था । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों और तर्कों को सुनने के पश्चात् आवेदन को खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – वर्तमान जमानत आवेदन के माध्यम से आवेदक द्वारा यह पक्षकथन प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का सायं 6.30 बजे से 7.30 बजे के बीच मुनिरका स्थित उसके घर के निकट व्यपहरण किया गया, जहां से आवेदक की महिन्द्रा स्कॉर्पियो कार जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. डीएल 8सी एक्यू 9099 था, का चालन दो पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया और आवेदक को उक्त यान की पिछली सीट पर बिठाया गया था । इसके अतिरिक्त, एक अन्य पुलिस अधिकारी, जो एक हुंडई सैंट्रो का चालन कर रहा था, उनके पीछे-पीछे चल रहा था । आवेदक को सर्वप्रथम पुलिस थाना कोतवाली, अपराध शाखा ले जाया गया और वहां से उसे गीता कॉलोनी ले जाया गया, जहां उसे वर्तमान मामले में मिथ्या फंसाया गया । इस दावे को साबित करने के लिए आवेदक द्वारा यह कथन किया गया है कि उसके मोबाइल फोन को सायं लगभग 7.21 बजे बंद कर दिया गया था और उसके पश्चात् उसे केवल रात्रि 11.00 बजे चालू किया गया । आवेदक द्वारा उठाए गए मिथ्या रूप से मामले में फंसाए जाने से संबंधित विवाद्यक के संबंध में यह न्यायालय उस रीति में निर्वचन या अनुमान नहीं लगा सकता, जैसे कि आवेदक द्वारा वांछा की गई क्योंकि इस विवाद्यक पर विचारण न्यायालय द्वारा उस समय विचार किया जाएगा, जब अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के विरुद्ध उसके पास उपलब्ध सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत कर दिया हो तथा सारवान् साक्षियों की पहलू के संबंध में प्रतिपरीक्षा कर ली गई हो । वर्तमान मामले में मुख्य विवाद्यक यह है कि क्या स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के व्ययन हेतु लागू इस प्रक्रिया का अनुपालन न करने से या मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में अभिग्रहण के तुरंत पश्चात् तथा उन्हें मालखाने में जमा किए जाने से पूर्व नमूने प्राप्त करने और उन्हें आरोप पत्र फाइल किए जाने के प्रयोजन हेतु प्रतिषिद्ध पदार्थ की प्रकृति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजने से विचारण दूषित होगा अथवा नहीं । अधिनियम में किए गए उपबंध किसी ओषधि के अभिग्रहण के पश्चात् उसका व्ययन करने से संबंधित हैं, जिससे उसे प्रतिस्थापित करने या उसका दुरुपयोग करने की संभावना को दूर किया जा सके तथा उसके द्वारा कारित किए

जाने वाले परिसंकट से बचा जा सके । किसी भी रूप से यह प्रतिपादित नहीं किया गया है कि घटनास्थल पर ही नमूने प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया अविधिपूर्ण है और उससे विचारण दूषित होता है । इस मामले में अंतर्वलित जटिलता से सचेत होते हुए यह उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार के किसी विरोधाभास का समाधान निर्वचन के प्रथम सिद्धांतों के आधार पर कानून के पक्ष में किया जाना चाहिए, किन्तु कानूनी अधिसूचना को उसके वर्तमान स्वरूप में बनाए रखने से संबद्ध प्राधिकारियों/प्राधिकरणों की उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने की बजाय उनके मन में संदेह उत्पन्न होगा । वर्तमान आवेदन के माध्यम से आवेदक ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क के अननुपालन के आधार पर जमानत मंजूर किए जाने की प्रार्थना की है, तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के अभिग्रहण के तुरंत पश्चात् तथा उन्हें मालखाने में जमा किए जाने से पूर्व नमूने प्राप्त करने और आरोप पत्र फाइल किए जाने के प्रयोजन हेतु प्रतिषिद्ध पदार्थ की प्रकृति को अभिनिश्चित करने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजने से विचारण दूषित नहीं हुआ है और क्या नमूने प्राप्त करने की संतता मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति के कारण दूषित थी, यह एक ऐसा विवाद्यक है जिसके संबंध में विचारण के दौरान विचार किया जाएगा । अत:, उच्च न्यायालय को ऐसा कोई समुचित आधार प्रतीत नहीं होता है जिसके कारण आवेदक को जमानत मंजूर की जा सके । जहां तक आवेदक द्वारा इस आधार पर अंतरिम जमानत मंजूर किए जाने हेतु प्रार्थना किए जाने का संबंध है कि उसकी पत्नी अस्वस्थ है, आवेदक ने अपनी पत्नी श्रीमती रेखा यादव की डिस्चार्ज रिपोर्ट की प्रति संलग्न की है, जिसमें उसे उसके दाएं नितम्ब के सर्विकोट्रोचेन्टेरिक अस्थिभंग के लिए शल्य क्रिया कराने की सलाह दी गई थी और उक्त शल्य क्रिया सितम्बर, 2020 में की गई थी तथा प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार रोगी की शल्क क्रिया हो गई है और वह क्षति से उबर गई है तथा उसका स्वास्थ्य अब स्थिर बना हुआ है । इसके अतिरिक्त, आवेदक ने तारीख 31 मार्च, 2021 को आत्मसमर्पण

किया था और इस प्रकार उससे पूर्व उसके पास अपनी पत्नी की देखभाल करने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध था । जहां तक आवेदक की स्वयं की चिकित्सीय स्थिति का संबंध है, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों से इस प्रकार का कोई सुझाव प्राप्त नहीं होता है कि उसे तुरंत चिक्त्सीय उपचार या अस्पताल में दाखिल कराने की आवश्यकता है । इस प्रकार, इस न्यायालय को आवेदक को अंतरिम जमानत मंजूर करने हेतु भी कोई पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है । अत:, आवेदन खारिज किया जाता है । (पैरा 8, 12, 13, 14 और 15)

**निर्दिष्ट निर्णय**

पैरा

[2016] (2016) 3 एस. सी. सी. 379 :
**भारत संघ** बनाम **मोहन लाल और अन्य** । 2, 4, 10, 12

**मूल (दांडिक) अधिकारिता : 2021 का जमानत आवेदन सं. 1416.**

वर्तमान जमानत आवेदन के माध्यम से आवेदक ने पुलिस थाना अपराध शाखा में रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 61/2019 से संबंधित मामले में नियमित जमानत का आवेदन किया है ।

**आवेदक की ओर से** श्री त्रिदीप पायस, वरिष्ठ अधिवक्ता, (सर्वश्री देबाशीष चौहान, सान्या कुमार, शाश्वत ध्यानी और शाश्वत सिंह के साथ)

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री अमित गुप्ता, अपर लोक अभियोजक, (पुलिस थाना अपराध शाखा के उप निरीक्षक अरविन्द कुमार के साथ)

**न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता** – वर्ष 2021 के जमानत आवेदन सं. 1416 के माध्यम से आवेदक ने स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'एनडीपीएस अधिनियम' कहा गया है) की धारा 21/25/29 के अधीन

पुलिस थाना अपराधा शाखा में रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 61/2019 से संबंधित मामले में नियमित जमानत और वैकल्पिक रूप से अपनी अस्वस्थता के आधार पर अंतरिम जमानत मंजूर किए जाने की ईप्सा की है ।

2. आवेदक की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद प्रस्तुत किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रजिस्ट्रीकृत करने के तुरंत पश्चात्, न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 91 के अधीन एक आवेदन फाइल करके यह अनुरोध किया गया था कि आवेदक, सह-अभियुक्त और छापा मारने वाले दल के सदस्यों के मोबाइल फोन कॉल अभिलेखों को उपलब्ध कराया जाए, जिससे यह दर्शित होगा कि घटना की तारीख अर्थात् 14 मार्च, 2019 को समय की एक विशिष्ट अवधि के दौरान सभी मोबाइल फोन, जिनमें आवेदक, सह-अभियुक्त और छापा मारने वाले दल के सदस्य सम्मिलित हैं, बंद थे । आवेदक को वस्तुतः, उसके घर से उठाया गया था और उसे मिथ्या रूप से इस मामले में फंसाया गया है । आवेदक से की गई बरामदगी की रीति भी अत्यंत दूषित है और उससे स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है । आवेदक से की गई बरामदगी में किसी भी लोक साक्षी को सहबद्ध नहीं किया गया है । एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क का अनुपालन नहीं किया गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **भारत संघ** बनाम **मोहन लाल और अन्य**[1] वाले मामले, जिसका अनुसरण इस न्यायालय द्वारा प्रायः किया गया है, में दिए गए निर्णय के निबंधनानुसार मात्र इस आधार पर ही आवेदक को जमानत पर निर्मुक्त किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, निर्मल कुमार जाना बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य (सीआरएल ए. 543/2008) वाले मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय का भी अवलंब लिया गया है ।

3. जहां तक चिकित्सीय आधारों पर अंतरिम जमानत मंजूर किए

[1] (2016) 3 एस. सी. सी. 379.

जाने का संबंध है, यह प्रतिवाद किया गया है कि आवेदक विभिन्न श्वासजनित रोगों से ग्रस्त है, जिनमें अस्थमा रोग भी सम्मिलित है तथा उसके लिए केन्द्रीय कारागार अस्पताल मंडोली में भी उसका उपचार चल रहा था, जहां उसे विभिन्न प्रकार की औषधियां लेने की सलाह दी गई थी । आवेदक को कारागर में बंद रखने के कारण उसकी पत्नी पर भौतिक और मानसिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । आवेदक की पत्नी गंभीर गठिया, अवसाद रोग से पीड़ित है तथा उसकी हाल ही भी नितम्ब शल्य चिकित्सा हुई है और उसे देखभाल की आवश्यकता है । दूसरे आवेदक को तारीख 22 अप्रैल, 2020 के एक आदेश द्वारा अंतरिम जमानत मंजूर की गई थी जिसका समय-समय पर विस्तारण किया गया है । आवेदक की अंतरिम जमानत को भी आगे और विस्तारित किया गया था और विस्तारण की अवधि पूरा होने के पश्चात् उसने तारीख 31 मार्च, 2021 को आत्मसमर्पण किया था ।

4. राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने इस न्यायालय का ध्यान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कथित तथ्यों की ओर आकर्षित किया है । उन्होंने यह दलील प्रस्तुत की है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में फाइल की गई प्रास्थिति रिपोर्ट में सीडीआर विश्लेषण को भी उल्लिखित किया गया है तथा सीडीआर प्रतियों को अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न किया गया है, जिससे स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि आवेदक सतत् रूप से सह-अभियुक्त मोहन राय अरोड़ा **उर्फ** मोनू के साथ उसके मोबाइल न. 8860127771 पर संपर्क में था । तारीख 14 मार्च, 2019 को रात्रि 7.10 बजे से 11.22 बजे के बीच आवेदक और सह-अभियुक्त द्वारा सात बार फोन कॉल के माध्यम से बातचीत की गई थी । आवेदक के सीडीआर से यह दर्शित होता है कि तारीख 14 मार्च, 2019 को रात्रि 11.32 बजे वह घटनास्थल पर मौजूद था, जहां सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार के नेतृत्व में छापामार दल ने रात्रि 11.35 बजे उसे सह-अभियुक्त मोहन राय अरोड़ा के साथ गिरफ्तार किया था । इस प्रकार, आवेदक द्वारा मिथ्या रूप से फंसाए जाने का कोई पक्षकथन प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा आवेदक द्वारा उठाए गए प्रतिवाद के संबंध में

वर्तमान जमानत आवेदन पर कार्यवाही करते समय तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि साक्षियों ने अपनी प्रतिपरीक्षा में तथ्यों को स्पष्ट न कर दिया हो । आवेदक की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क का अनुपालन किया गया है और इसलिए यह बात सत्य नहीं है कि आवेदक जमानत के लिए हकदार है । एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क विचारण के दौरान या अपील किए जाने के प्रक्रम पर स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ का अंतिम रूप से व्ययन किए जाने के संबंध में लागू होती है । एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क का प्रयोजन अभिगृहीत स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थों का सुरक्षित रूप से व्ययन करना और उसे नष्ट करना है जिससे उसे पुन: चक्रित करके पुन: उपयोग में लाने की संभावना को समाप्त किया जा सके । आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा लिया गया **भारत संघ** बनाम **मोहन लाल और अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले का अवलंब भ्रामक है और वह मामला वर्तमान मामलों के तथ्यों के संबंध में लागू नहीं होता है । इसके अतिरिक्त, आवेदक ने अंतरिम जमानत मंजूर किए जाने के लिए भी कोई पक्षकथन प्रस्तुत नहीं किया है क्योंकि आवेदक से संबंधित किसी चिकित्सा रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि अस्थमा के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है । इसके अतिरिक्त, आवेदक की पत्नी की शल्य चिकित्सा सितम्बर, 2020 में हुई थी और अब उसकी पत्नी की आगे और शल्य क्रिया अपेक्षित नहीं है । एनडीपीएस अधिनियम के अनुसार वाहन सं. डीएल 8सी एक्यू 9099 की, जिसमें बैठकर आवेदक सह-अभियुक्त मोहन राय अरोड़ा के साथ घटनास्थल पर पहुंचा था, तलाशी से बरामद की गई 400 ग्राम कोकीन वाणिज्यिक प्रकृति की है । इसके अतिरिक्त, आवेदक ने अपने बैंक खाते से 8,00,000/- रुपए की राशि सह-अभियुक्त श्रीकांत रंगनाथन के बैंक खाते में अंतरित की थी, जिससे कि वह विदेश यात्रा कर सके ।

5. संक्षेप में ऊपर उल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 14 मार्च, 2019 को रात्रि लगभग 9.45 बजे नारकोटिक्स प्रकोष्ठ, अपराध शाखा के कार्यालय में

सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार को यह गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि अरविंद और मोनू नामक दो व्यक्ति, जो मुनिरका में निवास कर रहे थे, अपने एक श्रीकांत नामक साथी के साथ दिल्ली में कोकीन की थोक आपूर्ति तथा खुदरा विक्रय के कारबार में संलिप्त हैं और ये व्यक्ति रात्रि 11.00 बजे से 12.00 बजे मध्यरात्रि के बीच एसडीएम गीता कॉलोनी के कार्यालय के समीप किसी व्यक्ति को कोकीन की आपूर्ति करने हेतु आएंगे और यदि छापा मारा जाता है तो अभियुक्त को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया जा सकता है । यह गोपनीय सूचना देने वाले व्यक्ति को तत्कालीन निरीक्षक, नारकोटिक्स प्रकोष्ठ के समक्ष रात्रि 10.00 बजे के लगभग प्रस्तुत किया गया, जिसने जांच-पड़ताल करने के पश्चात् टेलीफोन के माध्यम से नारकोटिक्स प्रकोष्ठ के सहायक पुलिस आयुक्त को इस संबंध में सूचित किया तथा इस सूचना को रात्रि लगभग 10.20 बजे डीडी सं. 26 के माध्यम से लेखबद्ध करने के पश्चात् एक छापामार दल तैयार किया गया और उसके पश्चात् वह दल 10.35 बजे डीडी सं. 27 के माध्यम से थाने से छापा मारने हेतु निकला और उस समय वे लोग आईओ, थैले, क्षेत्र परीक्षण किट, इलैक्ट्रॉनिक भारतोलन मशीन के साथ एक निजी यान में निकले, जिसका चालन कांस्टेबल पंकज द्वारा किया जा रहा था और गोपनीय इत्तिला देने वाला व्यक्ति भी छापे के दौरान उनके साथ था । छापामार दल लगभग 11.00 बजे एसडीएम, गीता कॉलोनी, दिल्ली के कार्यालय के समीप स्थित घटनास्थल पर पहुंचा । रात्रि लगभग 11.30 बजे एक सिल्वर रंग का स्कॉर्पियो यान, जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्याक डीएल 8सी एक्यू 9099 था, पुश्ता रोड की ओर से एसडीएम कार्यालय की ओर आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे । गोपनीय इत्तिलाकर्ता ने यान में बैठे व्यक्तियों की शनाख्त की और उसके पश्चात् यान को रोका गया तथा दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया । उन दोनों व्यक्तियों ने क्रमश: अपने नाम मोहन राय अरोड़ा **उर्फ** मोनू तथा अरविंद यादव बताया ।

6. यान की तलाशी लेने पर, कार के डैश बोर्ड से एक काले रंग का पॉलिथिन पैकेट बरामद किया गया । उक्त काले रंग के पॉलिथिन पैकेट में दो पारदर्शी पॉलिथिन पैकेट अंतर्विष्ट थे, जिसमें सफेद रंग का पाउडर

जैसा पदार्थ भरा था, जिसकी क्षेत्र परीक्षण किट के माध्यम से परीक्षा करने के पश्चात् यह पाया गया कि वह पदार्थ कोकीन था । दोनों पैकेटों से नमूने भरे गए तथा नमूनों और प्रतिषिद्ध पदार्थ का अभिग्रहण करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया गया । दोनों अभियुक्त व्यक्तियों की जामा तलाशी किए जाने के पूर्व उन्हें सम्यक् रूप से किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लिए जाने के उनके विधिक अधिकार के संबंध में सूचित किया गया और साथ ही उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे अपनी तलाशी से पूर्व पुलिस दल के सदस्यों और पुलिस यान की तलाशी ले सकते थे, किन्तु उन्होंने इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया । उन दोनों व्यक्तियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अधीन लिखित सूचनाओं की तामील की गई, जिसके संबंध में उन्होंने स्वयं के हस्तलेख में उत्तर दिए तथा उन पर हस्ताक्षर किए । प्रतिषिद्ध पदार्थ के परिवहन के लिए प्रयुक्त स्कॉर्पियो यान का भी एक पृथक् अभिग्रहण ज्ञापन के माध्यम से अभिग्रहण किया गया और उसके पश्चात् ऊपर उल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रजिस्टर किया गया । तीसरे अभियुक्त, जो पूर्वोक्त प्रतिषिद्ध व्यापार में आवेदक के साथ संलिप्त था, अर्थात् श्रीकांत रंगनाथ को भी गिरफ्तार किया गया तथा इस संबंध में एक अनुपूरक आरोप पत्र भी फाइल किया गया ।

7. न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार "रसायनिक, पीएलसी और जीसी-एमएस परीक्षा किए जाने पर प्रदर्श ए-1 और प्रदर्श बी-1 में क्रमश: 22.9 प्रतिशत और 59.4 प्रतिशत कोकीन पाई गई । आवेदक की सीडीआर की एक प्रति अभिलेख पर रखी गई है, जिससे एसडीएम कार्यालय, प्रीत विहार के निकट गिरफ्तारी के समय याची की लोकेशन दर्शित होती है तथा यह तथ्य भी प्रकट होता है कि वह लगातार सह-अभियुक्त मोहन राय के संपर्क में था ।

8. वर्तमान जमानत आवेदन के माध्यम से आवेदक द्वारा यह पक्षकथन प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का सायं 6.30 बजे से 7.30 बजे के बीच मुनिरका स्थित उसके घर के निकट व्यपहरण किया गया,

जहां से आवेदक की महिन्द्रा स्कॉर्पियो कार जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. डीएल 8सी एक्यू 9099 था, का चालन दो पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया और आवेदक को उक्त यान की पिछली सीट पर बिठाया गया था । इसके अतिरिक्त, एक अन्य पुलिस अधिकारी, जो एक हुंडई सैंट्रो का चालन कर रहा था, उनके पीछे-पीछे चल रहा था । आवेदक को सर्वप्रथम पुलिस थाना कोतवाली, अपराध शाखा ले जाया गया और वहां से उसे गीता कॉलोनी ले जाया गया, जहां उसे वर्तमान मामले में मिथ्या फंसाया गया । इस दावे को साबित करने के लिए आवेदक द्वारा यह कथन किया गया है कि उसके मोबाइल फोन को सायं लगभग 7.21 बजे बंद कर दिया गया था और उसके पश्चात् उसे केवल रात्रि 11.00 बजे चालू किया गया, जब कि प्रत्यर्थी-राज्य के अनुसार आवेदक और सह-अभियुक्त मोहन राय के बीच तारीख 14 मार्च, 2019 को सायं 7.10 बजे से रात्रि 11.22 बजे के बीच सात फोन कॉल की गई थी और रात्रि 11.30 बजे आवेदक घटनास्थल पर मौजूद था । आवेदक द्वारा उठाए गए मिथ्या रूप से मामले में फंसाए जाने से संबंधित विवाद्यक के संबंध में यह न्यायालय उस रीति में निर्वचन या अनुमान नहीं लगा सकता, जैसे कि आवेदक द्वारा वांछा की गई क्योंकि इस विवाद्यक पर विचारण न्यायालय द्वारा उस समय विचार किया जाएगा, जब अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के विरुद्ध उसके पास उपलब्ध सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत कर दिया हो तथा सारवान् साक्षियों की पहलू के संबंध में प्रतिपरीक्षा कर ली गई हो ।

9. आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह प्रतिवाद भी किया गया है कि प्रारंभ में प्रमाणपत्र में हेरोइन शब्द का उल्लेख किया गया था, जिसे उसके पश्चात् काट दिया गया तथा कोकीन शब्द को जोड़ दिया गया । इसके अतिरिक्त, डीडी प्रविष्टि में भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि छापामार दल अपने साथ क्षेत्र परीक्षण किट लेकर गया था । यह तथ्य कि प्रमाणपत्र में काटा-पीटी की गई है, जहां प्रारंभ में हेरोइन शब्द का उपयोग किया गया था और क्षेत्र परीक्षण किट को छापामार दल द्वारा अपने साथ नहीं ले जाया गया था, ये ऐसे विवाद्यक हैं जो

वर्तमान मामले के संबंध में संदेह उत्पन्न करते हैं तथा जमानत मंजूर किए जाने को वांछनीय बनाते हैं ।

10. जहां तक आवेदक की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क के संबंध में किए गए अभिवाक् का संबंध है, **भारत संघ** बनाम **मोहन लाल और अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार संप्रेक्षण किया है :–

> "12. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क(1) केन्द्रीय सरकार को एक अधिसूचना द्वारा स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के अभिग्रहण, भंडारण और व्ययन के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को अधिसूचित करने हेतु सशक्त करती है । केन्द्रीय सरकार ने उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए वर्ष 1989 का स्थायी आदेश सं. 1 जारी किया है, जो प्रतिषिद्ध पदार्थों का अभिग्रहण करते समय अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विहित करता है । इसके अतिरिक्त, दो पश्चात्वर्ती स्थायी आदेश, अर्थात् तारीख 10 मई, 2007 का आदेश तथा तारीख 16 जनवरी, 2015 का दूसरा आदेश अभिगृहीत प्रतिषिद्ध पदार्थों का व्ययन और उन्हें नष्ट किए जाने से संबंधित हैं तथा उक्त आदेश उस पूर्ववर्ती स्थायी आदेश में कोई उपांतरण या परिवृद्धि नहीं करते हैं, जिसके माध्यम से अभिग्रहण संबंधी कार्यवाहियों के संचालन के लिए प्रक्रिया विहित की गई थी । वर्ष 1989 के स्थायी आदेश सं. 1 के पैरा 2.2 में यह कथन किया गया है कि घटनास्थल पर ही बरामदगी के समय अभिगृहीत प्रतिषिद्ध पदार्थ से नमूने लिए जाने चाहिए । उक्त पैरा 2.2 निम्नानुसार है –
>
> > '2.2 सभी पैकेजों/आधानों को क्रमवार संख्यांकित किया जाएगा और उन्हें नमूने प्राप्त करने के लिए एक साथ रखा जाएगा । अभिगृहीत स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थों से नमूने बरामदगी के स्थल पर प्राप्त किए जाएंगे और प्रत्येक पैकेज से दो नमूने प्राप्त किए जाएंगे तथा ऐसा

तलाशी साक्षियों (पंच साक्षियों) तथा उन व्यक्तियों की उपस्थिति में किया जाएगा, जिनके कब्जे से स्वापक ओषधि बरामद की गई है तथा इस प्रभाव का एक उल्लेख घटनास्थल पर तैयार किए गए पंचनामे में भी किया जाना चाहिए ।'

13. तथापि, अधिकांश राज्य यह दावा करते हैं कि अभिग्रहण के समय किसी प्रकार के नमूने प्राप्त नहीं किए गए थे । अभी तक राजस्व सतर्कता निदेशालय एकमात्र ऐसा अभिकरण है, जो यह दावा करता है कि अभिग्रहण के समय नमूने प्राप्त किए जाते हैं, जबकि नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो इस बात पर बल देता है कि वह प्राय: ऐसा नहीं करता है । अत:, राज्यों या केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा नमूने प्राप्त किए जाने के संबंध में कोई एक समान व्यवहार या प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा रहा है । इस प्रकार यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां सम्यक् रूप से ऐसे कानूनी उपबंधों के आलोक में, जिनका अधिनियम के अधीन अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए समुचित उपाय किए जाने चाहिए तथा मामले के साबित हो जाने की दशा में विधि के अधीन विहित दंड को अधिरोपित किया जाना चाहिए । हम यह प्रस्ताव करते हैं कि नमूने प्राप्त करने के संबंध में वस्तुस्थिति के संबंध में संदेहों को दूर करने का प्रयास करने के लिए इस मुद्दे के संबंध में उचित कार्यवाही की जानी चाहिए ।

14. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क, जिसे वर्ष 2014 के अधिनियम संख्यांक 16 द्वारा संशोधित किया गया है, अभिगृहीत ओषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के व्ययन से संबंधित है । उक्त धारा 52क निम्नानुसार है –

**'52क. अभिगृहीत स्वापक ओषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का व्ययन –** (1) केंद्रीय सरकार, किन्हीं स्वापक ओषधियों मन: प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों के संबंध में, परिसंकटमय प्रकृति, चोरी के लिए अतिसंवेदनशीलता, प्रतिस्थापन, समुचित भंडारण स्थान की

विषमता या किसी अन्य सुसंगत महत्व को ध्यान में रखकर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी स्वापक ओषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों अथवा स्वापक ओषधियों का वर्ग, मनः प्रभावी पदार्थों का वर्ग, नियंत्रित पदार्थों का वर्ग या हस्तांतरणों का वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका, उनके अभिग्रहण के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में, जो सरकार, समय-समय पर, इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् अवधारित करे, व्ययन किया जाएगा ।

(2) जहां कोई स्वापक ओषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों को अभिगृहीत कर लिया गया है और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को भेज दिया गया है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी स्वापक ओषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों की एक तालिका तैयार करेगा जिसमें उनके वर्णन, क्वालिटी, परिमाण, पैक करने के ढंग, चिह्नांकन, संख्यांक या ऐसे स्वापक ओषधियों, मनः प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों या पैकिंग को, जिनमें वे पैक किए गए हैं, पहचान कराने वाली अन्य विशिष्टियां, उद्भव का देश और अन्य विशिष्टियों से संबंधित ऐसे अन्य ब्यौरे दिए गए हों, जिन्हें उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसी स्वापक ओषधियों, मनः प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों की पहचान के लिए सुसंगत समझे और किसी मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए आवेदन करेगा, अर्थात् –

(क) ऐसे तैयार की गई तालिका का सही होना प्रमाणित करने के लिए ; या

(ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी ओषधियों या

पदार्थों या हस्तांतरणों के फोटोचित्र लेने और ऐसे फोटोचित्रों का सही होना प्रमाणित करने के लिए ; या

(ग) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी ओषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लिए जाने की अनुज्ञा देने के लिए और ऐसे लिए गए नमूनों की किसी सूची का सही होना प्रमाणित करने के लिए ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहां ऐसा मजिस्ट्रेट यथाशक्य शीघ्र ऐसा आवेदन मंजूर करेगा ।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका, स्वापक ओषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों के फोटोचित्रों और नमूनों की सूची को, ऐसे अपराध के संबंध में, प्राथमिक साक्ष्य मानेगा ।'

15. ऊपर उद्धृत धारा 52क(2)(ग) से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिषिद्ध पदार्थ का अभिग्रहण करने के पश्चात् यह आवश्यक है कि उसे या तो निकटतम स्थित पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त अधिकारी को अग्रेषित किया जाना चाहिए, जो उक्त उपबंध में यथा अनुबंधित वस्तु सूची तैयार करेगा तथा (क) वस्तु सूची के सही होने को प्रमाणित करने के लिए, या (ख) ऐसे मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में ऐसी ओषधियों या पदार्थों या हस्तांतरणों के फोटोचित्र लेने और ऐसे फोटोचित्रों का सही होना प्रमाणित करने के लिए, या (ग) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी ओषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लिए जाने की अनुज्ञा देने के लिए और ऐसे लिए गए नमूनों की किसी सूची का सही

होना प्रमाणित करने के प्रयोजन के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

16. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क की उपधारा (3) यह अपेक्षा करती है कि मजिस्ट्रेट यथाशक्य ऐसा आवेदन मंजूर करेगा । इससे यह तात्पर्यित है कि अभिग्रहण किए जाने तथा प्रतिषिद्ध पदार्थ को निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या किसी सशक्त अधिकारी को अग्रेषित करने के पश्चात् संबंध अधिकारी विधि के अनुसार ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों, जिसमें उसकी उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूनों को प्राप्त करने के लिए अनुज्ञा प्रदान किया जाना भी है, के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन करने हेतु कर्तव्यबद्ध है और उसके पश्चात् नमूनों को सूचीबद्ध किया जाएगा तथा इस प्रकार लिए गए नमूनों की सूची के सही होने के बारे में संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित किया जाएगा । अन्य शब्दों में, नमूने प्राप्त करने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में या उसके पर्यवेक्षण के अधीन पूरी की जानी चाहिए तथा मजिस्ट्रेट को यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि अभिग्रहण तथा नमूने प्राप्त किए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया सही है ।

17. अभिग्रहण के समय मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नमूने प्राप्त किए जाने, जिसे बहुधा अनुसरित नहीं किया जाता, की प्रक्रिया के संबंध में उस समय प्रश्न नहीं उठाया जा सकता यदि उसे मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में किया गया है, किन्तु, कार्यवाही को उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया गया है । ऐसा विशेष रूप से इसलिए है कि अधिनियम की धारा 52क(4) के अनुसार यदि नमूने प्राप्त किए जाते हैं और उन्हें प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को धारा 52ग की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अनुसरण में सम्यक् रूप से मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया जाता है तो विचारण के प्रयोजन के लिए प्राथमिक साक्ष्य का गठन हो जाता है । इसलिए, यह कथन करना पर्याप्त है कि अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध अंतर्विष्ट नहीं है जो अभिग्रहण के समय नमूने

प्राप्त किए जाने को आज्ञापक बनाता हो । शायद इसलिए कोई भी राज्य यह दावा नहीं करता है कि उसके द्‌वारा अभिग्रहण के समय नमूने प्राप्त किए जाते हैं ।

18. उपरोक्त उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि नमूने प्राप्त करने की प्रक्रिया को शासित करने वाले कानूनी उपबंधों तथा केन्द्रीय सरकार द्‌वारा जारी किए गए स्थायी आदेश में परस्पर विरोधाभास विद्‌यमान हैं और ये दोनों एक-दूसरे के प्रतिकूल हैं । निर्वचन के प्राथमिक सिद्‌धांत के अनुसार इस विरोधाभास में कानून के उपबंध अभिभावी होंगे और विरोधाभास का निर्णय कानून के पक्ष में जाएगा किन्तु उसके विद्‌यमान रूप में कानूनी अधिसूचना को जारी रखे जाने से संबद्‌ध प्राधिकारियों के मन में केवल संदेह उत्पन्न होगा और उससे उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी । इसलिए, केन्द्रीय सरकार को इस मामले की पुन: समीक्षा करनी चाहिए तथा उपरोक्त दिशा में समुचित कदम उठाने चाहिए ।

19. विद्‌वान् न्यायमित्र श्री सिन्हा ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि यदि यह अनुबंध करते हुए अधिनियम का संशोधन किया जाता है कि अभिग्रहण के समय नमूने प्राप्त किया जाना संभव नहीं है तो कम से कम अभिग्रहण करने वाले अधिकारी के लिए यह आबद्‌धकर होना चाहिए कि वह नमूने प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष बिना किसी विलंब के आवेदन प्रस्तुत करे तथा संबद्‌ध मजिस्ट्रेट से सम्यक् प्रमाणपत्र प्राप्त करे । अभिग्रहण करने वाला अधिकारी अभिग्रहण की कार्यवाही को रिपोर्ट करने के लिए भी कर्तव्यबद्‌ध है तथा उसके लिए यह भी अनिवार्य है कि वह अपने उच्चतर अधिकारी को लिखित में अभिग्रहण की कार्रवाई के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करे जिससे इस संपूर्ण अभिग्रहण की कार्यवाही में कुछ जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सके, जिसकी वर्तमान में अनदेखी की गई है और इसके अनेक कारण विद्‌यमान हैं । हमारी राय में, इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि प्रतिषिद्‌ध पदार्थ के

अभिग्रहण के तुरंत पश्चात् उससे नमूने प्राप्त किए जाने के प्रयोजन के लिए अधिनियम में अनुबंधित किए गए अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा सम्यक् प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाने चाहिए । इसी प्रकार, इस बात के संबंध में भी कोई संदेह विद्यमान नहीं है कि ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया तथा उसके परिणामस्वरूप नमूने तथा सम्यक् प्रमाणपत्र प्राप्त करने से संबंधित कार्यवाहियों को संबद्ध अधिकारी के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता । साधारण रूप से अधिनियम की स्कीम और विशेष रूप से धारा 52क की स्कीम नमूने प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने तथा उसके परिणामस्वरूप नमूने तथा सम्यक् प्रमाणपत्र प्राप्त करने के विषय में किसी भी प्रकार के विलंब को अनुज्ञात नहीं करती है । यद्यपि, हमें उपबंध में किसी समय-सीमा को विहित किए जाने की कोई गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है, फिर भी हमारा मत यह है कि नमूने तथा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन बिना किसी असम्यक् विलंब के प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा किसी मजिस्ट्रेट को ऐसे किसी आवेदन की प्राप्ति पर तुरंत ऐसे आवेदन के संबंध में कार्यवाही करनी चाहिए तथा युक्तियुक्त अवधि के भीतर और बिना किसी असम्यक् विलंब के धारा 52क की उपधारा (3) में यथा आज्ञापक कार्यवाही पूरी करनी चाहिए । हम यह आशा और विश्वास करते हैं कि उच्च न्यायालय इस संबंध में मजिस्ट्रेटों के कार्यपालन का अवलोकन करेंगे और वे मजिस्ट्रेटों के माध्यम से स्वापक ओषधि की बुराई से लड़ने वाले अभिकरणों का भी पर्यवेक्षण करेंगे । यह वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक हो गया है क्योंकि स्वापक ओषधि की बुराई देश में अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है और इसका मुख्य कारण अप्रभावी विधियां तथा उनका कमजोर प्रवर्तन है तथा इसके अतिरिक्त विधिक प्रक्रियाओं का भी सुचारु रूप से अनुपालन नहीं किया जाता तथा अभिकरण उनका लापरवाह रीति में प्रवर्तन करते हैं और इसलिए कभी-कभी इस देश में मजिस्ट्रेसी को ऐसी गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ता है ।

*** *** ***

30.3 मामले जिनमें कार्यवाहियां अभी भी विचारण न्यायालय, अपीली न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के स्तर पर लंबित है : ऐसे मामलों में संबंधित विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि तारीख 16 जनवरी, 2015 की अधिसूचना के अधीन ऐसा करने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा ओषधि व्ययन समिति के समक्ष समुचित आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं ऐसी स्वापक ओषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों तथा नियंत्रित पदार्थों के व्ययन और वाहनों आदि के संबंध में बिना समय नष्ट किए तुरंत उपाय किए जाते हैं ।

31.1 जैसे ही किसी स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी तथा नियंत्रित पदार्थों और वाहनों का अभिग्रहण किया जाता है, तो उन्हें तुरंत निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या अधिनियम की धारा 53 के अधीन सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । उसके पश्चात् संबद्ध अधिकारी अधिनियम की धारा 52क(2) के अधीन आवेदन के साथ संबद्ध मजिस्ट्रेट से संपर्क करेगा, जिसकी अनुमति मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 52क की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार यथाशीघ्र दी जाएगी, जैसा कि हमारे द्वारा पहले ही इस निर्णय में 'अभिग्रहण और नमूने प्राप्त करना' शीर्षक के अधीन चर्चा की गई है । नमूने मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन प्राप्त किए जाएंगे जैसा कि इस आदेश के पैरा 15 से पैरा 19 में चर्चा की गई है ।"

11. जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया है कि वर्ष 1989 का स्थायी आदेश सं. 1 उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसका अनुसरण प्रतिषिद्ध पदार्थ का अभिग्रहण करते समय किया जाना है । जबकि अन्य दो स्थायी आदेश, अर्थात् तारीख 10 मई, 2007 तथा तारीख 16 जनवरी, 2015 के स्थायी आदेश प्रतिषिद्ध पदार्थों के व्ययन और उन्हें नष्ट किए जाने से संबंधित हैं और उनके माध्यम से पूर्ववर्ती

स्थायी आदेश में किसी उपबंध को जोड़ा नहीं गया है और जो केवल बरामदगी के समय अभिग्रहण की प्रक्रिया को विहित करता है और उक्त दो स्थायी आदेशों का प्रथम स्थायी आदेश पर कोई प्रभाव नहीं है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि अधिकांश राज्यों द्वारा यह दावा किया गया है कि मामले से संबंधित संपत्ति का अभिग्रहण और उसे सीलबंद करते समय कोई नमूने प्राप्त नहीं किए जाते हैं तथा राजस्व सतर्कता निदेशालय एकमात्र ऐसा अभिकरण है, जिसके द्वारा यह दावा किया गया है कि वह अभिग्रहण के समय नमूने प्राप्त करता है । इस प्रकार, नमूने प्राप्त किए जाने के विषय में राज्यों या केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा कोई एक समान व्यवहार या प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । इन तथ्यों के आलोक में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क को निर्दिष्ट किया गया है, जो स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ, जिनका अभिग्रहण किया गया है, के व्ययन और उन्हें नष्ट किए जाने से संबंधित है तथा उसके विषय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थों के अभिग्रहण के तुरंत पश्चात् प्रभारी अधिकारी यथाशक्य शीघ्र ऐसी स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ की मालसूची तैयार करेगा, जिसमें उनका वर्णन, मात्रा, क्वालिटी, पैक करने की पद्धति, चिह्न, उसकी शनाख्त करने वाली विशिष्टियों आदि से संबंधित वर्णन अंतर्विष्ट होंगे और उसके पश्चात् प्रभारी अधिकारी नमूने प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन फाइल करेगा । रिपोर्ट के पैरा 17 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क की उपधारा (4) के उपबंधों का पालन किया जाना चाहिए, जो यह उपबंधित करते हैं कि नमूने मजिस्ट्रेट द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क की उपधारा (2) तथा उपधारा (3) का अनुपालन करते हुए प्राप्त किए जाएंगे और वे विचारण के प्रयोजन के लिए प्राथमिक साक्ष्य का गठन करेंगे । अत:, अभिग्रहण के समय नमूने प्राप्त किए जाने का प्रश्न, जो प्राय: मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में किया जाता है, अधिनियम की स्कीम के अंतर्गत नहीं आता है ।

12. एनडीपीएस अधिनियम में धारा 52क को वर्ष 1989 के संशोधन अधिनियम द्वारा तारीख 29 मई, 1989 से अंत:स्थापित किया गया था । उक्त धारा में अभिगृहीत स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के व्ययन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं तथा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क(1) यह उपबंध करती है कि केन्द्रीय सरकार स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ की परिसंकटमय प्रकृति, उनके प्रतिस्थापन के संबंध में उनकी भेद्यता, समुचित भंडारण स्थल से संबंधित पाबंदियों या किसी अन्य सुसंगत कारक को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसका ऐसे अधिकारी द्वारा अभिग्रहण के यथाशक्य पश्चात् व्ययन किया जाएगा । इस प्रकार, उक्त धारा के उपबंध किसी ओषधि के अभिग्रहण के पश्चात् उसका व्ययन करने से संबंधित है, जिससे उसे प्रतिस्थापित करने या उसका दुरुपयोग करने की संभावना को दूर किया जा सके तथा उसके द्वारा कारित किए जाने वाले परिसंकट से बचा जा सके । यह तथ्य अज्ञात नहीं है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क के अधीन आवेदन अपील के प्रक्रम पर भी फाइल किए जाते हैं, जिनके माध्यम से न्यायालय से अभिगृहीत स्वापक ओषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थों का व्ययन करने की अनुमति प्राप्त करने की ईप्सा की जाती है । एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क के अधीन विहित प्रक्रिया और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मोहन लाल** (उपरोक्त) वाले मामले में अधिकथित प्रक्रिया को आज्ञापक रूप से अनुसरित किया जाना अपेक्षित है, तथापि, वर्तमान मामले में मुख्य विवाद्यक यह है कि क्या स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के व्ययन हेतु लागू इस प्रक्रिया का अनुपालन न करने से या मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में अभिग्रहण के तुरंत पश्चात् तथा उन्हें मालखाने में जमा किए जाने से पूर्व नमूने प्राप्त करने और उन्हें आरोप पत्र फाइल किए जाने के प्रयोजन हेतु प्रतिषिद्ध पदार्थ की प्रकृति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजने से विचारण दूषित होगा अथवा नहीं । अधिनियम में किए गए उपबंध किसी ओषधि के अभिग्रहण के पश्चात् उसका व्ययन करने से संबंधित हैं, जिससे उसे प्रतिस्थापित

करने या उसका दुरुपयोग करने की संभावना को दूर किया जा सके तथा उसके द्वारा कारित किए जाने वाले परिसंकट से बचा जा सके । **मोहन लाल** (उपरोक्त) वाले मामले में किसी भी रूप से यह प्रतिपादित नहीं किया गया है कि राजस्व सतर्कता निदेशालय, जो अभिग्रहण के तुरंत पश्चात् घटनास्थल से ही नमूने प्राप्त करता है, जैसे अन्वेषण अभिकरणों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया अविधिपूर्ण है और उससे विचारण दूषित होता है । इस मामले में अंतर्वलित जटिलता से सचेत होते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मोहन लाल** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए अपने निर्णय के पैरा 18 में यह उल्लेख किया है कि इस प्रकार के किसी विरोधाभास का समाधान निर्वचन के प्रथम सिद्धांतों के आधार पर कानून के पक्ष में किया जाना चाहिए, किन्तु कानूनी अधिसूचना को उसके वर्तमान स्वरूप में बनाए रखने से संबद्ध प्राधिकारियों/प्राधिकरणों की उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने की बजाय उनके मन में संदेह उत्पन्न होगा । इसलिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को यह निदेश दिया था कि वह इस मामले की पुन: समीक्षा करे तथा उपरोक्त निदेशों के अनुसार समुचित उपाय करे । उल्लेखनीय है कि आज की तारीख तक केन्द्रीय सरकार ने उपरोक्त कानूनी उपबंधों में आगे कोई और संशोधन नहीं किया है और न ही स्थायी आदेशों को अभिखंडित करने वाला कोई आदेश लाया गया है ।

13. वर्तमान आवेदन के माध्यम से आवेदक ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क के अननुपालन के आधार पर जमानत मंजूर किए जाने की प्रार्थना की है, तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के अभिग्रहण के तुरंत पश्चात् तथा उन्हें मालखाने में जमा किए जाने से पूर्व नमूने प्राप्त करने और आरोप पत्र फाइल किए जाने के प्रयोजन हेतु प्रतिषिद्ध पदार्थ की प्रकृति को अभिनिश्चित करने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजने से विचारण दूषित नहीं हुआ है और क्या नमूने प्राप्त करने की संतता मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति के कारण दूषित थी, यह एक ऐसा विवाद्यक है जिसके

संबंध में विचारण के दौरान विचार किया जाएगा । अत:, इस न्यायालय को ऐसा कोई समुचित आधार प्रतीत नहीं होता है जिसके कारण आवेदक को जमानत मंजूर की जा सके ।

14. जहां तक आवेदक द्वारा इस आधार पर अंतरिम जमानत मंजूर किए जाने हेतु प्रार्थना किए जाने का संबंध है कि उसकी पत्नी अस्वस्थ है, आवेदक ने अपनी पत्नी श्रीमती रेखा यादव की डिस्चार्ज रिपोर्ट की प्रति संलग्न की है, जिसमें उसे उसके दाएं नितम्ब के सर्विकोट्रोचेन्टेरिक अस्थिभंग के लिए शल्य क्रिया कराने की सलाह दी गई थी और उक्त शल्य क्रिया सितम्बर, 2020 में की गई थी तथा प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार रोगी की शल्य क्रिया हो गई है और वह क्षति से उबर गई है तथा उसका स्वास्थ्य अब स्थिर बना हुआ है । इसके अतिरिक्त, आवेदक ने तारीख 31 मार्च, 2021 को आत्मसमर्पण किया था और इस प्रकार उससे पूर्व उसके पास अपनी पत्नी की देखभाल करने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध था । जहां तक आवेदक की स्वयं की चिकित्सीय स्थिति का संबंध है, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों से इस प्रकार का कोई सुझाव प्राप्त नहीं होता है कि उसे तुरंत चिकित्सीय उपचार या अस्पताल में दाखिल कराने की आवश्यकता है । इस प्रकार, इस न्यायालय को आवेदक को अंतरिम जमानत मंजूर करने हेतु भी कोई पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है ।

15. अत:, आवेदन खारिज किया जाता है ।

16. आदेश को इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए तथा इस आदेश की एक प्रति आवेदक की जानकारी हेतु कारागार अधीक्षक को अग्रेषित की जाए ।

आवेदन खारिज किया गया ।

पु.

---

## **मनोव्वर आलम** उर्फ **मनोवर आलम**

बनाम

## **बिहार राज्य**

[2019 की दांडिक अपील (एसजे) सं. 228]

तारीख 9 जुलाई, 2021

**न्यायमूर्ति बीरेन्द्र कुमार**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376, 366क और 372 – अभियुक्त के विरुद्ध एक अप्राप्तवय लड़की के साथ बलात्संग करने का आरोप लगाया जाना – अभियुक्त द्वारा अप्राप्तवय पीड़िता को निकाह का वचन देकर उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक मैथुन किया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा सफलतापूर्वक इस तथ्य को स्थापित किया जाना कि घटना के समय पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी – चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा भी अभियोक्त्री के कथन की पुष्टि किया जाना – अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत कथन का संपूर्ण विचारण के दौरान ठोस और अकाट्य बना रहना – घटना के पश्चात् समाज और आस-पास के लोगों के दबाव में अभियोक्त्री और अभियुक्त का पश्चात्वर्ती निकाह वर्तमान मामले में सारवान् नहीं है और वह एक कपटपूर्ण कार्य है क्योंकि अभियुक्त कभी भी वैवाहिक संबंधों में नहीं रहा, अत:, अभियोजन पक्ष सभी सुसंगतों से संदेहों से परे अभियुक्त के विरुद्ध अपना पक्षकथन साबित करने में सफल रहा है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।**

वर्तमान मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जसीमुद्दीन की अप्राप्तवय पुत्री, जिसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी और जो कक्षा 9 की छात्रा थी, तारीख 9 नवम्बर, 2011 को हमेशा की तरह ट्यूशन पढ़ने गई थी किन्तु वह सायंकाल तक वहां से वापस नहीं आई और उसके बाद उसकी काफी खोजबीन की गई किन्तु

उसका कुछ पता नहीं चला । अतः, तारीख 11 नवम्बर, 2011 को पुलिस थाने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी । घटना के कुछ समय पश्चात् इत्तिलाकर्ता को यह ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी, जो ग्राम धनपुरा का निवासी है, ने उसकी पुत्री को प्रलोभन दिया और वह उसके साथ चली गई । उसके पश्चात् पीड़ित लड़की से एक मोबाइल कॉल प्राप्त हुई, जिसमें उसने इस तथ्य को रिपोर्ट किया कि अपीलार्थी-गुड्डू ने उसे मुख्तार नामक एक व्यक्ति के हवाले कर दिया था और मुख्तार ने बलपूर्वक उसके साथ निकाह किया था और उसके पश्चात् उससे लैंगिक संबंध बनाए थे । पीड़ित लड़की ने इस तथ्य को भी प्रकट किया कि मुख्तार उस समय चंडीगढ़ में था । इसके अतिरिक्त, पीड़ित लड़की ने उक्त मोबाइल कॉल के माध्यम से इस तथ्य का भी प्रकटन किया कि गुड्डू ने उसे निकाह करने का वचन दिया था और उसके वचन पर विश्वास करके वह गुड्डू के साथ ट्रेन से गई थी । किन्तु गुड्डू ने उसका निकाह मुख्तार से करा दिया । इत्तिलाकर्ता को यह संदेह था कि पीड़ित लड़की को देह व्यापार में धकेल दिया गया है । लिखित रिपोर्ट को प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित किया गया है । उसके पश्चात् पीड़ित लड़की को बरामद किया गया और बरामदगी के तुरंत पश्चात् तारीख 3 दिसम्बर, 2011 को उसकी चिकित्सा परीक्षा की गई तथा उसके पश्चात् तारीख 7 दिसम्बर, 2011 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 164 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध किया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध कराए गए अपने कथन में पीड़ित लड़की ने इस तथ्य को प्रकट किया है कि तीन माह पूर्व वह अपनी खाला के घर गई थी । वहां बाजार में मोहम्मद गुड्डू **उर्फ** मनोव्वर हुसैन (अपीलार्थी) से उसकी मुलाकात हुई । उसके पश्चात् अपीलार्थी प्रायः उससे मिलने लगा और उसने उसे यह बताया कि वह स्थानीय न्यायालय में एक अधिवक्ता लिपिक है । अपीलार्थी ने उसके समक्ष अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए उसे यह कहा कि वह उससे प्रेम करता है तथा उसने उससे निकाह करने का वचन भी दिया । अपीलार्थी ने उसे एक मोबाइल फोन उपहार स्वरूप दिया और वह उससे उक्त मोबाइल फोन के माध्यम से बातचीत करता था । तारीख 9 नवम्बर, 2011 को अपीलार्थी उसे एक बस द्वारा इस्लामपुर ले गया । इस्लामपुर में उनकी मुलाकात एक अन्य गुड्डू नामक व्यक्ति से हुई ।

उसके पश्चात् उन तीनों ने एक होटल में खाना खाया और फिर अपीलार्थी उसे अपने ग्राम धनपुरा ले गया, जहां अपीलार्थी के पिता भी मौजूद थे । अपीलार्थी के पिता ने अपीलार्थी को यह निदेश दिया कि वह पीड़ित लड़की को उसके अंकल के घर ले जाए । उसके पश्चात् अपीलार्थी पीड़िता को अपने अंकल के घर ले गया । रात्रि में अपीलार्थी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए । उसके पश्चात्, अपीलार्थी ने इरफान नामक एक व्यक्ति की सहायता से पीड़ित लड़की के लिए दो नए सूटों का क्रय किया और फिर वह उसे पचिम पाली ले गया । पुनः, दूसरा गुड्डू उनके साथ था और वे दोनों उसे किशनगंज रेलवे स्टेशन ले गए जहां से उन्होंने दिल्ली जाने हेतु महानंदा एक्सप्रेस पकड़ी और उसके पश्चात् वह दिल्ली से चंडीगढ़ आ गए । चंडीगढ़ में वे बबलू नामक एक व्यक्ति के घर पहुंचे । बबलू की पहले ही तीन पत्नियां थीं और वह देह व्यापार के कारबार में संलिप्त था । वहां वह शहनाज नामक एक अन्य लड़की से मिली जिसने पीड़ित लड़की के समक्ष इस तथ्य को प्रकट किया कि प्रेम के बहाने पीड़ित लड़कियों को वहां लाया जाता था और फिर उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता था । उसके पश्चात्, किसी प्रकार पीड़ित लड़की वहां से भाग गई और अपने कजन आमिर के घर पहुंची, जो चंडीगढ़ में ही निवास कर रहा था । अन्वेषण के पश्चात्, पुलिस ने अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को विचारण का सामना करना पड़ा, जिसके पश्चात् विचारण न्यायालय ने उसे दोषसिद्ध ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील फाइल की गई है । दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों और तर्कों को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात् अपील को खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – अनेकों न्यायिक निर्णयों के माध्यम से इस सिद्धांत को पूर्णतः स्थापित किया गया है कि लैंगिक हमले की पीड़िता के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय यह अनिवार्य है कि उसे किसी आहत साक्षी के साक्ष्य के समतुल्य माना जाए । इसका कारण साधारण है कि भारत के परंपरा से आबद्ध असंवेदनशील समाज में कोई भी लड़की या महिला ऐसी किसी घटना को स्वीकार करने में अत्यधिक हिचकिचाहट महसूस करेगी,

जिससे उसके सतीत्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो । वह इस खतरे से सचेत होगी कि ऐसी किसी स्वीकारोक्ति के पश्चात् समाज से उसका बहिष्कार किया जा सकता है । इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, जब ऐसा कोई अपराध सामने लाया जाता है तो उसमें यह आश्वासन अंतर्निहित होता है कि आरोप गढ़ा हुआ न होकर वास्तविक है । सामान्य अनुक्रम में भारतीय महिलाओं की यह प्रवृत्ति है कि उनके विरुद्ध किए गए ऐसे किसी अपराध को छिपाया जाए और भारतीय महिलाएं समाज या पुलिस तो दूर की बात है, ऐसी घटनाओं का उल्लेख अपने कुटुम्ब के सदस्यों के समक्ष भी नहीं करती । अतः, अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य किसी आहत साक्षी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है । बलात्संग के प्रत्येक मामले में साक्ष्य की अभिपुष्टि न्यायिक विश्वसनीयता का कोई अनिवार्य घटक नहीं है । अभिपुष्टि की अनुपस्थिति में एक नियम के रूप में लैंगिक हमले की पीड़ित लड़की के परिसाक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करने से इनकार करना पहले से ही आहत-पीड़िता का और अपमान करने के समतुल्य है । यदि मामले के अभिलेख पर प्रस्तुत की गई संपूर्ण परिस्थितियां इस तथ्य को प्रकट करती हैं कि अभियोक्त्री के पास आरोपित व्यक्ति को मिथ्या फंसाने के लिए कोई दृढ़ हेतुक मौजूद नहीं है तो न्यायालय को सामान्य अनुक्रम में उसके अभिसाक्ष्य को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि आत्मसम्मान रखने वाली कोई भी महिला यूं ही स्वयं को अपमानित करने वाला ऐसा कथन करने के लिए आगे नहीं आएगी । वर्तमान मामले में, अभियोक्त्री ने सतत रूप से उसके साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं का समर्थन किया है । अभियोक्त्री की विश्वसनीयता के प्रति संदेह उत्पन्न करने के लिए उसकी कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है या इस संबंध में कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियोक्त्री के पास अपीलार्थी को मामले में झूठा फंसाने के लिए कोई हेतुक विद्यमान है । चिकित्सीय राय यह है कि अभियोक्त्री का योनिच्छद भंग था और योनि लेप में कोई शुक्राणु न पाया जाना भी प्राकृतिक था क्योंकि अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा अभिकथित अपराध किए जाने के काफी दिन बाद की गई थी । अभियोक्त्री ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसका निकाह अपीलार्थी के साथ समाज और लोगों के दबाव के अधीन हुआ था और

उक्त निकाह स्वयं में एक कपट था क्योंकि अपीलार्थी ने कभी भी उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए । पीड़िता के पक्ष में अंतरित की गई भूमि भी एक कपटपूर्ण संव्यवहार था । अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक इस तथ्य को साबित किया है कि घटना की तारीख को अभियोक्त्री अप्राप्तवय थी । अतः, लैंगिक मैथुन में उसकी सहमति होना या सहमति न होना सारवान् नहीं है । चूंकि घटना के समय पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय लड़की थी और घटना की तारीख को उसके द्वारा यह दावा किया गया है कि अपीलार्थी ने उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध स्थापित किए थे, इसलिए दंड संहिता की धारा 375 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध साबित होता है । अभियोजन पक्ष द्वारा यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी ने साशय अभियोक्त्री को गुड्डू नामक एक व्यक्ति को सुपुर्द किया था जो उसे चंडीगढ़ ले गया और उसे एक ऐसे स्थान पर छोड़ आया जहां देह-व्यापार होता था । अतः, दंड संहिता की धारा 372 के अधीन अपराध भी अपीलार्थी के विरुद्ध साबित होता है । इसी प्रकार अभियोजन पक्ष ने दंड संहिता की धारा 366क के अधीन भी आरोप को साबित किया है क्योंकि पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी और उसे यह जानते-बूझते हुए प्रलोभन देकर उसे उसका घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध लैंगिक मैथुन करने के लिए मजबूर किया जाएगा । अभिलेख पर विद्यमान सामग्री के आधार पर उच्च न्यायालय को अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत इन दलीलों में कोई गुण प्रतीत नहीं होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में अत्यधिक विलंब हुआ है, जिसके संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है या उसके कारण अपीलार्थियों के पक्षकथन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । अभियोक्त्री के साथ झूठा निकाह करने या दंड संहिता की धारा 498क के अधीन मामला संस्थित करने की पश्चात्वर्ती कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप वर्तमान आपराधिक कार्यों के प्रभाव का अल्पीकरण नहीं होता है । इस बिन्दु पर पीड़िता की प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है और न ही किसी अन्य अभियोजन साक्षी की इस बिन्दु के संबंध में प्रतिपरीक्षा की गई है । चूंकि विद्वान् विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 376(2)(i) के अधीन अपराध के लिए विहित न्यूनतम दंड से दंडादिष्ट किया है,

इसलिए दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अधिरोपित दंडादेश में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 366क और 372 के अधीन अपराध के लिए विहित न्यूनतम दंड से दंडादिष्ट किया है, तथापि, दंडादेशों के संबंध में यह आदेश दिया गया है कि वे एक साथ चलेंगे । अतः, इससे अपीलार्थी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । तद्नुसार, उच्च न्यायालय दंडादेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इनकार करता है । परिणामतः, उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई दोष प्रतीत नहीं होता है । तद्नुसार, कोई गुण न होने के कारण वर्तमान अपील को खारिज किया जाता है । (पैरा 11, 12, 13, 14 और 15)

**निर्दिष्ट निर्णय**

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2012] | (2012) 8 एस. सी. सी. 21 =<br>ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3157 :<br>**राय संदीप** उर्फ **दीपू** बनाम<br>**राज्य (दिल्ली राजधानी राज्य-क्षेत्र)** ; | 11 |
| [2008] | (2008) 11 एस. सी. सी. 20 =<br>2008 क्रिमिनल ला जर्नल 3543 (एस. सी.) :<br>**मोती लाल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; | 11 |
| [2008] | (2008) 15 एस. सी. सी. 133 =<br>ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 858 :<br>**राजू और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; | 11 |
| [1996] | (1996) 2 एस. सी. सी. 384 =<br>ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1393 :<br>**पंजाब राज्य** बनाम **गुरमीत सिंह और अन्य** । | 11 |

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील (एसजे) सं. 228.**

वर्तमान दांडिक अपील मामले के एकमात्र अपीलार्थी मनोव्वर आलम **उर्फ** मनोवर आलम **उर्फ** गुड्डू द्वारा सेशन विचारण सं. 442/2015 में

तारीख 16 मई, 2018 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा तारीख 19 मई, 2018 को पारित दंडादेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

**अपीलार्थी की ओर से** सर्वश्री अशोक कुमार और राम प्रवेश कुमार

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री जियाउल होदा, अपर लोक अभियोजक

**न्यायमूर्ति बीरेन्द्र कुमार** – वर्तमान दांडिक अपील मामले के एकमात्र अपीलार्थी मनोव्वर आलम **उर्फ** मनोवर आलम **उर्फ** गुड्डू द्वारा पुलिस थाना किशनगंज के अपराध मामला सं. 465/2011 से उद्भूत होने वाले सेशन विचारण सं. 442/2015 जो वर्ष 2015 के सीआईएस सं. 257 से संबंधित है, में तारीख 16 मई, 2018 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा तारीख 19 मई, 2018 को पारित दंडादेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है । उक्त निर्णय के माध्यम से अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 376, 366क और 372 के अधीन अपराध करने के लिए दोषी पाया गया था और उसे ऊपर निर्दिष्ट अपराधों में से प्रत्येक के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया था और साथ ही 10,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में यह आदेश दिया गया था कि उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा । इसके अतिरिक्त, यह भी निदेश दिया गया था कि सभी दंडादेश एक साथ चलेंगे ।

2. किशनगंज पुलिस थाने में तारीख 17 नवम्बर, 2011 को श्री जसीमुद्दीन (अभि. सा. 2) द्वारा दर्ज कराई गई लिखित रिपोर्ट में अभियोजन पक्षकथन को इस प्रकार प्रकट किया गया है कि जसीमुद्दीन की अप्राप्तवय पुत्री, जिसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी और जो कक्षा 9 की छात्रा थी, तारीख 9 नवम्बर, 2011 को हमेशा की तरह ट्यूशन पढ़ने गई थी किन्तु वह सायंकाल तक वहां से वापस नहीं आई और उसके बाद उसकी काफी खोजबीन की गई किन्तु उसका कुछ पता नहीं चला । अत:, तारीख 11 नवम्बर, 2011 को पुलिस थाने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी । घटना के कुछ समय पश्चात् इत्तिलाकर्ता को यह ज्ञात

हुआ कि अपीलार्थी, जो ग्राम धनपुरा का निवासी है, ने उसकी पुत्री को प्रलोभन दिया और वह उसके साथ चली गई । उसके पश्चात् पीड़ित लड़की से एक मोबाइल कॉल प्राप्त हुई, जिसमें उसने इस तथ्य को रिपोर्ट किया कि अपीलार्थी-गुड्डू ने उसे मुख्तार नामक एक व्यक्ति के हवाले कर दिया था और मुख्तार ने बलपूर्वक उसके साथ निकाह किया था और उसके पश्चात् उससे लैंगिक संबंध बनाए थे । पीड़ित लड़की ने इस तथ्य को भी प्रकट किया कि मुख्तार उस समय चंडीगढ़ में था । इसके अतिरिक्त, पीड़ित लड़की ने उक्त मोबाइल कॉल के माध्यम से इस तथ्य का भी प्रकटन किया कि गुड्डू ने उसे निकाह करने का वचन दिया था और उसके वचन पर विश्वास करके वह गुड्डू के साथ ट्रेन से गई थी । किन्तु गुड्डू ने उसका निकाह मुख्तार से करा दिया । इत्तिलाकर्ता को यह संदेह था कि पीड़ित लड़की को देह व्यापार में धकेल दिया गया है । लिखित रिपोर्ट को प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित किया गया है ।

3. उसके पश्चात् पीड़ित लड़की को बरामद किया गया और बरामदगी के तुरंत पश्चात् तारीख 3 दिसम्बर, 2011 को उसकी चिकित्सा परीक्षा की गई तथा उसके पश्चात् तारीख 7 दिसम्बर, 2011 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 164 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध किया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध कराए गए अपने कथन में पीड़ित लड़की ने इस तथ्य को प्रकट किया है कि तीन माह पूर्व वह अपनी खाला के घर गई थी । वहां बाजार में मोहम्मद गुड्डू **उर्फ** मनोव्वर हुसैन (अपीलार्थी) से उसकी मुलाकात हुई । उसके पश्चात् अपीलार्थी प्राय उससे मिलने लगा और उसने उसे यह बताया कि वह स्थानीय न्यायालय में एक अधिवक्ता लिपिक है । अपीलार्थी ने उसके समक्ष अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए उसे यह कहा कि वह उससे प्रेम करता है तथा उसने उससे निकाह करने का वचन भी दिया । अपीलार्थी ने उसे एक मोबाइल फोन उपहार स्वरूप दिया और वह उससे उक्त मोबाइल फोन के माध्यम से बातचीत करता था । तारीख 9 नवम्बर, 2011 को अपीलार्थी उसे एक बस द्वारा इस्लामपुर ले गया । इस्लामपुर में उनकी मुलाकात एक अन्य गुड्डू नामक व्यक्ति से हुई । उसके पश्चात् उन तीनों ने एक होटल में खाना खाया और फिर अपीलार्थी उसे अपने ग्राम धनपुरा ले गया, जहां

अपीलार्थी के पिता भी मौजूद थे । अपीलार्थी के पिता ने अपीलार्थी को यह निदेश दिया कि वह पीड़ित लड़की को उसके अंकल के घर ले जाए । उसके पश्चात् अपीलार्थी पीड़िता को अपने अंकल के घर ले गया । रात्रि में अपीलार्थी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए । उसके पश्चात्, अपीलार्थी ने इरफान नामक एक व्यक्ति की सहायता से पीड़ित लड़की के लिए दो नए सूटों का क्रय किया और फिर वह उसे पचिम पाली ले गया । पुनः, दूसरा गुड्डू उनके साथ था और वे दोनों उसे किशनगंज रेलवे स्टेशन ले गए जहां से उन्होंने दिल्ली जाने हेतु महानंदा एक्सप्रेस पकड़ी और उसके पश्चात् वह दिल्ली से चंडीगढ़ आ गए । चंडीगढ़ में वे बबलू नामक एक व्यक्ति के घर पहुंचे । बबलू की पहले ही तीन पत्नियां थीं और वह देह व्यापार के कारबार में संलिप्त था । वहां वह शहनाज नामक एक अन्य लड़की से मिली जिसने पीड़ित लड़की के समक्ष इस तथ्य को प्रकट किया कि प्रेम के बहाने पीड़ित लड़कियों को वहां लाया जाता था और फिर उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता था । उसके पश्चात्, किसी प्रकार पीड़ित लड़की वहां से भाग गई और अपने कजन आमिर के घर पहुंची, जो चंडीगढ़ में ही निवास कर रहा था ।

4. अन्वेषण के पश्चात्, पुलिस ने अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को विचारण का सामना करना पड़ा, जिसके पश्चात् विचारण न्यायालय ने उसे दोषसिद्ध ठहराते हुए उसके विरुद्ध उपरोक्तानुसार दंडादेश पारित किया । इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील फाइल की गई है ।

5. श्री राम प्रवेश कुमार, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में लगभग एक सप्ताह का विलंब हुआ है, जिसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है । पीड़ित लड़की ने अपीलार्थी से विवाह करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन एक मामला दर्ज कराया था । इससे यह साबित होता है कि उसका निकाह अपीलार्थी से हुआ था और वह अपीलार्थी की विवाहित पत्नी थी । इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी के विरुद्ध जिस प्रकार के अपराध करने के आरोप लगाए गए हैं, उन्हें विधिक रूप से बनाए नहीं रखा जा सकता । अपीलार्थी के पिता ने अपनी 10 कट्ठा भूमि को पीड़ित

लड़की के नाम पर हस्तांतरित करते हुए तारीख 17 दिसम्बर, 2011 को एक रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख का निष्पादन किया था, जो प्रदर्श-ए के रूप में चिह्नित है । पीड़िता को तारीख 2 दिसम्बर, 2011 को उसके अपने ही घर से बरामद किया गया था । अतः, उसके द्वारा लगाए गए व्यपहरण आदि के आरोप मिथ्या प्रतीत होते हैं और यह प्रतीत होता है कि जब दोनों पक्षों के बीच में वैवाहिक मतभेद आरंभ हुए तो अपीलार्थी पर दबाव डालने के लिए मिथ्या मामला दर्ज कराया गया था ।

6. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री जियाउल होदा ने यह प्रतिवाद किया है कि पीड़ित लड़की ने अभि. सा. 3 के रूप में सतत रूप से अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए पूर्वोक्त आरोप का समर्थन किया है और उसने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी के साथ उसका निकाह, अपराध के पश्चात् केवल एक कपट मात्र था क्योंकि अपीलार्थी कभी भी उसके साथ वैवाहिक संबंधों में नहीं रहा । इसके अतिरिक्त, 10 कट्ठा भूमि को अंतरित किया जाना भी एक कपटपूर्वक कार्य है क्योंकि उक्त भूमि को पहले ही किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया था और वर्तमान दांडिक मामले से स्वयं को बचाने मात्र के लिए उपरोक्त संव्यवहारों को अभिलेख पर लाया गया है ।

7. अभि. सा. 1 गुलाखा खातून, पीड़ित लड़की की माता ने एक अनुश्रुत साक्षी के रूप में अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है और उसने उन तथ्यों को प्रकट किया है, जिसे उसकी पुत्री ने उसे बताया था ।

अभि. सा. 2 जसीमुद्दीन अभियोक्त्री का पिता और वर्तमान मामले का इत्तिलकर्ता भी है । उसने प्रथम लिखित रिपोर्ट के माध्यम से किए गए अपने कथन का समर्थन किया है ।

अभि. सा. 4 डा. उर्मिला कुमारी और अभि. सा. 5 डा. रफत हुसैन, उस चिकित्सा बोर्ड के सदस्य थे, जिसने पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा की थी । उन्होंने इस तथ्य को नोटिस किया कि पीड़ित लड़की का योनिच्छद भंग था ।

चूंकि पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा आपराधिक घटना की तारीख से काफी समय पश्चात् तारीख 3 दिसम्बर, 2011 को की गई थी

इसलिए डाक्टर का यह निष्कर्ष कि योनि लेप में किसी प्रकार के शुक्राणु नहीं पाए गए थे, स्वयं में स्पष्टीकारक है । डाक्टरों के दल ने अभियोक्त्री की आयु के बारे में यह अनुमान लगाया है कि घटना के समय उसकी आयु 15 से 17 वर्ष के बीच थी ।

अभि. सा. 6 मुजफ्फर हुसैन और अभि सा. 8 रफीक आलम पक्षद्रोही साक्षी हैं ।

अभि. सा. 7 सूर्यदेव दुबे और अभि. सा. 9 मदन गोपाल वर्तमान मामले के अन्वेषण अधिकारी हैं । उन्होंने उनके द्वारा किए गए अन्वेषण का समर्थन किया है ।

अभि. सा. 9 ने पीड़ित लड़की की जन्म की तारीख का समर्थन करने के लिए उसके विद्यालय के दस्तावेजों को अभिप्राप्त किया था, जिसमें पीड़िता की जन्म की तारीख का उल्लेख 1 जनवरी, 1999 के रूप में किया गया है ।

अभि. सा. 9 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने पीड़िता का विद्यालय प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया था जिसमें पीड़िता की जन्म की तारीख का उल्लेख 1 जनवरी, 1999 के रूप में किया गया है । उक्त दस्तावेज मामला डायरी में उपलब्ध है । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से किसी भी अभियोजन साक्षी के समक्ष कोई सुझाव नहीं रखा गया और उनके समक्ष इस प्रभाव का कोई प्रश्न भी नहीं रखा गया कि साक्षियों ने अभियोक्त्री की जन्म की तिथि के संबंध में सत्य अभिसाक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है या यह कि उक्त विद्यालय दस्तावेज कोई वास्तविक दस्तावेज नहीं है ।

चूंकि अभियोजन पक्ष ने पीड़िता की जन्म की तारीख के समर्थन में अभिलेख पर सर्वोत्तम दस्तावेज को रखा है इसलिए इस तथ्य को सत्यापित माना जाता है कि घटना की तारीख को पीड़ित लड़की अप्राप्तवय थी, अर्थात् वह लैंगिक मैथुन के प्रति सहमति देने की समर्थ आयु से कम आयु की थी ।

8. प्रतिरक्षा पक्ष ने प्रति. सा. 1 फरीद आलम की न्यायालय के समक्ष परीक्षा की । प्रति. सा. 1 औपचारिक प्रकृति का साक्षी है और उसने अपीलार्थी के पिता द्वारा तारीख 17 दिसम्बर, 2011 को पीड़िता

के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को साबित किया है, जिसे प्रदर्श-ए के रूप में चिह्नित किया गया है ।

प्रति. सा. 2 गुलाम सरवर द्वारा यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता और सद्दाम हुसैन नामक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर इधर-उधर घूम रहे थे और उसके पश्चात् पुलिस उन्हें पुलिस थाने ले गई । पुलिस रिपोर्ट को प्रदर्श-बी के रूप में चिह्नित किया गया है । प्रदर्श-बी तारीख 6 जून, 2015 का एक दस्तावेज है जिसे महिला पुलिस थाने की प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पीड़िता और मुहम्मद सद्दाम को तारीख 8 जनवरी, 2015 को एक साथ इधर-उधर घूमते हुए देखा गया था । उसके पश्चात् उन दोनों को पुलिस थाने लाया गया और पुलिस थाने में उन दोनों ने यह प्रकटन किया कि चूंकि वे दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते हैं इसलिए काफी लंबे समय से एक-दूसरे से मुलाकात कर रहे थे । पीड़िता द्वारा उपरोक्त कार्य उस घटना के अनेक वर्षों के पश्चात् किया गया था, जब अभिकथित रूप से उसके विरुद्ध अपराध किए गए थे । अतः, इससे यह स्थापित होता है कि पीड़िता के विरुद्ध किए गए अभिकथित अपराधों का उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और न ही पीड़िता द्वारा किया गया पश्चात्वर्ती कार्य विधि की दृष्टि में कोई अपराध है ।

9. अभि. सा. 3 पीड़िता, जिसकी परीक्षा तारीख 19 अक्तूबर, 2016 को की गई थी, ने अपनी आयु लगभग 20 वर्ष बताई थी और इस तथ्य को प्रकट किया कि घटना पांच वर्ष और दो माह पूर्व प्रातः लगभग 9.00 बजे घटित हुई थी । उस समय वह खागरा करबला स्थित बालिका उच्च विद्यालय में ट्यूशन पढ़ने जा रही थी । वहां उसकी मुलाकात अपीलार्थी गुड्डू से हुई थी और गुड्डू ने उसे यह बताया था कि वह स्थानीय किशनगंज न्यायालय में अधिवक्ता लिपिक के रूप में कार्य कर रहा था और उसके पश्चात् वे परस्पर बातचीत करने लगे और उन्होंने इस प्रकार का बहाना बनाया मानो उनका निकाह हो चुका था । घटना की तारीख को, गुड्डू द्वारा प्रलोभन दिए जाने पर वह गुड्डू के साथ एक बस में बैठकर इस्लामपुर गई । इस्लामपुर पहुंचने पर अपीलार्थी का एक मित्र (जिसका नाम भी गुड्डू था) उन्हें मिला । उसके

पश्चात् उन्होंने एक होटल में भोजन किया और फिर उसे अपीलार्थी अपने घर ले गया तथा उसे एक कक्ष में बंद कर दिया । जब अपीलार्थी के पिता ने इसका विरोध किया तो अपीलार्थी उसे अपने अंकल के घर ले गया जो ग्राम धनपुरा में स्थित था और वहां उसने बलपूर्वक उसके साथ लैंगिक मैथुन किया । अगली प्रात: अपीलार्थी ने टेलीफोन से कॉल करके अपने मामा इरफान को वहां बुलाया, जो पीड़िता के दो नए सूट लेकर वहां पहुंचा और उसके पश्चात् वे लोक पचिम पली गए जहां उनकी मुलाकात दूसरे गुड्डू से हुई । अपीलार्थी ने उसे इस्लामपुर के दूसरे गुड्डू के साथ जाने को कहा और उसे यह वचन दिया कि जैसे ही उसे धन प्राप्त होगा वह पीड़िता से निकाह कर लेगा । उसके पश्चात् इस्लामपुर का गुड्डू उसे ट्रेन से चंडीगढ़ ले गया । चंडीगढ़ में उनकी मुलाकात मुख्तार, शहनाज और बबलू से हुई । बबलू की तीन पत्नियां थीं । शहनाज ने पीड़िता के समक्ष यह प्रकटन किया कि पीड़िता वहां फंस गई थी क्योंकि वह स्थान एक चकला था । उसके पश्चात् पीड़िता ने अपने पिता को एक फोन कॉल की । उसके उपरांत उसकी कजन ने पुलिस की सहायता से उस चकले से निकाला । उसके पश्चात् पीड़िता ने अपनी चिकित्सा परीक्षा का वर्णन किया है और साथ ही यह भी कथन किया कि मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध किया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान पीड़िता ने यह कथन किया कि घटना के पश्चात् अपीलार्थी ने समाज के दबाव में आकर पीड़िता से निकाह कर लिया था । अपीलार्थी के पिता ने अपनी 10 कट्ठे की भूमि के संबंध में एक रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख का निष्पादन किया था और उक्त भूमि को पीड़िता के नाम कर दिया था, किन्तु यह एक कपटपूर्ण कार्य था क्योंकि भूमि का विक्रय पहले ही किसी और व्यक्ति को कर दिया गया था । अपीलार्थी विवाह के पश्चात् कभी भी पीड़िता के साथ नहीं रहा । अभि. सा. 2 ने यह भी कथन किया है कि चंडीगढ़ से लौटने के पश्चात् स्थानीय विधान सभा सदस्य और समाज के अन्य व्यक्तियों ने बलपूर्वक पीड़िता का निकाह अपीलार्थी से करा दिया ।

10. अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 या किसी भी अन्य अभियोजन

साक्षी की प्रतिपरीक्षा नहीं की गई और न ही ऐसा कोई कारण बताया गया जिससे उनके द्वारा उनकी मुख्य परीक्षा के दौरान किए गए कथन को अविश्वसनीय बताया जा सके ।

11. अनेकों न्यायिक निर्णयों के माध्यम से इस सिद्धांत को पूर्णतः स्थापित किया गया है कि लैंगिक हमले की पीड़िता के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय यह अनिवार्य है कि उसे किसी आहत साक्षी के साक्ष्य के समतुल्य माना जाए । इसका कारण साधारण है कि भारत के परंपरा से आबद्ध असंवेदनशील समाज में कोई भी लड़की या महिला ऐसी किसी घटना को स्वीकार करने में अत्यधिक हिचकिचाहट महसूस करेगी, जिससे उसके सतीत्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो । वह इस खतरे से सचेत होगी कि ऐसी किसी स्वीकारोक्ति के पश्चात् समाज से उसका बहिष्कार किया जा सकता है । इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, जब ऐसा कोई अपराध सामने लाया जाता है तो उसमें यह आश्वासन अंतर्निहित होता है कि आरोप गढ़ा हुआ न होकर वास्तविक है । सामान्य अनुक्रम में भारतीय महिलाओं की यह प्रवृत्ति है कि उनके विरुद्ध किए गए ऐसे किसी अपराध को छिपाया जाए और भारतीय महिलाएं समाज या पुलिस तो दूर की बात है, ऐसी घटनाओं का उल्लेख अपने कुटुम्ब के सदस्यों के समक्ष भी नहीं करती । अतः, अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य किसी आहत साक्षी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है ।

बलात्संग के प्रत्येक मामले में साक्ष्य की अभिपुष्टि न्यायिक विश्वसनीयता का कोई अनिवार्य घटक नहीं है । अभिपुष्टि की अनुपस्थिति में एक नियम के रूप में लैंगिक हमले की पीड़ित लड़की के परिसाक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करने से इनकार करना पहले से ही आहत-पीड़िता का और अपमान करने के समतुल्य है । यदि मामले के अभिलेख पर प्रस्तुत की गई संपूर्ण परिस्थितियां इस तथ्य को प्रकट करती हैं कि अभियोक्त्री के पास आरोपित व्यक्ति को मिथ्या फंसाने के लिए कोई दृढ़ हेतुक मौजूद नहीं है तो न्यायालय को सामान्य अनुक्रम में उसके अभिसाक्ष्य को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि आत्मसम्मान रखने वाली कोई भी महिला यूं ही स्वयं को अपमानित करने वाला ऐसा कथन करने के लिए आगे नहीं आएगी । इस संबंध में **पंजाब राज्य**

बनाम **गुरमीत सिंह और अन्य**[1] तथा **मोती लाल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] वाले मामलों में दिए गए निर्णयों को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

इसी दौरान **राजू और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[3] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कथन करते हुए सावधान किया है कि निस्संदेह रूप से बलात्संग का अपराध पीड़िता की भीतर अत्यधिक कष्ट और गहन अपमान की भावना को जन्म देता है किन्तु उसी समय बलात्संग का झूठा आरोप अभियुक्त व्यक्ति में भी समान रूप से अत्यधिक कष्ट और अपमान की भावना को जन्म देकर अत्यधिक क्षति कारित कर सकता है । अतः, अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाए जाने की संभावना के प्रति पर्याप्त रूप से संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए । न्यायालय को सावधानीपूर्वक यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियोक्त्री मामले के आरंभ से, मामले के अंत तक, अर्थात् अभियोक्त्री द्वारा प्राथमिक प्रकम पर कथन लेखबद्ध कराए जाने के समय से लेकर न्यायालय के समक्ष अपना अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किए जाने तक, अपने कथनों पर सतत रूप से अडिग रही है । अभियोक्त्री को किसी भी भांति के और किसी भी प्रकार की दुरुह प्रतिपरीक्षा का सामना करने में सक्षम होना चाहिए और साथ ही किसी भी परिस्थिति में उसे घटना के घटित होने, घटना में संलिप्त व्यक्ति तथा घटना के अनुक्रम के तथ्यों के संबंध में किसी भी प्रकार के अंदेशे या संदेह को जन्म नहीं देना चाहिए । यदि मामले में अन्य साक्षी भी हैं तो इनमें से प्रत्येक साक्षी द्वारा प्रस्तुत किया गया कथन दूसरे साक्षियों द्वारा प्रस्तुत कथनों के अनुरूप होना चाहिए । यदि अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य पूर्वोक्त परीक्षा में सफल रहता है तो उसे "सुदृढ़ साक्षी" माना जाएगा और ऐसी परिस्थिति में अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत एक मात्र परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराने के लिए किसी भी प्रकार के पुष्टिकारक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होगी । इस संबंध में **राय संदीप**

---

[1] (1996) 2 एस. सी. सी. 384 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1393.

[2] (2008) 11 एस. सी. सी. 20 = 2008 क्रिमिनल ला जर्नल 3543 (एस. सी.).

[3] (2008) 15 एस. सी. सी. 133 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 858.

उर्फ **दीपू** बनाम **राज्य (दिल्ली राजधानी राज्य-क्षेत्र)**[1] वाले मामले को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

12. वर्तमान मामले में, अभियोक्त्री ने, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, सतत रूप से उसके साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं का समर्थन किया है । अभियोक्त्री की विश्वसनीयता के प्रति संदेह उत्पन्न करने के लिए उसकी कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है या इस संबंध में कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियोक्त्री के पास अपीलार्थी को मामले में झूठा फंसाने के लिए कोई हेतुक विद्यमान है । चिकित्सीय राय यह है कि अभियोक्त्री का योनिच्छद भंग था और योनि लेप में कोई शुक्राणु न पाया जाना भी प्राकृतिक था क्योंकि अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा अभिकथित अपराध किए जाने के काफी दिन बाद की गई थी । अभियोक्त्री ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसका निकाह अपीलार्थी के साथ समाज और लोगों के दबाव के अधीन हुआ था और उक्त निकाह स्वयं में एक कपट था क्योंकि अपीलार्थी ने कभी भी उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए । पीड़िता के पक्ष में अंतरित की गई भूमि भी एक कपटपूर्ण संव्यवहार था । अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक इस तथ्य को साबित किया है कि घटना की तारीख को अभियोक्त्री अप्राप्तवय थी । अत:, लैंगिक मैथुन में उसकी सहमति होना या सहमति न होना सारवान् नहीं है । चूंकि घटना के समय पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय लड़की थी और घटना की तारीख को उसके द्वारा यह दावा किया गया है कि अपीलार्थी ने उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध स्थापित किए थे, इसलिए दंड संहिता की धारा 375 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध साबित होता है । अभियोजन पक्ष द्वारा यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी ने साशय अभियोक्त्री को गुड्डू नामक एक व्यक्ति को सुपुर्द किया था जो उसे चंडीगढ़ ले गया और उसे एक ऐसे स्थान पर छोड़ आया जहां देह-व्यापार होता था । अत:, दंड संहिता की धारा 372 के अधीन अपराध भी अपीलार्थी के विरुद्ध साबित होता है । इसी प्रकार अभियोजन पक्ष ने दंड संहिता की धारा 366क के अधीन भी आरोप को

---

[1] (2012) 8 एस. सी. सी. 21 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3157.

साबित किया है क्योंकि पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी और उसे यह जानते-बूझते हुए प्रलोभन देकर उसे उसका घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध लैंगिक मैथुन करने के लिए मजबूर किया जाएगा ।

13. अभिलेख पर विद्यमान सामग्री के आधार पर मुझे अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत इन दलीलों में कोई गुण प्रतीत नहीं होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में अत्यधिक विलंब हुआ है, जिसके संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है या उसके कारण अपीलार्थियों के पक्षकथन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । अभियोक्त्री के साथ झूठा निकाह करने या दंड संहिता की धारा 498क के अधीन मामला संस्थित करने की पश्चात्वर्ती कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप वर्तमान आपराधिक कार्यों के प्रभाव का अल्पीकरण नहीं होता है । इस बिन्दु पर पीड़िता की प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है और न ही किसी अन्य अभियोजन साक्षी की इस बिन्दु के संबंध में प्रतिपरीक्षा की गई है ।

14. चूंकि विद्वान् विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 376(2)(i) के अधीन अपराध के लिए विहित न्यूनतम दंड से दंडादिष्ट किया है, इसलिए दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अधिरोपित दंडादेश में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 366क और 372 के अधीन अपराध के लिए विहित न्यूनतम दंड से दंडादिष्ट किया है, तथापि, दंडादेशों के संबंध में यह आदेश दिया गया है कि वे एक साथ चलेंगे । अतः, इससे अपीलार्थी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । तद्नुसार, उच्च न्यायालय दंडादेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इनकार करता है ।

15. परिणामतः, मुझे विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई दोष प्रतीत नहीं होता है । तद्नुसार, कोई गुण न होने के कारण वर्तमान अपील को खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

## हसीन खान

बनाम

## मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

(2000 की दांडिक अपील सं. 2113)

तारीख 30 जून, 2021

**न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अखिल कुमार श्रीवास्तव**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 और धारा 506 – अभियुक्त द्वारा अपनी अप्राप्तवय पुत्री के साथ बलात्संग किया जाना और उसके द्वारा लगभग 7 वर्ष तक उक्त अपराध को जारी रखना – अभियोक्त्री के कथन का सम्यक् रूप से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी तथा उसकी चिकित्सा परीक्षा करने वाली डाक्टर द्वारा अपने कथनों के माध्यम से समर्थन किया जाना – इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री की बुआ द्वारा भी उसके कथन की पुष्टि किया जाना – अभियोक्त्री की अंक तालिका के अनुसार यह तथ्य साबित होना कि पहली बार बलात्संग का अपराध किए जाने के समय अभियोक्त्री अप्राप्तवय थी और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि बलात्संग का अपराध सात वर्षों तक जारी रहा, अत: अभियुक्त की दोषसिद्धि सर्वथा उचित है और विचारण न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है, इसके अतिरिक्त, जहां तक दंडादेश का लघुकरण किए जाने का संबंध है, यह शक्ति राज्य सरकार के समुचित प्राधिकारी में निहित है और इसलिए राज्य सरकार के समुचित प्राधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि वह अभियुक्त के दंडादेश के लघुकरण/उसे क्षमादान मंजूर किए जाने के विवाद्यक पर विचार करके अपना विनिश्चय प्रस्तुत करे ।**

वर्तमान मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियोक्त्री अपीलार्थी की पुत्री है और जब उसकी आयु

लगभग 8 वर्ष की थी तो उस समय उसकी माता रेशमा बी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी । अभियोक्त्री की माता के मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थी ने दो बार विवाह किया था और उसकी एक पत्नी घर से भाग गई थी तथा दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी तथा अपीलार्थी की तीसरी पत्नी का नाम जरीना बी था । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष द्वारा यह पक्षकथन प्रस्तुत किया गया था कि जब अभियोक्त्री की आयु 12 वर्ष की थी तो उस समय अपीलार्थी ने पहली बार अभियोक्त्री के विरोध के बावजूद उसके साथ बलात्संग किया था । अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को यह धमकी भी दी थी कि यदि उसने इस घटना का प्रकटन किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष किया तो इसके अत्यंत दुष्परिणाम उसे भोगने होंगे । उसके पश्चात्, अपीलार्थी प्राय: उसके साथ बलात्संग किया करता था । वर्ष 1994 में उन झुग्गियों को, जिनमें अपीलार्थी और अभियोक्त्री निवास कर रहे थे, को हटा दिया गया और तदुपरांत अपीलार्थी अभियोक्त्री के साथ गौतम नगर जनता क्वार्टर में निवास हेतु आ गया किन्तु उसने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग जारी रखा । तारीख 25 अगस्त, 1999 की रात्रि में जब वह अभियोक्त्री के साथ बलात्संग कर रहा था तो उसी समय अभियोक्त्री की सौतेली माता ने अपीलार्थी को यह अपराध करते हुए देख लिया और उसके उपरांत अपीलार्थी ने जरीना बी की बुरी तरह पिटाई की । तीसरे दिन, जरीना बी ने अभियोक्त्री को उसकी बुआ, अर्थात् अपीलार्थी की बहन जैतून बी के पास जाने तथा संपूर्ण घटना को उसके समक्ष प्रकट करने के लिए कहा । तारीख 5 अक्तूबर, 1999 को दोपहर में अभियोक्त्री अपना घर छोड़ कर बरेली चली गई, जहां उसकी बुआ निवास कर रही थी, किन्तु बरेली पहुंचने पर उसे यह पता चला कि जैतून बी भोपाल गई हुई थी और इसलिए उसने बरेली में निवास करते हुए जैतून बी की प्रतीक्षा की और तारीख 7 अक्तूबर, 1999 को जब जैतून बी वापस आई तो अभियोक्त्री ने संपूर्ण घटना की जानकारी अपनी बुआ को दी । उसके पश्चात्, जैतून बी, अभियोक्त्री को पुलिस थाना ले गई जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी/1) रजिस्टर की गई तथा मामले का अन्वेषण आरंभ किया गया ।

घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया, अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा की गई तथा उसके फ्रॉक को रासायनिक परीक्षा हेतु भेजा गया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, पुलिस ने अपीलार्थी के विरुद्ध चालान फाइल किया, जिस पर अपीलार्थी ने अपने दोषी न होने का अभिवाक् किया और इस प्रकार अपीलार्थी के विरुद्ध विचारण आरंभ हुआ । विचारण न्यायालय ने अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा अन्य सुसंगत साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप साबित हो गए हैं । तदनुसार, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराया तथा अपीलार्थी के विरुद्ध दंडादेश पारित किया ।

**अभिनिर्धारित** – दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् यह पाया गया है कि निर्विवादित रूप से अभियोक्त्री अपीलार्थी की पुत्री है । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने संपूर्ण घटना को ब्यौरेवार सुनाया है । उसने इस तथ्य को भी प्रकट किया है कि वह अपने जन्म से ही अपीलार्थी के साथ निवास कर रही थी और 8 वर्ष की आयु में उसकी माता-रेशमा बी की मृत्यु हो गई थी और अपनी माता के जीवन काल के दौरान ही अपीलार्थी ने एक अन्य महिला से निकाह कर लिया था और उसके पश्चात् उसने एक तीसरा निकाह भी किया था । अभियोक्त्री ने इस तथ्य को भी प्रकट किया है कि जब उसकी आयु लगभग 12 वर्ष थी तो उसकी सौतेली माता को अस्पताल में भर्ती किया गया था और उस समयावधि के दौरान वह घर में अकेले निवास कर रही थी । उस समय अपीलार्थी ने पहली बार उसके साथ बलात्संग किया था और उसने लगभग सात वर्ष तक उसके साथ बलात्संग करना जारी रखा । अभियोक्त्री ने इस तथ्य को भी प्रकट किया है कि उसकी तीसरी सौतेली माता-जरीना बी ने अपीलार्थी को उसके साथ बलात्संग करते देख लिया था और इसलिए अपीलार्थी ने जरीना बी की बुरी तरह पिटाई की थी । उसके दो-तीन दिन पश्चात् जरीना बी घर छोड़कर चली गई और जाते समय उसने अभियोक्त्री को उसकी बुआ के घर जाने तथा इस संपूर्ण घटना की जानकारी अपनी बुआ

को देने को कहा । उसके पश्चात्, अभियोक्त्री अपनी बुआ-जैतून बी के बरेली स्थित घर गई और उसने इस संपूर्ण घटना का प्रकटन उसके समक्ष किया और परिणामत: रिपोर्ट दर्ज कराई गई । अभियोक्त्री के कथन को जरीना बी (अभि. सा. 2) के कथन द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित किया गया है, जो कि इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और उसने यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी को अभियोक्त्री के साथ बलात्संग करते हुए देखा था । अभि. सा. 2 ने इस तथ्य को भी प्रकट किया है कि जब उसने अपीलार्थी से इस घटना के संबंध में पूछताछ की तो अपीलार्थी ने उसका गला घोंटने का प्रयास किया था । उसके तीन दिन पश्चात् अभियोक्त्री ने संपूर्ण घटना उसके समक्ष प्रकट की थी और तब उसने अभियोक्त्री को यह कहा था कि वह इस घटना की जानकारी अपनी फुफी के पास जाकर उसे दे । उसने इस तथ्य को भी प्रकट किया है कि तीन दिन के पश्चात् वह अपने मायके चली गई थी और उसने अपीलार्थी के घर वापस आने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे यह डर था कि अपीलार्थी उसकी पुत्री के साथ भी बलात्संग कर सकता है । अभियोक्त्री और जरीना बी के कथनों को जैतून बी अभियोक्त्री की फुफी के कथन से सम्यक् रूप से पुष्टि प्राप्त है, जिसने यह प्रकटन किया है कि अभियोक्त्री उसके बरेली स्थित घर आई थी और तारीख 7 अक्तूबर, 1999 को उसने इस संपूर्ण घटना की ब्यौरेवार जानकारी उसके समक्ष प्रकट की थी । उसने इस तथ्य को भी प्रकट किया था कि पहली बार उसके साथ उस समय बलात्संग किया गया था जब उसकी आयु 12 वर्ष की थी और उसके पश्चात् से अपीलार्थी लगातार उसके साथ बलात्संग कर रहा है । डा. संध्या खोसला जिसने अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा की थी, ने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री लैंगिक मैथुन की आदी है । अंक तालिका के अनुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित किए जाने के समय अभियोक्त्री की आयु लगभग 18 वर्ष थी और प्रस्तुत किया गया साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह प्रकट करता है कि बलात्संग का अपराध उससे सात वर्ष पूर्व से लगातार किया जा रहा था । इस प्रकार, अपराध को पहली बार किए जाने के समय अभियोक्त्री अप्राप्तवय थी । अभियोक्त्री

से अभिगृहीत फ्रॉक की रासायनिक परीक्षा में उस पर कोई शुक्राणु नहीं पाए गए थे, किन्तु मामले के इस पहलू पर विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में पहले ही सम्यक् रूप से विचार किया है और इस तथ्य का इसलिए अपराध पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि वह पहले ही साबित किया जा चुका है । इस प्रकार, अभियोक्त्री जरीना बी, जैतून बी और डा. संध्या खोसला द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों से इस तथ्य को साबित किया गया है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग का अपराध किया है । अभियोक्त्री, अपीलार्थी की पुत्री है और अपीलार्थी ने इस प्रकार का घृणित, घिनौना और अधम अपराध अपनी पुत्री के साथ किया है । मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय ने सही रूप से अपीलार्थी को आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया है । कारागार अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, भोपाल के कार्यालय से प्राप्त हुई तारीख 30 मार्च, 2021 की रिपोर्ट से यह तथ्य प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने तारीख 26 मार्च, 2021 तक कुल 21 वर्ष, 5 मास और 19 दिन की सजा भोगी है और तारीख 31 दिसम्बर, 2020 को उसे 9 वर्ष 2 मास और 19 दिन का क्षमादान प्राप्त हुआ था । विधि की सुस्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय की राय यह है कि अपीलार्थी को दिया गया आजीवन कारावास का दंड उसके अंतिम श्वास तक, उसके संपूर्ण जीवन की शेष अवधि तक का है और उसके संबंध में क्षमादान मंजूर करने की शक्ति केवल राज्य सरकार में निहित है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी ने 20 वर्ष से अधिक का कारावास पूरा कर लिया है, उच्च न्यायालय की राय यह है कि अपीलार्थी को क्षमादान का फायदा मंजूर करने के पश्चात् उसे निर्मुक्त करने से संबंधित विवाद्यक पर राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि के अनुसार विचार किए जाने की आवश्यकता है । अतः, अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित दंडादेश की पुष्टि करते हुए अपील का निपटारा किया जाता है और साथ ही राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि वह अपीलार्थी को क्षमादान का फायदा मंजूर करने के पश्चात् उसे निर्मुक्त करने से संबंधित विवाद्यक पर

विचार करे । इस कार्य को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथासंभव शीघ्र और अधिमानी रूप से आज से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा । (पैरा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24 और 25)

**निर्दिष्ट निर्णय**

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2016] | (2016) 7 एस. सी. सी. 1 =<br>ए. आई. आर. 2006 एस. सी. (सप्ली.) 739 :<br>**भारत संघ** बनाम **वी. श्रीहरन** उर्फ **मुरुगन और अन्य** ; | 22 |
| [1991] | (1991) 1 एस. सी. सी. 107 =<br>ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 2147 :<br>**मारू राम** बनाम **भारत संघ** ; | 17 |
| [1976] | (1976) 3 एस. सी. सी. 470 :<br>**मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **रतन सिंह** ; | 17, 23 |
| [1961] | ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 600 :<br>**गोपाल विनायक गोडसे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य** । | 17 |

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2000 की दांडिक अपील सं. 2113.**

अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील पांचवां अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल द्वारा वर्ष 1999 के सेशन विचारण मामला सं. 390 में तारीख 17 मई, 2000 को पारित निर्णय को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

**याची की ओर से** श्री अमानुल्ला उस्मानी

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री एस. के. कश्यप, विद्वान् सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने दिया ।

**न्या. श्रीवास्तव** – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 374(2) के अधीन फाइल की गई वर्तमान अपील के माध्यम से अपीलार्थी ने पांचवां अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल द्वारा वर्ष 1999 के

सेशन विचारण मामला सं. 390 में तारीख 17 मई, 2000 को पारित उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 376 और 506 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और उसे दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया गया है और साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 506 के अधीन अपराध करने के लिए एक वर्ष के लिए कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है और जुर्माने की रकम के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसे छह मास के अतिरिक्त कारावास से भी दंडादिष्ट किया गया तथा यह भी निदेश दिया गया कि ये दोनों दंडादेश एक साथ चलेंगे ।

2. अभियोजन के पक्षकथन यह है कि अभियोक्त्री अपीलार्थी की पुत्री है और जब उसकी आयु लगभग 8 वर्ष की थी तो उस समय उसकी माता रेशमा बी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी । अभियोक्त्री की माता के मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थी ने दो बार विवाह किया था और उसकी एक पत्नी घर से भाग गई थी तथा दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी तथा अपीलार्थी की तीसरी पत्नी का नाम जरीना बी था । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष द्वारा यह पक्षकथन प्रस्तुत किया गया था कि जब अभियोक्त्री की आयु 12 वर्ष की थी तो उस समय अपीलार्थी ने पहली बार अभियोक्त्री के विरोध के बावजूद उसके साथ बलात्संग किया था । अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को यह धमकी भी दी थी कि यदि उसने इस घटना का प्रकटन किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष किया तो इसके अत्यंत दुष्परिणाम उसे भोगने होंगे । उसके पश्चात्, अपीलार्थी प्राय: उसके साथ बलात्संग किया करता था । वर्ष 1994 में उन झुग्गियों को, जिनमें अपीलार्थी और अभियोक्त्री निवास कर रहे थे, को हटा दिया गया और तदुपरांत अपीलार्थी अभियोक्त्री के साथ गौतम नगर जनता क्वॉटर में निवास हेतु आ गया किन्तु उसने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग जारी रखा ।

3. तारीख 25 अगस्त, 1999 की रात्रि में जब वह अभियोक्त्री के

साथ बलात्संग कर रहा था तो उसी समय अभियोक्त्री की सौतेली माता ने अपीलार्थी को यह अपराध करते हुए देख लिया और उसके उपरांत अपीलार्थी ने जरीना बी की बुरी तरह पिटाई की । तीसरे दिन, जरीना बी ने अभियोक्त्री को उसकी बुआ, अर्थात् अपीलार्थी की बहन जैतून बी के पास जाने तथा संपूर्ण घटना को उसके समक्ष प्रकट करने के लिए कहा । तारीख 5 अक्तूबर, 1999 को दोपहर में अभियोक्त्री अपना घर छोड़ कर बरेली चली गई, जहां उसकी बुआ निवास कर रही थी, किन्तु बरेली पहुंचने पर उसे यह पता चला कि जैतून बी भोपाल गई हुई थी और इसलिए उसने बरेली में निवास करते हुए जैतून बी की प्रतीक्षा की और तारीख 7 अक्तूबर, 1999 को जब जैतून बी वापस आई तो अभियोक्त्री ने संपूर्ण घटना की जानकारी अपनी बुआ को दी । उसके पश्चात्, जैतून बी, अभियोक्त्री को पुलिस थाना ले गई जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी/1) रजिस्टर की गई तथा मामले का अन्वेषण आरंभ किया गया । घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया, अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा की गई तथा उसके फ्रॉक को रासायनिक परीक्षा हेतु भेजा गया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, पुलिस ने अपीलार्थी के विरुद्ध चालान फाइल किया, जिस पर अपीलार्थी ने अपने दोषी न होने का अभिवाक् किया और इस प्रकार अपीलार्थी के विरुद्ध विचारण आरंभ हुआ ।

4. विचारण न्यायालय ने अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा अन्य सुसंगत साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप साबित हो गए हैं । तद्नुसार, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराया तथा ऊपर उपदर्शित की गई रीति में अपीलार्थी के विरुद्ध दंडादेश पारित किया ।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराकर त्रुटि की है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी सारवान् अवधि के लिए अभिरक्षा में रहा है, और उक्त अवधि 14 वर्ष से अधिक की हो गई है, अत:, उसे निर्मुक्त किया जाना चाहिए या उसके विरुद्ध पारित दंडादेश का लघुकरण किया जाना चाहिए ।

6. राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने इस अपील का विरोध किया है और यह दलील प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध को सम्यक् रूप से साबित किया गया है और वर्तमान अपील में कोई गुण नहीं है ।

7. दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् यह पाया गया है कि निर्विवादित रूप से अभियोक्त्री अपीलार्थी की पुत्री है । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने संपूर्ण घटना को ब्यौरेवार सुनाया है । उसने इस तथ्य को भी प्रकट किया है कि वह अपने जन्म से ही अपीलार्थी के साथ निवास कर रही थी और 8 वर्ष की आयु में उसकी माता-रेशमा बी की मृत्यु हो गई थी और अपनी माता के जीवन काल के दौरान ही अपीलार्थी ने एक अन्य महिला से निकाह कर लिया था और उसके पश्चात् उसने एक तीसरा निकाह भी किया था । अभियोक्त्री ने इस तथ्य को भी प्रकट किया है कि जब उसकी आयु लगभग 12 वर्ष थी तो उसकी सौतेली माता को अस्पताल में भर्ती किया गया था और उस समयावधि के दौरान वह घर में अकेले निवास कर रही थी । उस समय अपीलार्थी ने पहली बार उसके साथ बलात्संग किया था और उसने लगभग सात वर्ष तक उसके साथ बलात्संग करना जारी रखा । अभियोक्त्री ने इस तथ्य को भी प्रकट किया है कि उसकी तीसरी सौतेली माता-जरीना बी ने अपीलार्थी को उसके साथ बलात्संग करते देख लिया था और इसलिए अपीलार्थी ने जरीना बी की बुरी तरह पिटाई की थी । उसके दो-तीन दिन पश्चात् जरीना बी घर छोड़कर चली गई और जाते समय उसने अभियोक्त्री को उसकी बुआ के घर जाने तथा इस संपूर्ण घटना की जानकारी अपनी बुआ को देने को कहा । उसके पश्चात्, अभियोक्त्री अपनी बुआ-जैतून बी के बरेली स्थित घर गई और उसने इस संपूर्ण घटना का प्रकटन उसके समक्ष किया और परिणामत: रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।

8. अभियोक्त्री के कथन को जरीना बी (अभि. सा. 2) के कथन द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित किया गया है, जो कि इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और उसने यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी को अभियोक्त्री के साथ बलात्संग करते हुए देखा था । अभि सा. 2 ने

इस तथ्य को भी प्रकट किया है कि जब उसने अपीलार्थी से इस घटना के संबंध में पूछताछ की तो अपीलार्थी ने उसका गला घोंटने का प्रयास किया था । उसके तीन दिन पश्चात् अभियोक्त्री ने संपूर्ण घटना उसके समक्ष प्रकट की थी और तब उसने अभियोक्त्री को यह कहा था कि वह इस घटना की जानकारी अपनी फुफी के पास जाकर उसे दे । उसने इस तथ्य को भी प्रकट किया है कि तीन दिन के पश्चात् वह अपने मायके चली गई थी और उसने अपीलार्थी के घर वापस आने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे यह डर था कि अपीलार्थी उसकी पुत्री के साथ भी बलात्संग कर सकता है ।

9. अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) और जरीना बी (अभि. सा. 2) के कथनों को जैतून बी (अभि. सा. 3) अभियोक्त्री की फुफी के कथन से सम्यक् रूप से पुष्टि प्राप्त है, जिसने यह प्रकटन किया है कि अभियोक्त्री उसके बरेली स्थित घर आई थी और तारीख 7 अक्तूबर, 1999 को उसने इस संपूर्ण घटना की ब्यौरेवार जानकारी उसके समक्ष प्रकट की थी । उसने इस तथ्य को भी प्रकट किया था कि पहली बार उसके साथ उस समय बलात्संग किया गया था जब उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की थी और उसके पश्चात् से अपीलार्थी लगातार उसके साथ बलात्संग कर रहा है ।

10. डा. संध्या खोसला (अभि. सा. 4), जिसने अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा की थी, ने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री लैंगिग मैथुन की आदि है ।

11. अंक तालिका (प्रदर्श पी-11) के अनुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित किए जाने के समय अभियोक्त्री की आयु लगभग 18 वर्ष थी और प्रस्तुत किया गया साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह प्रकट करता है कि बलात्संग का अपराध उससे सात वर्ष पूर्व से लगातार किया जा रहा था । इस प्रकार, अपराध को पहली बार किए जाने के समय अभियोक्त्री अप्राप्तवय थी । अभियोक्त्री से अभिगृहीत फ्रॉक की रासायनिक परीक्षा में उस पर कोई शुक्राणु नहीं पाए गए थे, किन्तु मामले के इस पहलू पर विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में पहले ही सम्यक् रूप से विचार किया है और इस तथ्य का इसलिए अपराध पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि वह पहले ही साबित किया जा चुका है ।

12. इस प्रकार, अभियोक्त्री (अभि. सा. 1), जरीना बी (अभि. सा. 2), जैतून बी (अभि. सा. 3) और डा. संध्या खोसला (अभि. सा. 4) द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों से इस तथ्य को साबित किया गया है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग का अपराध किया है । अभियोक्त्री, अपीलार्थी की पुत्री है और अपीलार्थी ने इस प्रकार का घृणित, घिनौना और अधम अपराध अपनी पुत्री के साथ किया है ।

13. मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय ने सही रूप से अपीलार्थी को आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया है । कारागार अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, भोपाल के कार्यालय से प्राप्त हुई तारीख 30 मार्च, 2021 की रिपोर्ट से यह तथ्य प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने तारीख 26 मार्च, 2021 तक कुल 21 वर्ष, 5 मास और 19 दिन की सजा भोगी है और तारीख 31 दिसम्बर, 2020 को उसे 9 वर्ष 2 मास और 19 दिन का क्षमादान प्राप्त हुआ था ।

14. दंडादेश के प्रश्न पर विचार करते हुए यह तथ्य सामने आता है कि अभिलेख से यह उपदर्शित होता है कि जैसा कि कारागार अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, भोपाल के कार्यालय से प्राप्त हुई तारीख 30 मार्च, 2021 की रिपोर्ट से प्रकट होता है अपीलार्थी ने तारीख 26 मार्च, 2021 तक कुल 21 वर्ष, 5 मास और 19 दिन की सजा भोगी है । उक्त संसूचना के अनुसार उसने तारीख 31 दिसम्बर, 2020 तक 9 वर्ष 2 मास और 19 दिन का क्षमादान अर्जित किया है और इसलिए इस संबंध में इस न्यायालय के सामने विचारार्थ दो विवाद्यक उद्भूत होते हैं :–

(i) क्या अपीलार्थी को दिए गए आजीवन कारावास के दंडादेश से वास्तव में 14 वर्ष या 20 वर्ष का कारावास अभिप्रेत है ?

(ii) क्या यह न्यायालय क्षमादान का फायदा देते हुए दंडादेश का लघुकरण कर सकता है अथवा उसे घटा सकता है ?

15. दंड संहिता की धारा 53 निम्नानुसार दंड के रूप के आजीवन कारावास के संबंध में उपबंध करती है :–

‘53 “दंड” – अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है, वे ये हैं –

पहला – मृत्यु ;

दूसरा – आजीवन कारावास ;

*** ***

चौथा – कारावास, जो दो भांति का है, अर्थात् ;

(1) कठिन, अर्थात् कठोर श्रम के साथ ;

(2) सादा ;

पांचवां – संपत्ति का समपहरण ;

छठा – जुर्माना ।'

16. दंड संहिता की धारा 45 "आजीवन कारावास" पद को निम्नानुसार परिभाषित करती है :–

'45. "जीवन" – जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, "जीवन" शब्द मानव के जीवन का द्योतक है ।'

17. दंड संहिता की धारा 53 संपूर्ण जीवन के कारावास के लिए उपबंध करती है और धारा 45 में यथा अंतर्विष्ट "जीवन" शब्द की परिभाषा इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि जीवन से किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है और उसमें उसके जन्म से लेकर उसके अंतिम श्वास तक की अवधि सम्मिलित है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने **गोपाल विनायक गोडसे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारत किया है कि आजीवन निर्वासन या आजीवन कारावास के दंडों को प्रथमदृष्ट्या रूप से दोषसिद्ध व्यक्ति के संपूर्ण प्राकृतिक जीवन या शेष बचे प्राकृतिक जीवन की अवधि के लिए निर्वासन या कारावास के रूप में विचार में लेना चाहिए । **मारू राम** बनाम **भारत संघ**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की सांविधानिक खंडपीठ ने **गोपाल विनायक गोडसे** (उपरोक्त) वाले मामले का अनुसरण किया था और अपने निर्णय के पैरा 72(4) में इस बात को दोहराया था कि आजीवन

---

[1] ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 600.

[2] (1981) 1 एस. सी. सी. 107 = ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 2147.

कारावास का दंड दोषसिद्ध व्यक्ति के अंतिम श्वास तक चलता है और कैदी केवल उस दशा में निर्मुक्ति का दावा कर सकता है यदि उसके शेष बचे दंडादेश को सरकार द्वारा क्षमा कर दिया गया है । विधि की इसी स्थिति को पुन: माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **रतन सिंह**[1] वाले मामले में भी दोहराया गया था । अत:, उपरोक्त उद्घोषणाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि आजीवन कारावास का दंडादेश तब तक दोषसिद्ध व्यक्ति के संपूर्ण जीवन तक चलेगा जब तक कि उसे विधि के अनुसार क्षमादान मंजूर न किया गया हो ।

18. अब हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या यह न्यायालय क्षमादान मंजूर कर सकता है और किसी आजीवन कारावास से दंडादिष्ट दोषसिद्ध व्यक्ति को वास्तविक दंडादेश के 14 वर्ष या 20 वर्ष पूरा हो जाने पर निर्मुक्त कर सकता है ।

19. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432, समुचित सरकार को किसी दंडादेश को निलंबित या क्षमा करने की शक्ति प्रदान करती है तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 समुचित सरकार को दंडादेश का लघुकरण करने की शक्ति प्रदान करती है । उपरोक्त धारा 433 निम्नानुसार है :-

> "433**. दंडादेश के लघुकरण की शक्ति** – समुचित सरकार दंडादिष्ट व्यक्ति की सम्मति के बिना –
>
> (क) मृत्यु दंडादेश का भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड के रूप में लघुकरण कर सकती है ;
>
> (ख) आजीवन कारावास के दंडादेश का, 14 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास में या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है ;
>
> (ग) कठिन कारावास के दंडादेश का किसी ऐसी अवधि के सादा कारावास में जिसके लिए वह व्यक्ति दंडादिष्ट किया जा सकता है, या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है ;

---

[1] (1976) 3 एस. सी. सी. 470.

(घ) सादा कारावास के दंडादेश का जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है ।"

20. किसी दंडादेश को क्षमा करने या उसका लघुकरण करने की शक्ति पर अधिरोपित निर्बंधनों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433क में अंतर्विष्ट किया गया है, जो निम्नानुसार उपबंध करती है :-

"**433क. कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बंधन** – धारा 432 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए मृत्युदंड विधि द्वारा उपबंधित दंडों में से एक है, आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है या धारा 433 के अधीन किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति कारावास से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि उसने 14 वर्ष का कारावास पूरा न कर लिया हो ।"

21. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 के निबंधनानुसार, समुचित सरकार किसी दोषसिद्ध व्यक्ति पर अधिरोपित दंडादेश को 14 वर्ष से अनधिक अवधि के आजीवन कारावास के लिए उसका लघुकरण करने हेतु सशक्त है तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433क के निबंधनों के अनुसार, दंड को क्षमा करने या उसका लघुकरण करने की शक्ति निर्बंधित है और आजीवन कारावास से दंडादिष्ट कोई दोषसिद्ध व्यक्ति, जिसे ऐसे अपराध के लिए दंडादिष्ट किया गया है, जिसके लिए उपबंधित दंडों में से मृत्युदंड भी एक दंड है, न्यूनतम 14 वर्ष का कारावास पूरा करने से पूर्व निर्मुक्त नहीं किया जा सकता । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और 433 के परिशीलन से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि लघुकरण या क्षमादान केवल समुचित सरकार द्वारा मंजूर किया जा सकता है । इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग एक कार्यपालक विवेकाधिकार है और वह किसी उच्च न्यायालय के पास उसकी पुनर्विलोकन की अधिकारिता का प्रयोग करते समय उपलब्ध नहीं है ।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय की सांविधानिक खंडपीठ ने **भारत संघ** बनाम **वी. श्रीहरन** उर्फ **मुरुगन और अन्य**[1] वाले मामले में यह

[1] (2016) 7 एस. सी. सी. 1 = ए. आई. आर. 2006 एस. सी. (सप्ली.) 739.

अभिनिर्धारित किया है कि दंड को क्षमा करने की शक्ति राज्य कार्यपालिका में निहित है और कोई न्यायालय सर्वोत्तम रूप से दंड को क्षमा करने के किसी दावे पर विचार करने का निदेश दे सकता है किन्तु वह स्वयं दंड को क्षमा करने की मंजूरी नहीं दे सकता और इस प्रकार वह दोषसिद्ध व्यक्ति को समय से पूर्व निर्मुक्त करने में असमर्थ है । इसके अतिरिक्त, निम्नानुसार और अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "114. अत:, यह अभिनिर्धारित किया जाना आवश्यक है कि समुचित सरकार के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और 433 के अधीन किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को क्षमादान दिए जाने पर विचार करने और उसे मंजूर करने का प्रत्येक परिधि क्षेत्र विद्यमान है, और यदि इस प्रकार का विचार किसी पूर्ववर्ती समय पर किया गया था और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 72 तथा राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन शक्ति का प्रयोग भी पूर्व में किया गया था । जहां तक संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन इस न्यायालय द्वारा की गई विवक्षा का संबंध है, हमने पहले ही यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और 433 के अधीन शक्ति का प्रयोग समुचित सरकार द्वारा कानूनी रूप से किया जाना है और यह न्यायालय उक्त शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता और इसका विनिश्चय समुचित सरकार पर ही छोड़ा गया है, चाहे इस संबंध में कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन इस न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत करता है । हम उक्त प्रश्न का उपरोक्त निबंधनों के अनुसार उत्तर उपलब्ध कराते हैं ।"

23. **रतन सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

> "9. दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित मामला विधियों में निर्धारित किए गए विधि के प्रश्नों तथा उक्त संहिता के कानूनी उपबधों का पुनर्विलोकन करने से निम्नलिखित परिदृश्य उभरता है –

(1) आजीवन कारावास का दंडादेश, क्षमादानों सहित बीस वर्षों की समाप्ति पर स्वयंमेव समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि विभिन्न कारागार मैन्युलों या कारागार अधिनियम के अधीन विरचित प्रशासनिक नियम, भारतीय दंड संहिता के कानूनी उपबंध पर अभिभावी नहीं हो सकते । आजीवन कारावास के दंडादेश से ऐसा दंडादेश अभिप्रेत है जो तब तक कैदी के संपूर्ण जीवन तक चलेगा, जब तक कि समुचित सरकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अधीन अपने विवेक का प्रयोग करते हुए संपूर्ण दंड या उसके किसी भाग के लिए क्षमादान मंजूर नहीं करती ;"

24. विधि की पूर्वोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी राय यह है कि अपीलार्थी को दिया गया आजीवन कारावास का दंड उसके अंतिम श्वास तक, उसके संपूर्ण जीवन की शेष अवधि तक का है और उसके संबंध में क्षमादान मंजूर करने की शक्ति केवल राज्य सरकार में निहित है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी ने 20 वर्ष से अधिक का कारावास पूरा कर लिया है, हमारी राय यह है कि अपीलार्थी को क्षमादान का फायदा मंजूर करने के पश्चात् उसे निर्मुक्त करने से संबंधित विवाद्यक पर राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि के अनुसार विचार किए जाने की आवश्यकता है ।

25. अत:, हम अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित दंडादेश की पुष्टि करते हुए अपील का निपटारा करते हैं और साथ ही राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि वह अपीलार्थी को क्षमादान का फायदा मंजूर करने के पश्चात् उसे निर्मुक्त करने से संबंधित विवाद्यक पर विचार करे । इस कार्य को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथासंभव शीघ्र और अधिमानी रूप से आज से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।

अपील का निपटारा किया गया ।

पु.

## मध्य प्रदेश राज्य

बनाम

## रिजवान खान

(2021 का प्रकीर्ण दांडिक मामला सं. 9166)

तारीख 8 जुलाई, 2021

**न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति आनंद पाठक**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 420, 467, 468, 471 और 406 – अभियुक्त के विरुद्ध यह अभिकथन करते हुए कि उसने निर्गत आदेश तथा मांगदेय ड्राफ्ट में कतिपय अंतर्वेशन किया है तथा उसके आधार पर तीन गुना अधिक डीएपी यूरिया का उपापन किया, छल करने का आरोप लगाया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना – राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील फाइल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना – अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करते समय यह तथ्य सामने आना कि अभियोजन पक्ष ने अंतर्वेशनों को साबित करने के लिए किसी हस्तलेख विशेषज्ञ की परीक्षा नहीं की है – माल के प्रदाय ज्ञापनों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों या अंगूठे के निशानों का न पाया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा भंडारकर्ता की भूमिका का संदेहास्पद पाया जाना – मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाना कि अभियोजन पक्ष सभी सुसंगत संदेहों से परे अभियुक्त के विरुद्ध अपना पक्षकथन स्थापित करने में असफल रहा है और इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्त की दोषमुक्ति सर्वथा उचित है तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।**

वर्तमान मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस

प्रकार हैं कि तारीख 2 जुलाई, 2015 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, गुना की प्रभारी शाखा प्रबंधक (श्रीमती ममता अग्रवाल) ने संबद्ध पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी संस्था ने अभिषेक सेन नामक एक व्यक्ति के माध्यम से पांच टन का डीपीए का यूरिया दिए जाने का लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया था, जिसका मूल्य लगभग 1,25,600/- रुपए था । उक्त अनुरोध के अनुसरण में बैंक ने श्री अभिषेक सेन, प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी संस्थान के समिति प्रबंधक के नाम से एक निर्गत आदेश तैयार किया, जिसका संख्यांक एच-87380, तारीख 2 जुलाई, 2015 था और साथ ही 1,23,318.25 रुपए का एक मांगदेय ड्राफ्ट (बैंकर्स चैक) भी तैयार किया गया, जिसका संख्यांक 008307 था । उसी तारीख को अभिषेक सेन ने बैंक को यह बताया कि चूंकि वह कलेक्ट्रेट, गुना में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा था तो इसलिए अध्यापेक्षित दस्तावेजों को उसके आदमी श्री रिजवान खान (परिवहनकर्ता) को सौंप दिया जाए । इसके अनुसार, उक्त दस्तावेजों (निर्गत आदेश तथा मांगदेय ड्राफ्ट) को प्रत्यर्थी/अभियुक्त रिजवान खान को कंप्यूटर प्रचालक ओमपाल द्वारा सौंप दिया गया । उसके पश्चात्, जब विपणन संगठन, गुना, जिसने यूरिया का प्रदाय किया था, उक्त मांगदेय ड्राफ्ट तथा निर्गत आदेश को प्रधान कार्यालय, गुना में नकदीकरण हेतु प्रस्तुत किया । उस समय यह पाया गया कि उक्त दस्तावेजों में कतिपय अधिलेखन तथा रकम और यूरिया की मात्रा के स्थान पर कतिपय काटा-पीटी की गई है तथा कुछ अंतर्वेशन भी किए गए हैं और इस प्रकार मात्रा को पांच टन के स्थान पर पंद्रह टन बताया गया तथा सौ बोरियों के स्थान पर तीन सौ बोरी को उल्लिखित किया गया है तथा रकम को 1,23,389.75 रुपए की बजाए 3,68,389.75 के रूप में उल्लिखित किया गया है । उक्त शिकायत के आधार पर प्रत्यर्थी/अभियुक्त-परिवहनकर्ता के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करते हुए अपराध मामला सं. 602/2015 को रजिस्टर किया गया । संबद्ध साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध किया गया तथा सम्यक् अन्वेषण के पश्चात् विधि के सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया

गया और तदुपरांत मामले को विचारण हेतु सेशन न्यायालय, गुना को सुपुर्द किया गया । सुसंगत दस्तावेजों और इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया । अतः, राज्य ने अपील ज्ञापन के साथ अपील फाइल करने की इजाजत की ईप्सा करते हुए वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया है जिससे दोषमुक्ति के आदेश को चुनौती दी जा सके । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों और तर्कों को सुनने के पश्चात् आवेदन को खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – वर्तमान आवेदन के माध्यम से आवेदक/राज्य ने अपील फाइल करने की इजाजत दिए जाने हेतु प्रार्थना की है । वर्तमान मामला दस्तावेजों को कूटरचित करने तथा उनमें अंतर्वेशन किए जाने से संबंधित है । स्वीकार्य रूप से प्रत्यर्थी एक अनपढ़ व्यक्ति है और उसके विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि उसने निर्गत आदेश और मांगदेय ड्राफ्ट में कतिपय अंतर्वेशन किए हैं । उन अंतर्वेशनों को साबित करने के प्रयोजन के लिए, अभियोजन पक्ष ने किसी हस्तलेख विशेषज्ञ की परीक्षा नहीं की है । उक्त दस्तावेजों, अर्थात् निर्गत आदेश तथा मांगदेय ड्राफ्ट में किए गए अंतर्वेशन स्पष्ट रूप से लक्षित हैं तथा इस प्रकार अंतर्वेशन किए गए दस्तावेजों के आधार पर भंडारकर्ता सत्रजीत सिंह द्वारा यूरिया भी निर्गत किया गया है । एक विवेकपूर्ण व्यक्ति, विशेष रूप से एक सरकारी सेवक से यह आशा नहीं की जाती है कि वह इस प्रकार अंतर्वेशन किए गए दस्तावेजों के आधार पर मालों का निर्गत करेगा । संबद्ध वर्ष (2013-2014) के प्रदाय ज्ञापनों की पुस्तक के परिशीलन से यह उपदर्शित होता है कि प्रदाय ज्ञापनों पर मालों के प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं हैं । उक्त ज्ञापनों पर केवल उस व्यक्ति के हस्ताक्षर विद्यमान हैं जिसने मालों का प्रदाय किया है । इस प्रकार, प्रदाय ज्ञापनों पर प्रत्यर्थी के हस्ताक्षरों या अंगूठे के निशान की अनुपस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने पांच टन यूरिया के स्थान पर पंद्रह टन डीएपी यूरिया प्राप्त किया है । अभिषेक सेन ने उसके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य के

पैरा 10 में यह कथन किया है कि वे अग्रिम में सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित निर्गत आदेश तैयार रखते थे और इसलिए दस्तावेजी साक्ष्य-प्रदाय ज्ञापन सं. 444546 जिस पर प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर विद्यमान हैं, अभियोजन पक्ष को कोई समर्थन उपलब्ध नहीं कराता और इस साक्ष्य के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि प्रत्यर्थी ने पांच टन यूरिया के स्थान पर पंद्रह टन यूरिया का उपापन किया, विशेष रूप से उस समय जब निर्गत आदेश पर प्राप्तिकर्ता की हैसियत से अभिषेक सेन के हस्ताक्षर विद्यमान हैं और प्रत्यर्थी के कब्जे से किसी भी प्रकार से उपाप्त किए गए अतिरिक्त यूरिया का बरामद किए जाने के संबंध में कोई अभिकथन नहीं किया गया है । चूंकि विचारण न्यायालय ने भंडारकर्ता सत्रजीत सिंह की भूमिका को संदेहास्पद पाया है, इसलिए उसे विचारण न्यायालय द्वारा पुन: परीक्षा हेतु समन किया गया था, किन्तु उसकी मृत्यु हो गई तथा पुलिस थाना कोतवाली, गुना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उसे तारीख 13 मार्च, 2020 के एक आदेश द्वारा मृत घोषित किया गया है । अभियोजन पक्ष तथा प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभिषेक सेन तथा सत्रजीत सिंह की भूमिका को विचारण न्यायालय द्वारा संदेहास्पद पाया गया है । इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालकर कोई त्रुटि नहीं की है कि अभियोजन पक्ष सभी सुसंगत संदेहों से परे प्रत्यर्थी-अभियुक्त के विरुद्ध अपना पक्षकथन साबित करने में असफल रहा है । इस सिद्धांत को बार-बार दोहराया गया है कि जितना बड़ा आरोप है, उसे साबित करने हेतु सबूत भी उतना ही बड़ा होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, यह सिद्धांत भी अत्यधिक स्पष्ट है कि जब तक अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों को सभी सुसंगत संदेहों से परे स्पष्ट, ठोस, विश्वसनीय या अकाट्य साक्ष्य के आधार पर साबित नहीं कर दिया जाता अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराने या दंडादिष्ट करने का प्रश्न ही नहीं उठता । विचारण न्यायालय ने वर्तमान मामले में संबंधित विवादों के आवश्यक पहलुओं के संबंध में सही मूल्यांकन किया है और उसके पश्चात् ही अभियुक्त के पक्ष में दोषमुक्ति को अभिलिखित करते हुए तर्कसंगत निर्णय पारित किया है । यह प्रतीत होता है कि निर्णय में

हस्तक्षेप करने हेतु कोई समुचित पक्षकथन तैयार नहीं किया गया है । अतः, इजाजत देने से इनकार किया जाता है और तद्नुसार, आवेदक-राज्य द्वारा फाइल किए गए आवेदन को नामंजूर किया जाता है । विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 12 मई, 2020 को पारित निर्णय की पुष्टि की जाती है । (पैरा 8, 9, 10, 11 और 15)

**निर्दिष्ट निर्णय**

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2010] | ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 589 :<br>**गामिनी बाला कोटेश्वरा राव** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ; | 13 |
| [2008] | (2008) 1 एस. सी. सी. 258 =<br>ए. आई. आर. ऑनलाइन 2007 एस. सी. 340 :<br>**के. प्रकाशम** बनाम **पी. के. सुरेन्द्रन्** ; | 14 |
| [2007] | 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1850 :<br>**चंद्राप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य** ; | 12 |
| [2006] | (2006) 1 एस. सी. सी. 401 =<br>ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 836 :<br>**टी. सुब्रमण्यिन्** बनाम **तमिलनाडु राज्य** । | 14 |

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 का प्रकीर्ण दांडिक मामला सं. 9166.**

वर्तमान दांडिक आवेदन राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य ने यह प्रार्थना की है कि उसे पांचवें अपर सेशन न्यायाधीश, गुना द्वारा तारीख 12 मई, 2020 को पारित निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

| | |
|---|---|
| **आवेदक की ओर से** | श्री ए. के. निरंकारी, विद्वान् लोक अभियोजक |
| **प्रत्यर्थी की ओर से** | – |

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने दिया ।

**न्या. पाठक** – वर्तमान दांडिक आवेदन राज्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 378(3) के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य ने यह प्रार्थना की है कि उसे पांचवें अपर सेशन न्यायाधीश, गुना द्वारा तारीख 12 मई, 2020 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति प्रदान की जाए, जिसके माध्यम से विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी/अभियुक्त रिजवान खान को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 420, 467, 468, 471 और 406 के अधीन अपराध करने के लिए रजिस्टर किए गए वर्ष 2017 के सेशन विचारण सं. 92 में दोषमुक्त किया गया है ।

2. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत पक्षकथन के अनुसार तारीख 2 जुलाई, 2015 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, गुना की प्रभारी शाखा प्रबंधक (श्रीमती ममता अग्रवाल) ने संबद्ध पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी संस्था ने अभिषेक सेन नामक एक व्यक्ति के माध्यम से पांच टन का डीएपी का यूरिया दिए जाने का लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया था, जिसका मूल्य लगभग 1,25,600/- रुपए था । उक्त अनुरोध के अनुसरण में बैंक ने श्री अभिषेक सेन, प्राथमिक कृषि शाख सहकारी संस्थान के समिति प्रबंधक के नाम से एक निर्गत आदेश तैयार किया, जिसका संख्यांक एच-87380, तारीख 2 जुलाई, 2015 था और साथ ही 1,23,318.25 रुपए का एक मांगदेय ड्राफ्ट (बैंकर्स चैक) भी तैयार किया गया, जिसका संख्यांक 008307 था । उसी तारीख को अभिषेक सेन ने बैंक को यह बताया कि चूंकि वह कलेक्ट्रेट, गुना में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा था तो इसलिए अध्यापेक्षित दस्तावेजों को उसके आदमी श्री रिजवान खान (परिवहनकर्ता) को सौंप दिया जाए । इसके अनुसार, उक्त दस्तावेजों (निर्गत आदेश तथा मांगदेय ड्राफ्ट) को प्रत्यर्थी/अभियुक्त रिजवान खान को कंप्यूटर प्रचालक ओमपाल द्वारा सौंप दिया गया । उसके पश्चात्, जब विपणन संगठन, गुना, जिसने यूरिया का प्रदाय किया था, उक्त मांगदेय ड्राफ्ट तथा निर्गत आदेश को

प्रधान कार्यालय, गुना में नकदीकरण हेतु प्रस्तुत किया । उस समय यह पाया गया कि उक्त दस्तावेजों में कतिपय अधिलेखन तथा रकम और यूरिया की मात्रा के स्थान पर कतिपय काटा-पीटी की गई है तथा कुछ अंतर्वेशन भी किए गए हैं और इस प्रकार मात्रा को पांच टन के स्थान पर पंद्रह टन बताया गया तथा सौ बोरियों के स्थान पर तीन सौ बोरी को उल्लिखित किया गया है तथा रकम को 1,23,389.75 रुपए की बजाय 3,68,389.75 के रूप में उल्लिखित किया गया है ।

3. उक्त शिकायत के आधार पर प्रत्यर्थी/अभियुक्त-परिवहनकर्ता के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करते हुए अपराध मामला सं. 602/2015 (प्रदर्श पी/20) को रजिस्टर किया गया । संबद्ध साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध किया गया तथा सम्यक् अन्वेषण के पश्चात् विधि के सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया और तदुपरांत मामले को विचारण हेतु सेशन न्यायालय, गुना को सुपुर्द किया गया ।

4. विचारण न्यायालय के समक्ष विचार हेतु मुख्य बिन्दु यह था कि क्या अभियुक्त ने छल किया है और बेईमानी से केन्द्रीय सहकारी विपणन संघ के भंडारकर्ता से धोखा करके पांच टन के बजाय पंद्रह टन यूरिया का उपापन किया और क्या अभियुक्त ने यूरिया का उपापन करने के लिए तैयार किए गए अध्यपेक्षित दस्तावेजों में कूटरचना/अधिलेखन और अंतर्वेशन किया है और इस प्रकार उसने आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया है । सुसंगत दस्तावेजों और इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया । अतः, राज्य ने अपील ज्ञापन के साथ अपील फाइल करने की इजाजत की ईप्सा करते हुए वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया है जिससे दोषमुक्ति के आदेश को चुनौती दी जा सके ।

5. आवेदक/राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि बृज मोहन त्रिपाठी, शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (अभि. सा. 1), सुश्री ममता अग्रवाल, प्रभारी शाखा प्रबंधक (अभि. सा. 2), श्री ओम पाल सिंह, कंप्यूटर प्रचालक (अभि. सा. 4),

अभिषेक सेन, प्रबंधक, प्राथमिक सहकारी समिति, पगारा (अभि. सा. 3), सत्रजीत सिंह, भंडारकर्ता (अभि. सा. 23), राम बाबू, चपरासी (अभि. सा. 6) और फूल सिंह, पोर्टर (अभि. सा. 8) सारवान् अभियोजन साक्षी हैं और उन्होंने अभियोजन के इस पक्षकथन का समर्थन किया है कि प्रत्यर्थी ने दस्तावेजों को कूटरचित करके पांच टन की बजाय पंद्रह टन यूरिया का उपापन किया है । वर्तमान मामला दस्तावेजों में आपराधिक अंतर्वेशन करने से संबंधित है, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा अपने साक्षियों तथा दस्तावेजी साक्ष्य की सहायता से स्पष्ट रूप से साबित किया गया है । ओम पाल सिंह (अभि. सा. 4) ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसने प्रत्यर्थी को पांच टन यूरिया, जिसकी लागत 1,23,389/- रुपए थी, दिए जाने के लिए निर्गत आदेश और मांगदेय ड्राफ्ट प्रत्यर्थी को सौंपा था किन्तु दस्तावेजों में पांच टन की बजाय पंद्रह टन यूरिया उल्लिखित किया गया तथा उसकी लागत को 1,23,389/- रुपए की बजाय 3,68,389/- रुपए दर्शित किया गया और उन कूटरचित तथा अंतर्वेशन करके तैयार किए गए दस्तावेजों के आधार पर तीन गुना अधिक यूरिया का उपापन किया ।

6. विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि प्रत्यर्थी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके कब्जे में उक्त दस्तावेजों को सौंपा गया था और उसने उक्त दस्तावेजों को कूटरचित करके तीन गुना अधिक डीएपी यूरिया की मात्रा का उपापन किया । सहकारी बैंक, सहकारी सोसाइटी और विपणन संगठन से संबंध रखने वाले साक्षियों ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है और स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी ने दस्तावेजों में अंतर्वेशन करके दस्तावेजों की कूटरचना की और उनके आधार पर विपणन संगठन से अतिरिक्त मात्रा में यूरिया का उपापन किया । अतः, विचारण न्यायालय ने वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी को दोषमुक्त करके गंभीर त्रुटि की है । अन्य सारवान् अभियोजन साक्षियों ने भी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी का पूर्णरूपेण समर्थन किया है । इस प्रकार, आवेदक/राज्य द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी/अभियुक्त की

दोषमुक्ति लेखबद्ध करके त्रुटि की है और इस प्रकार अविधिपूर्ण कार्य किया है ।

7. आवेदक/राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया ।

8. वर्तमान आवेदन के माध्यम से आवेदक/राज्य ने अपील फाइल करने की इजाजत दिए जाने हेतु प्रार्थना की है । वर्तमान मामला दस्तावेजों को कूटरचित करने तथा उनमें अंतर्वेशन किए जाने से संबंधित है । स्वीकार्य रूप से प्रत्यर्थी एक अनपढ़ व्यक्ति है और उसके विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि उसने निर्गत आदेश और मांगदेय ड्राफ्ट में कतिपय अंतर्वेशन किए हैं । उन अंतर्वेशनों को साबित करने के प्रयोजन के लिए, अभियोजन पक्ष ने किसी हस्तलेख विशेषज्ञ की परीक्षा नहीं की है । उक्त दस्तावेजों, अर्थात् निर्गत आदेश (प्रदर्श डी/1) तथा मांगदेय ड्राफ्ट (प्रदर्श डी/2) में किए गए अंतर्वेशन स्पष्ट रूप से लक्षित हैं तथा इस प्रकार अंतर्वेशन किए गए दस्तावेजों के आधार पर भंडारकर्ता सत्रजीत सिंह (अभि. सा. 23) द्वारा यूरिया भी निर्गत किया गया है । एक विवेकपूर्ण व्यक्ति, विशेष रूप से एक सरकारी सेवक से यह आशा नहीं की जाती है कि वह इस प्रकार अंतर्वेशन किए गए दस्तावेजों के आधार पर मालों का निर्गत करेगा । संबद्ध वर्ष (2013-2014) के प्रदाय ज्ञापनों की पुस्तक के परिशीलन से यह उपदर्शित होता है कि प्रदाय ज्ञापनों पर मालों के प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं हैं । उक्त ज्ञापनों पर केवल उस व्यक्ति के हस्ताक्षर विद्यमान हैं जिसने मालों का प्रदाय किया है । इस प्रकार, प्रदाय ज्ञापनों पर प्रत्यर्थी के हस्ताक्षरों या अंगूठे के निशान की अनुपस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने पांच टन यूरिया के स्थान पर पंद्रह टन डीएपी यूरिया प्राप्त किया है ।

9. अभिषेक सेन (अभि. सा. 3) ने उसके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य के पैरा 10 में यह कथन किया है कि वे अग्रिम में सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित निर्गत आदेश तैयार रखते थे और इसलिए दस्तावेजी साक्ष्य-प्रदाय ज्ञापन सं. 444546 (प्रदर्श पी/26), जिस पर प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर विद्यमान हैं, अभियोजन पक्ष को कोई समर्थन उपलब्ध नहीं कराता और

इस साक्ष्य के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि प्रत्यर्थी ने पांच टन यूरिया के स्थान पर पंद्रह टन यूरिया का उपापन किया, विशेष रूप से उस समय जब निर्गत आदेश पर प्राप्तिकर्ता की हैसियत से अभिषेक सेन (अभि. सा. 3) के हस्ताक्षर विद्यमान हैं और प्रत्यर्थी के कब्जे से किसी भी प्रकार से उपाप्त किए गए अतिरिक्त यूरिया का बरामद किए जाने के संबंध में कोई अभिकथन नहीं किया गया है ।

10. चूंकि विचारण न्यायालय ने भंडारकर्ता सत्रजीत सिंह (अभि. सा. 23) की भूमिका को संदेहास्पद पाया है, इसलिए उसे विचारण न्यायालय द्वारा पुन: परीक्षा हेतु समन किया गया था, किन्तु उसकी मृत्यु हो गई तथा पुलिस थाना कोतवाली गुना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उसे तारीख 13 मार्च, 2020 के एक आदेश द्वारा मृत घोषित किया गया है । अभियोजन पक्ष तथा प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभिषेक सेन (अभि. सा. 3) तथा सत्रजीत सिंह (अभि. सा. 23) की भूमिका को विचारण न्यायालय द्वारा संदेहास्पद पाया गया है । इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालकर कोई त्रुटि नहीं की है कि अभियोजन पक्ष सभी सुसंगत संदेहों से परे प्रत्यर्थी-अभियुक्त के विरुद्ध अपना पक्षकथन साबित करने में असफल रहा है ।

11. इस सिद्धांत को बार-बार दोहराया गया है कि जितना बड़ा आरोप है, उसे साबित करने हेतु सबूत भी उतना ही बड़ा होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, यह सिद्धांत भी अत्यधिक स्पष्ट है कि जब तक अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों को सभी सुसंगत सदेहों से परे स्पष्ट, ठोस, विश्वसनीय या अकाट्य साक्ष्य के आधार पर साबित नहीं कर दिया जाता अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराने या दंडादिष्ट करने का प्रश्न ही नहीं उठता । विचारण न्यायालय ने वर्तमान मामले में संबंधित विवादों के आवश्यक पहलुओं के संबंध में सही मूल्यांकन किया है और उसके पश्चात् ही अभियुक्त के पक्ष में दोषमुक्ति को अभिलिखित करते हुए तर्कसंगत निर्णय पारित किया है ।

12. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि विचारण

न्यायालय, साक्ष्य का सम्यक् मूल्यांकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है ओर उसे दोषमुक्त किया जाना चाहिए तो सामान्यत: यदि निष्कर्ष दूषित नहीं है तो अपीली न्यायालय को उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **चंद्राप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया जा सकता है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील को ग्रहण किए जाने से संबंधित विधिक सिद्धांतों को अधिकथित किया था जो निम्नानुसार हैं :–

> "39. हमारी सुविचारित राय में उपरोक्त निर्णयों से अपीली न्यायालय की, किसी दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील के संबंध में कार्यवाही करते समय निहित शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित साधारण सिद्धांतों को अधिकथित किया जा सकता है –
>
> > (1) किसी अपीली न्यायालय के पास ऐसे किसी साक्ष्य, जिस पर दोषमुक्ति के आदेश को आधारित किया गया है, का पुनर्विलोकन, पुन:मूल्यांकन करने तथा उस पर पुन: विचारण करने की पूर्ण शक्ति विद्यमान है ;
> >
> > (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग पर कोई परिसीमा, निर्बंधन या शर्त अधिरोपित नहीं करती है तथा कोई अपील न्यायालय उसके समक्ष विद्यमान साक्ष्य के आधार पर तथ्य और विधि, दोनों के किसी भी प्रश्न के संबंध में अपना स्वयं का निष्कर्ष निकाल सकता है ;
> >
> > (3) विभिन्न पद, जैसे कि 'सारवान् और निर्णायक कारण', 'उत्तम और पर्याप्त आधार', 'सुदृढ़ परिस्थितियां', 'दूषित निष्कर्ष', 'प्रत्यक्ष त्रुटियां', आदि का आशय किसी अपीली न्यायालय की, दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध किसी अपील में कार्यवाही करते समय निहित व्यापक शक्तियों को

---

[1] 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1850.

निर्बंधित करने हेतु आशयित नहीं है । इस प्रकार के पद किसी अपीली न्यायालय द्वारा किसी दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करने से हिचकिचाने की अवस्था को दर्शित करने के लिए भाषा और पदों का भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं न कि वे न्यायालय की साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने और अपना स्वयं का निष्कर्ष निकालने की शक्ति को कम करने के लिए हैं ;

(4) तथापि, किसी अपीली न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के किसी मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा विद्यमान होती है । प्रथमतः, दांडिक न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के अधीन अभियुक्त के निर्दोष होने की यह उपधारणा कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसे विधि के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए । द्वितीयतः, अभियुक्त ने अपनी दोषमुक्ति के माध्यम से अपने निर्दोष होने की उपधारणा को विचारण न्यायालय के माध्यम से और अधिक पुष्ट तथा सुदृढ़ कर लिया है ; और

(5) यदि अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष संभव हैं तो अपीली न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।"

13. **गामिनी बाला कोटेश्वरा राव** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में निम्नानुसार संप्रेक्षण किया गया है :–

"उच्च न्यायालय के पास साक्ष्य का पुनःमूल्यांकन करने तथा विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है किन्तु यह शक्ति केवल ऐसे किसी मामले में मौजूद है जब विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को दूषित

---

[1] ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 589.

माना जाए । 'दूषित' शब्द से यह अभिप्रेत है कि वह अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य के प्रतिकूल है ।"

14. विचारण न्यायालय ने सभी पहलुओं पर ब्यौरेवार विचार किया है तथा इस संबंध में सभी सारवान् साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् अभियोजन के पक्षकथन को संदेहपूर्ण पाया है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने **के. प्रकाशम** बनाम **पी. के. सुरेन्द्रन्**[1] तथा **टी. सुब्रमण्यिन्** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[2] वाले मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मामले में दो मतों को निकालना संभव है और यदि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का सम्यक् रूप से मूल्यांकन, जिसमें साक्ष्यों की भाव-भंगिमा भी सम्मिलित है, करने के पश्चात् कोई एक मत निकाला है तो जब तक कि विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई अत्यधिक प्रतिकूल बात या विधिविरुद्ध बात न पाई जाए तो अपील पर कार्यवाही करते हुए विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय में हस्तक्षेप करने की संभावना सीमित है ।

15. इसे ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि निर्णय में हस्तक्षेप करने हेतु कोई समुचित पक्षकथन तैयार नहीं किया गया है । अतः, इजाजत देने से इनकार किया जाता है और तद्नुसार, आवेदक-राज्य द्वारा फाइल किए गए आवेदन को नामंजूर किया जाता है । विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 12 मई, 2020 को पारित निर्णय की पुष्टि की जाती है ।

16. इस आदेश की प्रति सूचनार्थ विचारण न्यायालय को अग्रेषित की जाए ।

याचिका खारिज की गई ।

पु.

---

[1] (2008) 1 एस. सी. सी. 258 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2007 एस. सी. 340.

[2] (2006) 1 एस. सी. सी. 401 = ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 836.

## रमेश कुमार

बनाम

## हिमाचल प्रदेश राज्य

(2012 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 116)

तारीख 7 जुलाई, 2021

**न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा**

**साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 3, 24 और 25 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 380 और 457] – मंदिर में चोरी का अपराध सामने आना – अन्वेषण अधिकारी द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मंदिर के अस्थायी पुजारी से पूछताछ किया जाना तथा पूछताछ किए जाने के दौरान उक्त पुजारी द्वारा अपने अपराध की स्वीकारोक्ति किया जाना – उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर परिसर में रखी गई धार्मिक पुस्तकों के विभिन्न पृष्ठों में छिपाए गए करेंसी नोटों को बरामद किया जाना – अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटनास्थल से उंगलियों के निशान अथवा सीसीटीवी कैमरा फुटेज प्राप्त न किया जाना – अन्वेषण अभिकरण द्वारा केवल स्वीकारोक्ति तथा करेंसी नोटों की बरामदगी के आधार पर अभियोजन आरंभ किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना – राज्य द्वारा दोषमुक्ति के उक्त निर्णय को सेशन न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया जाना – सेशन न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय को उलटते हुए निर्णय दिया जाना – अभियुक्त द्वारा सेशन न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका फाइल किया जाना– उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना कि वर्तमान मामले में अपराध की स्वीकारोक्ति साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के परिधि क्षेत्र से बाहर है और इसलिए विधिक रूप से मान्य नहीं है, इसके अतिरिक्त, मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि बरामद की गई धनराशि उसकी है, अतः सेशन न्यायालय द्वारा पारित**

**दोषसिद्धि का निर्णय उपयुक्त और सुसंगत प्रतीत नहीं होता इसलिए उसे अपास्त किया जाता है ।**

वर्तमान मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 9 जून, 2007 को श्री बी. एन. मेहता, श्री हरजी लाल और श्री प्रीतम चंद, जो श्री बालक नाथ मंदिर, जाखू, शिमला की समिति के अध्यक्ष और सदस्य हैं, ने पुलिस थाना पूर्वी शिमला को यह सूचित किया कि मंदिर के पुजारी ने उन्हें यह सूचित किया है कि मंदिर के ताले टूटे हुए हैं । पुजारी ने यह भी बताया कि उसने टूटे हुए तालों को अपने कब्जे में रखा है । इस जानकारी के आधार पर, पुलिस ने दैनिक डायरी रजिस्टर में एक प्रविष्टि की, जो प्रदर्श अभि. सा. 4/1 के रूप में चिह्नित है तथा वे घटनास्थल की ओर रवाना हुए । घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन श्री बी. एन. मेहता के कथन को लेखबद्ध किया । उक्त श्री मेहता ने अन्वेषण अधिकारी को यह सूचित किया कि वह जाखू, शिमला स्थित श्री बाबा बालक नाथ मंदिर की समिति का अध्यक्ष है । श्री धरम पाल, जो डारलाघाट का निवासी है, इस मंदिर का पुजारी है । वह पिछले चार वर्ष से इस मंदिर में पुजारी के रूप में कार्य कर रहा है । तारीख 7 जून, 2007 से श्री धरम पाल तीन दिन के अवकाश पर थे और अपने स्थान पर उन्होंने अपने पुत्र रमेश कुमार (दोषसिद्ध व्यक्ति/याची) को मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त किया था । प्रातः 6.00 बजे श्री हरजी लाल, मंदिर समिति के प्रधान ने टेलीफोन के माध्यम से उसे यह सूचित किया कि मंदिर और साथ ही नकद पेटी के ताले टूटे हुए हैं । यह जानकारी प्राप्त होने पर समिति के सदस्य मंदिर पहुंचे, जहां पुजारी रमेश कुमार ने उन्हें यह सूचित किया कि उसने रात्रि 9.00 बजे द्वार पर ताला लगाया था और उसके पश्चात् वह अपने आवसीय क्वार्टर में निद्रा हेतु चला गया था । जब प्रातः वह उठा तो उसने यह पाया कि उसका दरवाजा बाहर से बंद था । उसके पश्चात् उसने नींबू पानी विक्रेता, प्रकाश को फोन कॉल किया । उक्त प्रकाश उसके क्वार्टर पर पहुंचा और उसने बाहर से बंद द्वार को खोला और उसके पश्चात् जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने यह पाया कि नक्द पेटी

का ताला भी तोड़ दिया गया है । उसने यह भी देखा कि मंदिर का सामान यहां-वहां बिखरा हुआ था और नकद पेटी से चढ़ावे के रूप में आई 10,000/- रुपए से 15,000/- रुपए की रकम गायब थी । इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने दंड संहिता की धारा 457 और 380 के अधीन पुलिस थाना पूर्वी शिमला में तारीख 9 जून, 2007 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 102 को रजिस्टर किया । पुलिस ने अन्वेषण का संचालन किया और अन्वेषण से यह तथ्य प्रकट हुआ कि मंदिर के अंदर मौजूद नकद पेटी का ताला तोड़ने के लिए मंदिर के त्रिशूल का उपयोग किया गया था । रमेश द्वारा किए गए कथन के अनुसार उसने रात्रि लगभग 9.00 बजे मंदिर के कपाट पर ताला लगाया था, जबकि अन्वेषण से यह तथ्य प्रकट हुआ कि मंदिर के कपाट के तालों को तोड़ा नहीं गया था और न ही ऐसे तालों को तोड़ने या मंदिर के कपाट को तोड़ने का कोई चिह्न वहां मौजूद था । घटनास्थल पर विद्यमान परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को विचार में लेते हुए अन्वेषण अधिकारी को यह संदेह हुआ कि इस अपराध में रमेश कुमार की अहम भूमिका है जो मंदिर के मुख्य पुजारी धरम पाल का पुत्र है और जिसे मुख्य पुजारी ने अपने तीन दिन के अवकाश के दौरान मंदिर की देख-रेख करने हेतु कहा था । उसके पश्चात्, पुलिस ने रमेश कुमार से पूछताछ की और इस पूछताछ के दौरान उसने पुलिस के समक्ष यह स्वीकारोक्ति की कि उसने उक्त चोरी की थी । तत्पश्चात्, पुलिस ने रमेश कुमार के कब्जे से चढ़ावे के रूप में आए धन की बरामदगी की । अन्वेषण अधिकारी के अनुसार रमेश कुमार के पास पाए गए करेंसी नोट मुड़ी-तुड़ी अवस्था में थे । यहां यह उल्लेखनीय है कि सामान्य रूप से नकद पेटी/गुल्लक में चढ़ावे के रूप में करेंसी नोटों को चढ़ाते समय मोड़ दिया जाता है । इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन अपनी अंतिम रिपोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की तथा इस प्रकार याची के विरुद्ध अभियोजन आरंभ किया गया । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी ने अपने तारीख 20 फरवरी, 2008 के आदेश द्वारा याची रमेश कुमार के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 457 के अधीन दंडनीय गृह अतिचार के अपराध और साथ ही मंदिर की नकद पेटी से गायब चढ़ावे

के 10,000/- रुपए से 15,000/- रुपए की राशि की चोरी करने के आरोप तय किए, जो दंड संहिता की धारा 380 के अधीन दंडनीय अपराध है । याची ने अपने दोषी न होने का अभिवाक् किया तथा विचारण का दावा किया । न्यायालय के अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य के आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया और उसने अभियोजन के पक्षकथन को खारिज कर दिया । राज्य ने उपर्युक्त दोषमुक्ति को चुनौती देते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन एक अपील फाइल की तथा विद्वान् सेशन न्यायाधीश, शिमला ने अपने तारीख 21 मई, 2012 के निर्णय द्वारा उक्त अपील को मंजूर किया तथा अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया और साथ ही उस पर एक वर्ष के कठोर कारावास को अधिरोपित करते हुए उसे दंडादिष्ट किया और इसके अतिरिक्त उस पर दंड संहिता की धारा 457 और धारा 380, प्रत्येक के अधीन व्यतिक्रम खंड के साथ 1,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया । दोषसिद्धि के उक्त निर्णय से व्यथित होकर याची ने उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 और 401 के अधीन वर्तमान पुनरीक्षण याचिका फाइल की है । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों और तर्कों को सुनने के पश्चात् याचिका को मंजूर करते हुए

**अभिनिर्धारित** – राज्य ने अन्वेषण के आधार पर अभियोजन की ईप्सा की थी, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रकृति का था । स्वीकार्य रूप से, उक्त मामले में किसी प्रकार की कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज विद्यमान नहीं थी और न ही घटनास्थल से उंगलियों के निशान लिए गए थे, जिनके आधार पर इस मामले का सुगमता से विनिश्चय किया जा सकता था । इसके अतिरिक्त, अभिकथित चोरी का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी उपलब्ध नहीं है । अन्वेषण अधिकारी के पास एकमात्र साक्ष्य यह है कि अभियुक्त ने उसके समक्ष अपने अपराध की स्वीकारोक्ति की थी और अभियुक्त की उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर अन्वेषण अधिकारी ने पुस्तकों और कॉपियों जिन्हें, उस परिसर में रखा गया था, जहां अभियुक्त मंदिर के मुख्य पुजारी अर्थात् अपने पिता के साथ निवास कर रहा था, के पृष्ठों में से मुड़ी-तुड़ी अवस्था में करेंसी नोट बरामद किए

थे । उसके पश्चात्, अन्वेषण अधिकारी ने उक्त पुजारी रमेश कुमार से पूछताछ की तथा उसने पुलिस के समक्ष चोरी में सम्मिलित होने के संबंध में अपने अपराध की स्वीकारोक्ति की । इस प्रकार की अपराध की स्वीकारोक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अधीन प्रतिषिद्ध है, इस प्रकार उसे विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता और इसलिए उसे परित्यक्त करना होगा । इसके अतिरिक्त्, एकमात्र अन्य साक्ष्य 14,300/- रुपए के करेंसी नोटों की श्री धरम पाल के आवासीय क्वार्टर से की गई बरामदगी है, जहां उसका पुत्र रमेश कुमार भी निवास कर रहा था । मंदिर के न्यासियों के साक्ष्य से यह तथ्य सामने आया है कि मंदिर में आने वाले भक्त चढ़ावा तथा दक्षिणा भी देते थे और साथ ही विभिन्न विशेष अवसरों पर जैसे कि पूजा, जन्म दिन, ग्रहण, खगोलीय रूप से शुभ दिनों और इस प्रकार के अन्य शुभ अवसरों पर विशेष चढ़ावा और दक्षिणा भी प्रदान की जाती थी । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि भक्तों द्वारा इस प्रकार दिए गए चढ़ावे और दक्षिणा अनन्य रूप से पुजारी की होती है । श्री धरम पाल, जो प्रति. सा. 1 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं ने यह कथन किया है कि उक्त धनराशि उसकी है । उसने इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि वह संपूर्ण धन मंदिर में आने वाले भक्तों द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिया गया चढ़ावा/दक्षिणा है । धार्मिक पुस्तकों के विभिन्न पृष्ठों से बरामद किए गए करेंसी नोटों का विश्लेषण प्रथमदृष्ट्या रूप से यह दर्शित करता है कि श्री धरम पाल उक्त धनराशि को धार्मिक पुस्तकों के पृष्ठों में इसलिए रख रहा था ताकि उसे चोरी होने या उसका दुरुपयोग किए जाने से बचाया जा सके । इसके अतिरिक्त, उक्त गृह श्री धरम पाल का है जहां श्री रमेश कुमार भी निवास कर रहा था । इस प्रकार केवल इसलिए कि अन्वेषण अधिकारी ने छोटे अंकित मूल्य के मुड़तुड़े करेंसी नोटों को उक्त गृह से बरामद किया था, इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसका संबंध मंदिर की नकद पेटी से है । इस संबंध में सर्वोत्तम साक्ष्य सीसीटीवी कैमरा के फुटेज या उंगलियों के निशान हो सकते थे जिन्हें अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है । ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए अभिलेख पर उपलब्ध ऐसा साक्ष्य

जो विधिक रूप से अनुज्ञेय है, इस संभावना की ओर संकेत करता है कि श्री धरम पाल के गृह से बरामद किए गए करेंसी नोट उसके स्वयं के हो सकते हैं और शायद वे चुराई गई संपत्ति नहीं है । साक्ष्य के इस प्रकार के विश्लेषण और मूल्यांकन के पश्चात् अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री मौजूद नहीं है जो याची रमेश कुमार को अभिकथित चोरी से जोड़ सके । इस प्रकार अभियोजन पक्ष पूर्णरूपेण याची रमेश कुमार को पूर्वोक्त चोरी से जोड़ने में असफल रहा है इसलिए उसकी दोषसिद्धि अपेक्षित नहीं है । उपरोक्त परिस्थितियों में वर्तमान याचिका को मंजूर किया जाता है तथा विद्वान् सेशन न्यायाधीश, शिमला द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की जाती है । इसके अतिरिक्त, चूंकि प्रति. सा. 1 के रूप में श्री धरम पाल ने इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि बरामद की गई धनराशि उसकी है, इसलिए यह आदेश दिया जाता है कि उक्त धनराशि का उसे प्रतिदाय किया जाए, यदि धनराशि को राज्य के खजाने में कर दिया गया है तो श्री धरम पाल को ब्याज, यदि नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय है, का संदाय भी किया जाए । (पैरा 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 और 23)

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 116.**

याची ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका फाइल करके निचले अपीली न्यायालय, अर्थात् सेशन न्यायाधीश, शिमला द्वारा उसे दोषमुक्त किए जाने के निर्णय को उलटते हुए पारित किए गए निर्णय तथा आदेश को चुनौती दी है ।

**याची की ओर से** श्री टेक चंद शर्मा, अधिवक्ता

**प्रत्यर्थी की ओर से** सर्वश्री नंदलाल ठाकुर, अपर महाधिवक्ता, राम लाल ठाकुर, उप महाधिवक्ता और रजत चौहान

**न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा** – याची ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 401 के साथ पठित धारा 397 के अधीन वर्तमान पुनरीक्षण याचिका फाइल करके निचले अपीली न्यायालय, अर्थात्

सेशन न्यायाधीश, शिमला द्वारा उसे दोषमुक्त किए जाने के निर्णय को उलटते हुए पारित किए गए निर्णय तथा आदेश को चुनौती दी है ।

2. मामले का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि –

तारीख 9 जून, 2007 को श्री बी. एन. मेहता, श्री हरजी लाल और श्री प्रीतम चंद, जो श्री बालक नाथ मंदिर, जाखू, शिमला की समिति के अध्यक्ष और सदस्य हैं, ने पुलिस थाना पूर्वी शिमला को यह सूचित किया कि मंदिर के पुजारी ने उन्हें यह सूचित किया है कि मंदिर के ताले टूटे हुए हैं । पुजारी ने यह भी बताया कि उसने टूटे हुए तालों को अपने कब्जे में रखा है । इस जानकारी के आधार पर, पुलिस ने दैनिक डायरी रजिस्टर में एक प्रविष्टि की, जो प्रदर्श अभि. सा. 4/1 के रूप में चिह्नित है तथा वे घटनास्थल की ओर रवाना हुए । घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन श्री बी. एन. मेहता के कथन को लेखबद्ध किया । उक्त श्री मेहता ने अन्वेषण अधिकारी को यह सूचित किया कि वह जाखू, शिमला स्थित श्री बाबा बालक नाथ मंदिर की समिति का अध्यक्ष है । श्री धरम पाल, जो डारलाघाट का निवासी है, इस मंदिर का पुजारी है । वह पिछले चार वर्ष से इस मंदिर में पुजारी के रूप में कार्य कर रहा है । तारीख 7 जून, 2007 से श्री धरम पाल तीन दिन के अवकाश पर थे और अपने स्थान पर उन्होंने अपने पुत्र रमेश कुमार (दोषसिद्ध व्यक्ति/याची) को मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त किया था । प्रातः 6.00 बजे श्री हरजी लाल, मंदिर समिति के प्रधान ने टेलीफोन के माध्यम से उसे यह सूचित किया कि मंदिर और साथ ही नकद पेटी के ताले टूटे हुए हैं । यह जानकारी प्राप्त होने पर समिति के सदस्य मंदिर पहुंचे, जहां पुजारी रमेश कुमार ने उन्हें यह सूचित किया कि उसने रात्रि 9.00 बजे द्वार पर ताला लगाया था और उसके पश्चात् वह अपने आवसीय क्वार्टर में निद्रा हेतु चला गया था । जब प्रात: वह उठा तो उसने यह पाया कि उसका दरवाजा बाहर से बंद था । उसके पश्चात् उसने नींबू पानी विक्रेता, प्रकाश को फोन कॉल किया । उक्त प्रकाश उसके क्वार्टर पर पहुंचा और उसने बाहर से बंद द्वार को खोला और उसके पश्चात् जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने यह पाया कि नकद पेटी का ताला भी तोड़ दिया गया है । उसने यह भी देखा कि मंदिर

का सामान यहां-वहां बिखरा हुआ था और नकद पेटी से चढ़ावे के रूप में आई 10,000/- रुपए से 15,000/- रुपए की रकम गायब थी । इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने दंड संहिता की धारा 457 और 380 के अधीन पुलिस थाना पूर्वी शिमला में तारीख 9 जून, 2007 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 102 को रजिस्टर किया ।

3. पुलिस ने अन्वेषण का संचालन किया और अन्वेषण से यह तथ्य प्रकट हुआ कि मंदिर के अंदर मौजूद नकद पेटी का ताला तोड़ने के लिए मंदिर के त्रिशूल का उपयोग किया गया था । रमेश द्वारा किए गए कथन के अनुसार उसने रात्रि लगभग 9.00 बजे मंदिर के कपाट पर ताला लगाया था, जबकि अन्वेषण से यह तथ्य प्रकट हुआ कि मंदिर के कपाट के तालों को तोड़ा नहीं गया था और न ही ऐसे तालों को तोड़ने या मंदिर के कपाट को तोड़ने का कोई चिह्न वहां मौजूद था । घटनास्थल पर विद्यमान परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को विचार में लेते हुए अन्वेषण अधिकारी को यह संदेह हुआ कि इस अपराध में रमेश कुमार की अहम भूमिका है जो मंदिर के मुख्य पुजारी धरम पाल का पुत्र है और जिसे मुख्य पुजारी ने अपने तीन दिन के अवकाश के दौरान मंदिर की देख-रेख करने हेतु कहा था । उसके पश्चात्, पुलिस ने रमेश कुमार से पूछताछ की और इस पूछताछ के दौरान उसने पुलिस के समक्ष यह स्वीकारोक्ति की कि उसने उक्त चोरी की थी । तत्पश्चात्, पुलिस ने रमेश कुमार के कब्जे से चढ़ावे के रूप में आए धन की बरामदगी की । अन्वेषण अधिकारी के अनुसार रमेश कुमार के पास पाए गए करेंसी नोट मुड़ी-तुड़ी अवस्था में थे । यहां यह उल्लेखनीय है कि सामान्य रूप से नकद पेटी/गुल्लक में चढ़ावे के रूप में करेंसी नोटों को चढ़ाते समय मोड़ दिया जाता है । इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन अपनी अंतिम रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की तथा इस प्रकार याची के विरुद्ध अभियोजन आरंभ किया गया ।

4. विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी ने अपने तारीख 20 फरवरी, 2008 के आदेश द्वारा याची रमेश कुमार के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 457 के अधीन दंडनीय गृह अतिचार के अपराध और साथ ही मंदिर की नकद पेटी से गायब चढ़ावे के 10,000/- रुपए से 15,000/-

रुपए की राशि की चोरी करने के आरोप तय किए, जो दंड संहिता की धारा 380 के अधीन दंडनीय अपराध है । याची ने अपने दोषी न होने का अभिवाक् किया तथा विचारण का दावा किया ।

5. श्री हरजीलाल (अभि. सा. 1) ने उसी कथन को दोहराया, जो उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में उल्लिखित किया था । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त ने चोरी में अपनी भूमिका के संबंध में पुलिस के समक्ष अपने अपराध की स्वीकारोक्ति की थी और उसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने उसके कक्ष की तलाशी ली थी और वहां से 16,000/- रुपए से 17,000/- रुपए की धनराशि बरामद की गई थी, जिन्हें पुस्तकों और कॉपियों के पृष्ठों में छिपाया गया था । ये करेंसी नोट 10, 20 और 500 के अंकित मूल्य के थे । कुछ करेंसी नोट पुराने थे । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया कि उसकी निजी राय यह थी कि अभियुक्त ने खिड़की से उक्त चोरी की थी । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 1 ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि चढ़ावे के रूप में धन दिए जाने के अलावा मंदिर में आने वाले भक्त विशेष अवसरों, जैसे कि उनके जन्म दिवसों, ग्रहण आदि के दिन तथा खगोलीय रूप से शुभ दिनों पर दक्षिणा भी देते थे । अभि. सा. 1 ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि इस प्रकार दी गई दक्षिणा पर पुजारी का अधिकारी होता है ।

6. श्री प्रीतम चंद (अभि. सा. 2), मंदिर समिति के सदस्य ने अभि. सा. 1 द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन की पुष्टि करते हुए समान प्रकार का कथन प्रस्तुत किया है । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 2 ने यह भी कथन किया है कि करेंसी नोट पुस्तकों और कॉपियों के भिन्न-भिन्न पृष्ठों के भीतर छिपाए गए थे । प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 2 ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि चढ़ावे के रूप में धन दिए जाने के अलावा मंदिर में आने वाले भक्त विशेष अवसरों, जैसे कि उनके जन्म दिवसों, ग्रहण आदि के दिन तथा खगोलीय रूप से शुभ दिनों पर दक्षिणा भी देते थे, जो पुजारी की निजी संपत्ति के रूप में होती थी और मंदिर का उससे कुछ लेना देना नहीं है ।

7. अन्वेषण अधिकारी, उप निरीक्षक नारायण सिंह ने अभि. सा. 5

के रूप में उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष अपने कथन को प्रस्तुत किया और उसने इस तथ्य को स्वीकार किया अभियुक्त ने उसके समक्ष अपने अपराध की स्वीकारोक्ति की थी और उसे यह बताया था कि मंदिर में चोरी उसी ने की थी ।

8. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रस्तुत किए गए अपने कथन में अभियुक्त ने यह दावा किया कि वह निर्दोष है ।

9. अभियुक्त ने अपने पिता श्री धरम पाल, मंदिर के मुख्य पुजारी की प्रति. सा. 1 के रूप में परीक्षा की । उक्त साक्षी ने यह कथन किया कि श्रद्धालुजन मंदिर में उपहार स्वरूप जो भी चढ़ावा चढ़ाते थे वह उन्हें धार्मिक पुस्तकों के भीतर रख देता था और वह धनराशि उसकी है । उसने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि पुलिस द्वारा बरामद की गई धनराशि उसकी है और वह कोई चोरी की गई संपत्ति नहीं है । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रति. सा. 1 ने पुनः यह कथन किया कि पुलिस द्वारा बरामद की गई धनराशि चोरी की गई संपत्ति नहीं थी और वस्तुतः वह उसकी निजी संपत्ति थी ।

10. इस प्रकार के साक्ष्य के आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया और उसने अभियोजन के पक्षकथन को खारिज कर दिया ।

11. राज्य ने उपर्युक्त दोषमुक्ति को चुनौती देते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन एक अपील फाइल की तथा विद्वान् सेशन न्यायाधीश, शिमला ने अपने तारीख 21 मई, 2012 के निर्णय द्वारा उक्त अपील को मंजूर किया तथा अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया और साथ ही उस पर एक वर्ष के कठोर कारावास को अधिरोपित करते हुए उसे दंडादिष्ट किया और इसके अतिरिक्त उस पर दंड संहिता की धारा 457 और धारा 380, प्रत्येक के अधीन व्यतिक्रम खंड के साथ 1,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया ।

12. दोषसिद्धि के उक्त निर्णय से व्यथित होकर याची ने उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 और 401 के अधीन वर्तमान पुनरीक्षण याचिका फाइल की है ।

13. मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना तथा मैंने अत्यंत सावधानीपूर्वक मामले के अभिलेखों का परिशीलन भी किया है ।

14. राज्य ने अन्वेषण के आधार पर अभियोजन की ईप्सा की थी, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रकृति का था । स्वीकार्य रूप से, उक्त मामले में किसी प्रकार की कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज विद्‌यमान नहीं थी और न ही घटनास्थल से उंगलियों के निशान लिए गए थे, जिनके आधार पर इस मामले का सुगमता से विनिश्चय किया जा सकता था । इसके अतिरिक्त, अभिकथित चोरी का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी उपलब्ध नहीं है । अन्वेषण अधिकारी के पास एकमात्र साक्ष्य यह है कि अभियुक्त ने उसके समक्ष अपने अपराध की स्वीकारोक्ति की थी और अभियुक्त की उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर अन्वेषण अधिकारी ने पुस्तकों और कॉपियों जिन्हें, उस परिसर में रखा गया था, जहां अभियुक्त मंदिर के मुख्य पुजारी अर्थात् अपने पिता के साथ निवास कर रहा था, के पृष्ठों में से मुड़ी-तुड़ी अवस्था में करेंसी नोट बरामद किए थे ।

15. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 24 से 30 अपराध की स्वीकारोक्ति से संबंधित है । वर्तमान मामले में अपराध की स्वीकारोक्ति के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन विद्‌यमान अपवाद का अवलंब लेना होगा । तथापि, यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन विद्‌यमान अपवाद का अवलंब लिया जाता है तो उससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) का उल्लंघन नहीं होना चाहिए । वर्तमान मामले में अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि अभियुक्त ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन कोई प्रकटन कथन नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप करेंसी नोटों की बरामदगी हुई थी । बरामदगी का आधार घटनास्थल की स्थिति है जो अस्थायी पुजारी अर्थात् वर्तमान मामले के याची, के अपराध में सम्मिलित होने की ओर संकेत करती है । उसके पश्चात्, अन्वेषण अधिकारी ने उक्त पुजारी रमेश कुमार से पूछताछ की तथा उसने पुलिस के समक्ष चोरी में सम्मिलित होने के संबंध में अपने अपराध की स्वीकारोक्ति की । इस प्रकार की अपराध की स्वीकारोक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अधीन प्रतिषिद्ध है, जिसमें यह उपबंधित है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई अपराध की स्वीकारोक्ति को किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित

करना होगा । साधारण रूप से इसलिए क्योंकि न्यासी की उपस्थिति में की गई ऐसी स्वीकारोक्ति उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के परिधि क्षेत्र से बाहर नहीं करेगी और इस प्रकार उसे विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता और इसलिए उसे परित्यक्त करना होगा ।

16. इसके अतिरिक्त्, एकमात्र अन्य साक्ष्य 14,300/- रुपए के करेंसी नोटों की श्री धरम पाल के आवासीय क्वार्टर से की गई बरामदगी है, जहां उसका पुत्र रमेश कुमार भी निवास कर रहा था । मंदिर के न्यासियों के साक्ष्य से यह तथ्य सामने आया है कि मंदिर में आने वाले भक्त चढ़ावा तथा दक्षिणा भी देते थे और साथ ही विभिन्न विशेष अवसरों पर जैसे कि पूजा, जन्म दिन, ग्रहण, खगोलीय रूप से शुभ दिनों और इस प्रकार के अन्य शुभ अवसरों पर विशेष चढ़ावा और दक्षिणा भी प्रदान की जाती थी । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि भक्तों द्वारा इस प्रकार दिए गए चढ़ावे और दक्षिणा अनन्य रूप से पुजारी की होती है ।

17. अभि. सा. 2 श्री प्रीतम चंद के साक्ष्य से यह तथ्य भी सामने आया है कि बरामद किए गए करेंसी नोट धरम पाल के घर में रखी गई धार्मिक पुस्तकों के भिन्न-भिन्न पृष्ठों के अंदर मौजूद थे ।

18. श्री धरम पाल, जो प्रति. सा. 1 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं ने यह कथन किया है कि उक्त धनराशि उसकी है । उसने इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि वह संपूर्ण धन मंदिर में आने वाले भक्तों द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिया गया चढ़ावा/दक्षिणा है ।

19. धार्मिक पुस्तकों के विभिन्न पृष्ठों से बरामद किए गए करेंसी नोटों का विश्लेषण प्रथमदृष्ट्या रूप से यह दर्शित करता है कि श्री धरम पाल उक्त धनराशि को धार्मिक पुस्तकों के पृष्ठों में इसलिए रख रहा था ताकि उसे चोरी होने या उसका दुरुपयोग किए जाने से बचाया जा सके । इसके अतिरिक्त, उक्त गृह श्री धरम पाल का है जहां श्री रमेश कुमार भी निवास कर रहा था । इस प्रकार केवल इसलिए कि अन्वेषण अधिकारी ने छोटे अंकित मूल्य के मुड़्तुड़े करेंसी नोटों को उक्त गृह से बरामद किया था, इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसका संबंध मंदिर की नकद पेटी से है ।

20. इस संबंध में सर्वोत्तम साक्ष्य सीसीटीवी कैमरा के फुटेज या उंगलियों के निशान हो सकते थे जिन्हें अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है ।

21. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए अभिलेख पर उपलब्ध ऐसा साक्ष्य, जो विधिक रूप से अनुज्ञेय है, इस संभावना की ओर संकेत करता है कि श्री धरम पाल के गृह से बरामद किए गए करेंसी नोट उसके स्वयं के हो सकते हैं और शायद वे चुराई गई संपत्ति नहीं है । साक्ष्य के इस प्रकार के विश्लेषण और मूल्यांकन के पश्चात् अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री मौजूद नहीं है जो याची रमेश कुमार को अभिकथित चोरी से जोड़ सके । इस प्रकार अभियोजन पक्ष पूर्णरूपेण याची रमेश कुमार को पूर्वोक्त चोरी से जोड़ने में असफल रहा है इसलिए उसकी दोषसिद्धि अपेक्षित नहीं है ।

22. मैंने विद्वान् विचारण न्यायालय के निर्णय का परिशीलन किया है और वह अत्यधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है और इसके अतिरिक्त मैंने विद्वान् सेशन न्यायाधीश, शिमला द्वारा पारित निर्णय का भी परिशीलन किया है, जिसमें पूर्वोक्त पहलू के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है।

23. उपरोक्त परिस्थितियों में वर्तमान याचिका को मंजूर किया जाता है तथा विद्वान् सेशन न्यायाधीश, शिमला द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की जाती है । इसके अतिरिक्त, चूंकि प्रति. सा. 1 के रूप में श्री धरम पाल ने इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि बरामद की गई धनराशि उसकी है, इसलिए यह आदेश दिया जाता है कि उक्त धनराशि का उसे प्रतिदाय किया जाए, यदि धनराशि को राज्य के खजाने में कर दिया गया है तो श्री धरम पाल को ब्याज, यदि नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय है, का संदाय भी किया जाए ।

याचिका मंजूर की जाती है ।

पु.

<u>संसद् के अधिनियम</u>

# सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

**(2000 का अधिनियम संख्यांक 21)**

**[9 जून, 2000]**

**इलैक्ट्रानिक डाटा के आदान-प्रदान द्वारा और इलैक्ट्रानिक संसूचना के अन्य साधनों द्वारा, जिन्हें सामान्यतया "इलैक्ट्रानिक वाणिज्य" कहा जाता है और जिनमें संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज-आधारित तरीकों के अनुकल्पों का उपयोग अंतर्वलित है, किए गए संव्यवहारों को विधिक मान्यता देने, सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों को इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल करना सुकर बनाने और भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए**

**अधिनियम**

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तारीख 30 जनवरी, 1997 के संकल्प ए/आरईएस/51/162 द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा अंगीकार की गई इलैक्ट्रानिक वाणिज्य संबंधी आदर्श विधि को अंगीकार कर लिया है ;

उक्त संकल्प में, अन्य बातों के साथ, यह सिफारिश की गई है कि सभी राज्य, जब वे अपनी विधियों का अधिनियमन या पुनरीक्षण करें, संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज-आधारित तरीकों के अनुकल्पों को लागू होने वाली विधि की एकरूपता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उक्त आदर्श विधि पर अनुकूल ध्यान दें ;

उक्त संकल्प को प्रभावी करना और विश्वसनीय इलैक्ट्रानिक अभिलेखों द्वारा सरकारी सेवाएं दक्षतापूर्वक देने का संवर्धन करना

आवश्यक समझा गया है ;

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

## अध्याय 1

## प्रारंभिक

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना** – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा और, इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यह किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या इसके अधीन उल्लंघन को भी लागू होता है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारम्भ के प्रतिनिर्देश है ।

[1][(4) इस अधिनियम की कोई बात, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या संव्यवहारों को लागू नहीं होगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची का, उसमें प्रविष्टियों को जोड़कर या हटाकर संशोधन कर सकेगी ।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।]

**2. परिभाषाएं** – (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अभिगम" से, इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, अभिप्रेत है कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

नेटवर्क में प्रवेश प्राप्त करना, उसके तर्कसंगत, अंकगणितीय अथवा स्मृति फलन संसाधनों के द्‌वारा अनुदेश देना या संसूचना देना ;

(ख) "प्रेषिती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक द्‌वारा आशयित है किन्तु इसके अंतर्गत कोई मध्यवर्ती नहीं है ;

(ग) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) [1]["इलैक्ट्रानिक चिह्नक] लगाना" से, इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित अभिप्रेत है किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] द्‌वारा अधिप्रमाणित करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्‌वारा कोई कार्यपद्‌धति या प्रक्रिया अंगीकार करना ;

(ङ) "समुचित सरकार" से, –

(i) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 में प्रगणित,

(ii) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 के अधीन अधिनियमित किसी राज्य विधि से संबंधित,

किसी विषय के संबंध में राज्य सरकार और किसी अन्य दशा में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(च) "असममित गूढ़ प्रणाली" से सुरक्षित कुंजी युग्म की कोई प्रणाली अभिप्रेत है जिसमें [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] सृजित करने के लिए एक प्राइवेट कुंजी और [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] को सत्यापित करने के लिए एक लोक कुंजी है ;

(छ) "प्रमाणकर्ता प्राधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे धारा 24 के अधीन [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है ;

(ज) "प्रमाणीकरण पद्‌धति विवरण" से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 द्‌वारा प्रतिस्थापित ।

द्वारा उन पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करने के लिए जारी किया गया विवरण अभिप्रेत है जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] प्रमाणपत्र जारी करने में प्रयोग करता है ;

[2][(जक) "संचार युक्ति" से सैलफोन, वैयक्तिक अंकीय सहायता या दोनों का संयोजन या कोई ऐसी अन्य युक्ति अभिप्रेत है जिसका उपयोग कोई पाठ, वीडियो, आडियो या आकृति संसूचित करने, भेजने या पारेषित करने के लिए किया जाता है ;]

(झ) "कंप्यूटर" से ऐसी इलैक्ट्रानिक, चुम्बकीय, प्रकाशीय या अन्य द्रुत डाटा संसाधन युक्ति या प्रणाली अभिप्रेत है जो इलैक्ट्रानिक, चुम्बकीय या प्रकाशीय तरंगों के अभिचालनों द्वारा तर्कसंगत, अंकगणितीय और स्मृति फलन के रूप में कार्य करता है और इसके अंतर्गत सभी निवेश उत्पाद, प्रक्रमण, भंडारण, कंप्यूटर साफ्टवेयर या संचार सुविधाएं भी हैं जो किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर से संयोजित या संबंधित होती हैं ;

[3][(ञ) "कंप्यूटर नेटवर्क" से, –

(i) उपग्रह, सूक्ष्म तरंग, भौमिक लाइन, तार, बेतार या अन्य संचार मीडिया के उपयोग ; और

(ii) दो या अधिक अंतःसंबद्ध कंप्यूटरों या संचार युक्ति से मिलकर बने टर्मिनलों या किसी कंप्लैक्स, चाहे अंत:संबंध निरंतर रखा जाता है या नहीं,

के माध्यम से एक या अधिक कंप्यूटरों या कंप्यूटर प्रणालियों या संचार युक्ति का अंतःसंबंध अभिप्रेत है ;]

(ट) "कंप्यूटर साधन" से कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डाटा संचय या साफ्टवेयर अभिप्रेत है ;

(ठ) "कंप्यूटर प्रणाली" से, निवेश और निर्गम सहायक

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

युक्तियों सहित और ऐसे कैलकुलेटरों को छोड़कर, जो क्रमादेश्य नहीं हैं और जो बाह्य फाइलों के साथ संयोजन में उपयोग में नहीं आ सकते, ऐसी युक्ति या युक्तियों का संग्रह अभिप्रेत है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम, इलैक्ट्रानिक अनुदेश, निवेश डाटा और निर्गम डाटा भरे गए हैं, जो तर्क, अंकगणितीय, डाटा भंडारण और पुनः प्राप्ति, संचार नियंत्रण और अन्य कृत्य करती है ;

(ड) "नियंत्रक" से धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का नियंत्रक अभिप्रेत है ;

(ढ) "साइबर अपील अधिकरण" से धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित साइबर [1]*** अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

[2][(ढक) "साइबर कैफे" से ऐसी कोई सुविधा अभिप्रेत है, जहां से किसी व्यक्ति द्वारा, जनता को कारबार के साधारण अनुक्रम में इंटरनेट तक पहुंच प्रस्थापित की जाती है ;

(ढख) "साइबर सुरक्षा" से सूचना, उपस्कर, युक्तियों, कंप्यूटर, कंप्यूटर संसाधन, संचार युक्ति और उनमें भंडारित सूचना को अप्राधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटन, विच्छिन्न, उपान्तरण या नाश से संरक्षित करना अभिप्रेत है ;]

(ण) "डाटा" से सूचना, जानकारी, तथ्यों, संकल्पनाओं या अनुदेशों का निरूपण अभिप्रेत है जिन्हें एक निश्चित रीति से तैयार किया जा रहा है या तैयार किया गया है और जो कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में संसाधित किए जाने के लिए आशयित है, संसाधित किया जा रहा है या संसाधित किया गया है और जो किसी रूप में (जिसके अंतर्गत कंप्यूटर प्रिन्टआउट, चुम्बकीय या प्रकाशीय भंडारण मीडिया, छिद्रित कार्ड, छिद्रित टेप हैं) या कंप्यूटर की स्मृति में आंतरिक रूप से भंडारित हो सकता है ;

(त) "अंकीय चिह्नक" से किसी उपयोगकर्ता द्वारा धारा 3 के

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ।

[2] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

उपबंध के अनुसार किसी इलैक्ट्रानिक पद्धति या प्रक्रिया द्वारा किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन अभिप्रेत है ;

(थ) "अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र" से धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन जारी किया गया अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(द) सूचना के संदर्भ में, "इलैक्ट्रानिक रूप" से किसी मीडिया, चुम्बकीय, प्रकाशीय, कंप्यूटर स्मृति, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्मिका या समरूप युक्ति में उत्पादित, प्रेषित, प्राप्त या भंडारित कोई सूचना अभिप्रेत है ;

(ध) "इलैक्ट्रानिक राजपत्र" से इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशित राजपत्र अभिप्रेत है ;

(न) "इलैक्ट्रानिक अभिलेख" से किसी इलैक्ट्रानिक रूप या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्मिका में डाटा, अभिलेख या उत्पादित डाटा, भंडारित, प्राप्त या प्रेषित प्रतिबिंब या ध्वनि अभिप्रेत है ;

[1][(नक) "इलैक्ट्रानिक चिह्नक" से किसी उपयोगकर्ता द्वारा दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक तकनीक के माध्यम से किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अंकीय चिह्नक भी है ;

(नख) "इलैक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्र" से धारा 35 के अधीन जारी किया गया इलैक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्र अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र भी है ;]

(प) किसी कंप्यूटर के संबंध में, "फलन" के अंतर्गत किसी कंप्यूटर से अथवा उसमें तर्क, नियंत्रण, अंकगणितीय प्रक्रम, विलोप, भंडारण और पुनः प्राप्ति तथा संचार या दूरसंचार भी आता है ;

[1][(पक) "भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल" से धारा 70ख की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अभिकरण अभिप्रेत है ;]

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

(फ) "सूचना" के अंतर्गत [1][डाटा, संदेश, पाठ,] प्रतिबिंब, ध्वनि, वाणी, कोड, कंप्यूटर कार्यक्रम, साफ्टवेयर और डाटा संचय या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्मिका भी आती है ;

[1][(ब) किसी विशिष्ट इलैक्ट्रानिक अभिलेख के संबंध में "मध्यवर्ती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उस अभिलेख को प्राप्त करता है, भंडारित करता है या पारेषित करता है या उस अभिलेख के संबंध में कोई सेवा प्रदान करता है और उसके अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, वैब होस्टिंग सेवा प्रदाता, सर्च इंजन, ऑनलाइन पेमेंट साइट, ऑनलाइन ऑक्सन साइट, ऑनलाइन विपणन स्थान और साइबर कैफे भी हैं ;]

(भ) असममित गूढ़ प्रणाली में, "कुंजी युग्म" से, प्राइवेट कुंजी और उसकी अंकगणितीय रूप से संबंधित लोक कुंजी अभिप्रेत है जो इस प्रकार संबंधित है कि लोक कुंजी उस अंकीय चिह्नक को सत्यापित कर सकती है जो प्राइवेट कुंजी द्वारा सृजित किया गया है ;

(म) "विधि" के अन्तर्गत संसद् या राज्य विधान-मंडल का कोई अधिनियम, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, अनुच्छेद 240 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियम, संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित विधेयक आते हैं और इनके अंतर्गत उनके अधीन बनाए गए नियम, विनियम, उपविधियां और जारी किए गए आदेश भी हैं ;

(य) "अनुज्ञप्ति" से धारा 24 के अधीन किसी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(यक) "प्रवर्तक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी इलैक्ट्रानिक संदेश को भेजता है, उसका उत्पादन, भंडारण करता है

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

या किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित करता है अथवा किसी इलैक्ट्रानिक संदेश को भिजवाता है, उसका उत्पादन, भंडारण कराता है या किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित कराता है, किन्तु इसके अंतर्गत कोई मध्यवर्ती नहीं है ;

(यख) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(यग) "प्राइवेट कुंजी" से कुंजी युग्म की वह कुंजी अभिप्रेत है जो अंकीय चिह्नक सृजित करने के लिए प्रयोग की जाती है ;

(यघ) "लोक कुंजी" से कुंजी युग्म की वह कुंजी अभिप्रेत है जो अंकीय चिह्नक को सत्यापित करने के लिए प्रयोग की जाती है और अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध है ;

(यङ) "सुरक्षित प्रणाली" से ऐसे कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं, जो –

(क) अप्राधिकृत प्रवेश और दुरुपयोग से युक्तियुक्त रूप से सुरक्षित है ;

(ख) विश्वसनीयता और सही संचालन का युक्तियुक्त स्तर उपबंधित करती है ;

(ग) आशयित कृत्य करने के लिए युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त है ;

(घ) साधारणतः स्वीकार्य सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुरूप है ;

(यच) "सुरक्षा प्रक्रिया" से धारा 16 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित सुरक्षा प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(यछ) "उपयोगकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम से [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] प्रमाणपत्र जारी किया जाता है ;

(यज) अंकीय चिह्नक, इलैक्ट्रानिक अभिलेख या लोक कुंजी के संबंध में, "सत्यापित करना" से इसके व्याकरणिक रूपभेदों और

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

सजातीय पदों सहित अभिप्रेत है यह अवधारण करना कि क्या –

(क) प्रारंभिक इलैक्ट्रानिक अभिलेख पर उपयोगकर्ता की लोक कुंजी के तद्नुरूपी प्राइवेट कुंजी का उपयोग करते हुए अंकीय चिह्नक लगाया गया था ;

(ख) प्रारंभिक इलैक्ट्रानिक अभिलेख, ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख पर अंकीय चिह्नक इस प्रकार लगाए जाने के समय से ही अक्षुण्ण रखे गए हैं या उसे उपांतरित किया गया है ।

(2) इस अधिनियम में किसी अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का, उस क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमिति या ऐसा उपबंध प्रवृत्त नहीं है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि या तत्स्थानी विधि से सुसंगत उपबंध, यदि कोई है, के प्रतिनिर्देश है ।

## अध्याय 2

## [1][अंकीय चिह्नक और इलैक्ट्रानिक चिह्नक]

**3. इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणीकरण** – (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई उपयोगकर्ता, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को अपने अंकीय चिह्नक लगाकर अधिप्रमाणित कर सकेगा ।

(2) इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन असममित गूढ़ प्रणाली और द्रुतान्वेषण फलन का उपयोग करके किया जाएगा जो प्रारंभिक इलैक्ट्रानिक अभिलेख को किसी अन्य इलैक्ट्रानिक अभिलेख में आवृत्त और रूपान्तर करता है ।

**स्पष्टीकरण** – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "द्रुतान्वेषण फलन" से एल्गोरिथ्म मैपिंग या विटस की एक श्रृंखला का दूसरी श्रृंखला में रूपान्तरण अभिप्रेत है, जो कि सामान्यतः द्रुतान्वेषण परिणाम के नाम से ज्ञात सेट से छोटी हैं और ऐसी हैं जिसमें कोई इलैक्ट्रानिक अभिलेख हर समय वही द्रुतान्वेषण परिणाम उत्पन्न करता है जब उसके निवेश के रूप में उसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के साथ एल्गोरिथ्म को

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

निष्पादित किया जाता है तो वह अभिकलनीय रूप से निम्नलिखित के संबंध में असंभव हो जाता है –

(क) ऐल्गोरिथ्म द्वारा उत्पादित द्रुतान्वेषण परिणाम से मूल इलैक्ट्रानिक अभिलेख को व्युत्पन्न या पुनः संरचित करना ;

(ख) दो इलैक्ट्रानिक अभिलेखों का एल्गोरिथ्म का उपयोग करके वैसा ही द्रुतान्वेषण परिणाम उत्पादित करना ।

(3) कोई भी व्यक्ति, उपयोगकर्ता की लोक कुंजी का उपयोग करके इलैक्ट्रानिक अभिलेख को सत्यापित कर सकता है ।

(4) प्राइवेट कुंजी और लोक कुंजी उपयोगकर्ता के लिए अद्वितीय हैं और वे फलनकारी कुंजी युग्म का निर्माण करती हैं ।

[1][**3क. इलैक्ट्रानिक चिह्नक** – (1) धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई उपयोगकर्ता किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को, ऐसे इलैक्ट्रानिक चिह्नक या इलैक्ट्रानिक अधिप्रमाणन तकनीक द्वारा अधिप्रमाणित कर सकेगा, जो, –

(क) विश्वसनीय समझी जाती है ; और

(ख) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई इलैक्ट्रानिक चिह्नक या इलैक्ट्रानिक अधिप्रमाणन तकनीक विश्वसनीय समझी जाएगी, यदि, –

(क) चिह्नक सृजन डाटा या अधिप्रमाणन डाटा, उस संदर्भ में, जिसमें उनका उपयोग किया जाता है, यथास्थिति, हस्ताक्षरकर्ता या अधिप्रमाणनकर्ता के साथ जोड़े जाते हैं और न कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ ;

(ख) चिह्नक सृजन डाटा या अधिप्रमाणन डाटा, चिह्नांकन के समय, यथास्थिति, हस्ताक्षरकर्ता या अधिप्रमाणनकर्ता के नियंत्रणाधीन थे और न कि किसी अन्य व्यक्ति के ;

(ग) ऐसा चिह्नक लगाने के पश्चात्, इलैक्ट्रानिक चिह्नक में

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

किया गया कोई परिवर्तन पता लगाए जाने योग्य है ;

(घ) इलैक्ट्रानिक चिह्नक द्वारा अधिप्रमाणन के पश्चात् सूचना में किया गया कोई परिवर्तन पता लगाए जाने योग्य है ; और

(ङ) यह ऐसी अन्य शर्तों को पूरी करता हो, जो विहित की जाएं ।

(3) केन्द्रीय सरकार, इस बात का अभिनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया विहित कर सकेगी, कि क्या इलैक्ट्रानिक चिह्नक उसी व्यक्ति का है जिसके द्वारा उसका चिह्नांकन किया जाना या अधिप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है ।

(4) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दूसरी अनुसूची में ऐसे चिह्नक को लगाने के लिए कोई इलैक्ट्रानिक चिह्नक या इलैक्ट्रानिक अधिप्रमाणन तकनीक या प्रक्रिया जोड़ सकेगी या उससे हटा सकेगी :

परंतु कोई इलैक्ट्रानिक चिह्नक या अधिप्रमाणन तकनीक दूसरी अनुसूची में तभी विनिर्दिष्ट की जाएगी, जब ऐसा चिह्नक या तकनीक विश्वसनीय हो ।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।]

## अध्याय 3

## इलैक्ट्रानिक नियमन

**4. इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की विधिमान्यता** – जहां कोई विधि यह उपबंध करती है कि सूचना या कोई अन्य विषय लिखित या टंकित या मुद्रित रूप में होगा, वहां, ऐसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी, यदि ऐसी सूचना या विषय, –

(क) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है ; और

(ख) इस प्रकार पहुंच योग्य है कि वह किसी पश्चात्वर्ती निर्देश के लिए उपयोग किए जाने योग्य है ।

**5. [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नकों] की विधिमान्यता** – जहां किसी विधि में यह उपबंध किया गया हो कि सूचना या कोई अन्य विषय, उस पर हस्ताक्षर करके अधिप्रमाणित किया जाए, या कोई दस्तावेज हस्ताक्षरित किया जाए अथवा उस पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर हों, वहां ऐसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी, यदि ऐसी सूचना या विषय, ऐसी रीति से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] लगा कर अधिप्रमाणित किया गया हो ।

**स्पष्टीकरण –** इस धारा के प्रयोजनों के लिए इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ "हस्ताक्षरित" से, किसी व्यक्ति के संदर्भ में, अभिप्रेत है किसी दस्तावेज पर अपने हस्तलिखित हस्ताक्षर करना या कोई चिह्न लगाना और "हस्ताक्षर" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

**6. सरकार और उसके अभिकरणों में इलैक्ट्रानिक अभिलेखों और [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नकों] का प्रयोग** – (1) जहां किसी विधि में, –

(क) समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय या अभिकरण में कोई प्ररूप, आवेदन या कोई अन्य दस्तावेज किसी विशिष्ट रीति से फाइल करने का ;

(ख) किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन, मंजूरी या अनुमोदन, वह चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो किसी विशिष्ट रीति से जारी या मंजूर करने का ;

(ग) किसी विशिष्ट रीति से धन की प्राप्ति या संदाय का,

उपबंध है, वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी, यदि, यथास्थिति, ऐसा फाइल किया जाना, जारी किया जाना, मंजूरी, प्राप्ति

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

या संदाय, ऐसे इलैक्ट्रानिक रूप से, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, किया जाता है ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, समुचित सरकार, नियमों द्वारा निम्नलिखित विहित कर सकेगी –

(क) वह रीति जिससे और वह रूपविधान जिसमें ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख फाइल, सृजित या जारी किए जाएंगे ;

(ख) खंड (क) के अधीन किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के फाइल, सृजन या जारी किए जाने के लिए किसी फीस या प्रभारों के संदाय की रीति या पद्धति ।

[1][**6क. सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं का परिदान** – (1) समुचित सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए और इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से, जनता को सेवाओं के दक्ष परिदान के लिए, आदेश द्वारा, किसी सेवा प्रदाता को कंप्यूटरीकृत सुविधाओं की स्थापना, अनुरक्षण और उन्नयन और ऐसी अन्य सेवाओं का अनुपालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

**स्पष्टीकरण** – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस प्रकार प्राधिकृत सेवा प्रदाता के अंतर्गत ऐसा कोई व्यष्टि, प्राइवेट अभिकरण, प्राइवेट कंपनी, भागीदारी फर्म, एकल स्वत्वधारी फर्म या कोई ऐसा अन्य निकाय या अभिकरण भी है जिसे ऐसे सेवा सैक्टर को शासित करने वाली नीति के अनुसार इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से सेवाएं प्रस्थापित करने के लिए समुचित सरकार द्वारा अनुज्ञा दी गई है ।

(2) समुचित सरकार, उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी सेवा प्रदाता को, ऐसे सेवा प्रभार, जो ऐसी सेवा का उपभोग करने वाले व्यक्ति से ऐसी सेवा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएं, संगृहीत, प्रतिधारित और

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित ।

विनियोजित करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगी ।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित सरकार, इस तथ्य के होते हुए भी कि इस अधिनियम, नियम, विनियम या अधिसूचना के अधीन ऐसा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, जिसके अधीन सेवा प्रदाताओं द्वारा ई-सेवा प्रभारों का संग्रहण, प्रतिधारण और विनियोजन करने के लिए सेवा प्रदान की जाती है, इस धारा के अधीन सेवा प्रदाताओं को सेवा प्रभारों का संग्रहण, प्रतिधारण, विनियोजन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

(4) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन सेवा प्रभारों का मापमान विनिर्दिष्ट करेगी जो इस धारा के अधीन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रभारित और संगृहीत किए जा सकेंगे :

परंतु समुचित सरकार विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सेवा प्रभारों के विभिन्न मापमान विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।]

**7. इलैक्ट्रानिक अभिलेखों का प्रतिधारण** – (1) जहां किसी विधि में यह उपबंध है कि दस्तावेज, अभिलेख या सूचना किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिधारित की जाए, वहां, ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी यदि ऐसे दस्तावेज, अभिलेख या सूचना इलैक्ट्रानिक रूप में प्रतिधारित की जाती है, यदि –

(क) उसमें अंतर्विष्ट सूचना इस प्रकार पहुंच योग्य बनी रहती है कि पश्चात्वर्ती निर्देश के लिए उपयोग की जा सके ;

(ख) इलैक्ट्रानिक अभिलेख उसी रूपविधान में, जिसमें मूलतः उत्पादित, प्रेषित या प्राप्त किया गया था या उस रूपविधान में, जिसमें मूलतः उत्पादित, प्रेषित या प्राप्त की गई सूचना ठीक-ठीक निरूपित करने के लिए निर्देशित की जा सकती है, प्रतिधारित किया जाता है ;

(ग) वे ब्यौरे, जो ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख के उद्भव, गंतव्य, प्रेषण या प्राप्त की तारीख और समय के अभिज्ञान को सुकर बनाएंगे, इलैक्ट्रानिक अभिलेख में उपलब्ध हैं :

परंतु यह खंड किसी ऐसी सूचना को लागू नहीं होता है जो किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को केवल प्रेषित या प्राप्त करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए स्वतः उत्पादित की जाती है ।

(2) इस धारा की कोई बात किसी ऐसी विधि को लागू नहीं होगी जिसमें दस्तावेजों, अभिलेखों या सूचना का इलैक्ट्रानिक अभिलेखों के रूप में प्रतिधारण के लिए अभिव्यक्त रूप से उपबंध है ।

[1][**7क. इलैक्ट्रानिक रूप में रखे गए दस्तावेजों, आदि की संपरीक्षा –** जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में, दस्तावेजों, अभिलेखों या सूचना की संपरीक्षा का उपबंध है, वहां, वह उपबंध इलैक्ट्रानिक रूप में संसाधित और रखे गए दस्तावेजों, अभिलेखों या सूचना की संपरीक्षा के संबंध में भी लागू होगा ।]

**8. इलैक्ट्रानिक राजपत्र में नियम, विनियम, आदि का प्रकाशन –** जहां किसी विधि में यह उपबंध है कि कोई नियम, विनियम, आदेश, उपविधि, अधिसूचना या कोई अन्य विषय, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा वहां ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी यदि ऐसा नियम, विनियम, आदेश, उपविधि, अधिसूचना या कोई अन्य विषय राजपत्र या इलैक्ट्रानिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है :

परन्तु जहां राजपत्र या इलैक्ट्रानिक राजपत्र में कोई नियम, विनियम, आदेश, उपविधि, अधिसूचना या किसी अन्य सामग्री को प्रकाशित किया जाता है वहां वही प्रकाशन की तारीख, उस राजपत्र की तारीख समझी जाएगी, जिसको वह प्रथमतः किसी रूप में प्रकाशित हुआ था ।

**9. धारा 6, धारा 7 और धारा 8 इस बात पर जोर देने का अधिकार प्रदान नहीं करती कि दस्तावेज इलैक्ट्रानिक रूप में स्वीकार किया जाए** – धारा 6, धारा 7 और धारा 8 में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को इस बात पर जोर देने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग अथवा किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित या केन्द्रीय या राज्य

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित ।

सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी प्राधिकरण या निकाय को कोई दस्तावेज इलैक्ट्रानिक अभिलेखों के रूप में स्वीकार, जारी, सृजित, प्रतिधारित, संरक्षित करना चाहिए या इलैक्ट्रानिक रूप में कोई धनीय संव्यवहार करना चाहिए ।

**10. [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] से संबंधित नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति** – केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, नियमों द्वारा, निम्नलिखित विहित कर सकेगी, –

(क) [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] का प्रकार ;

(ख) वह रीति और रूपविधान जिसमें [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] लगाया जाएगा ;

(ग) वह रीति या प्रक्रिया जो [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] लगाने वाले व्यक्ति की पहचान को सुकर बनाती है ;

(घ) इलैक्ट्रानिक अभिलेखों या संदायों की यथोचित समग्रता, सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण पद्धति और प्रक्रियाएं ; और

(ङ) कोई अन्य विषय, जो [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] को विधिक प्रभाव देने के लिए आवश्यक हो ।

[2][**10क. इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से की गई संविदाओं की विधिमान्यता** – जहां किसी संविदा को तैयार करने में, यथास्थिति, प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रस्थापनाओं की स्वीकृति, प्रस्थापनाओं का प्रतिसंहरण और स्वीकृतियां, इलैक्ट्रानिक रूप में या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के साधनों द्वारा, अभिव्यक्त की जाती है वहां ऐसी संविदा केवल इस आधार पर कि ऐसा इलैक्ट्रानिक रूप या साधन उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया था, अप्रवर्तनीय नहीं समझी जाएगी ।]

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित ।

## अध्याय 4

## इलैक्ट्रानिक अभिलेखों का अधिकार, अभिस्वीकृति और प्रेषण

**11. इलैक्ट्रानिक अभिलेखों का अधिकार** – किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिकार प्रवर्तक को प्राप्त होगा, –

(क) यदि वह स्वयं प्रवर्तक द्वारा ;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे उस इलैक्ट्रानिक अभिलेख की बाबत प्रवर्तक की ओर से कार्य करने का प्राधिकार था ; या

(ग) स्वत: प्रचालित किए जाने के लिए प्रवर्तक द्वारा या उसकी ओर से कार्यक्रमित किसी सूचना प्रणाली द्वारा भेजा गया था ।

**12. प्राप्ति की अभिस्वीकृति** – (1) [1][जहां प्रवर्तक ने यह अनुबंधित नहीं किया है] कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख की प्राप्ति की अभिस्वीकृति किसी विशिष्ट रूप में या किसी विशिष्ट पद्धति द्वारा दी जाए, वहां अभिस्वीकृति, –

(क) प्रेषिती द्वारा स्वचालित या अन्यथा किसी संसूचना द्वारा ; या

(ख) प्रेषिती के किसी आचरण द्वारा, जो प्रवर्तक को यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्राप्त हो गया है,

दी जा सकेगी ।

(2) जहां प्रवर्तक ने यह नियत किया है कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख, उसके द्वारा ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख की अभिस्वीकृति के प्राप्त होने पर ही आबद्धकर होगा, वहां जब तक अभिस्वीकृति इस प्रकार प्राप्त नहीं हो जाती है, ऐसा समझा जाएगा कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रवर्तक द्वारा कभी भेजा ही नहीं गया था ।

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) जहां प्रवर्तक ने यह नियत नहीं किया है कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख, ऐसी अभिस्वीकृति प्राप्त होने पर ही आबद्धकर होगा और प्रवर्तक द्वारा विनिर्दिष्ट या तय किए गए समय के भीतर या यदि कोई समय विनिर्दिष्ट या तय नहीं किया गया है तो उचित समय के भीतर, अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है वहां प्रवर्तक, प्रेषिती को यह कथन करते हुए कि उसके द्वारा अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है और ऐसा उचित समय विनिर्दिष्ट करते हुए, जिस तक अभिस्वीकृति उसके द्वारा प्राप्त कर ली जानी चाहिए, नोटिस दे सकेगा और यदि पूर्वोक्त समय-सीमा के भीतर कोई अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो वह प्रेषिती को नोटिस देने के पश्चात्, इलैक्ट्रानिक अभिलेख के बारे में इस प्रकार समझ सकेगा मानो वह कभी भेजा ही न गया हो ।

**13. इलैक्ट्रानिक अभिलेख के प्रेषण और प्राप्ति का समय और स्थान** – (1) प्रवर्तक और प्रेषिती के बीच जैसा अन्यथा तय पाया गया है उसके सिवाय, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख का प्रेषण उस समय होता है जब वह प्रवर्तक के नियंत्रण से बाहर किसी कम्प्यूटर साधन में डाला जाता है ।

(2) प्रवर्तक और प्रेषिती के बीच जैसा अन्यथा तय पाया गया है उसके सिवाय, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख की प्राप्ति का समय निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) यदि प्रेषिती ने इलैक्ट्रानिक अभिलेखों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कोई कम्प्यूटर साधन अभिहित कर लिया है, –

(i) तो प्राप्ति उस समय हो जाती है जब इलैक्ट्रानिक अभिलेख अभिहित कम्प्यूटर साधन में डाला जाता है, या

(ii) यदि इलैक्ट्रानिक अभिलेख, प्रेषिती के ऐसे कम्प्यूटर साधन में भेजा जाता है जो अभिहित कम्प्यूटर साधन नहीं है तब प्राप्ति उस समय हो जाती है जब इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रेषिती द्वारा पुन: प्राप्त कर लिया जाता है ;

(ख) यदि प्रेषिती ने विनिर्दिष्ट समयों के साथ-साथ, यदि कोई हो, कोई कम्प्यूटर साधन अभिहित नहीं किया है तो प्राप्ति तब

होती है जब इलैक्ट्रानिक अभिलेख, प्रेषिती के कम्प्यूटर साधन में डाला जाता है ।

(3) प्रवर्तक और प्रेषिती के बीच जैसा अन्यथा तय पाया गया है उसके सिवाय, कोई इलैक्ट्रानिक अभिलेख उस स्थान पर प्रेषित कर दिया गया समझा जाता है जहां प्रवर्तक का अपना कारबार का स्थान है और उस स्थान पर प्राप्त हो गया समझा जाता है जहां प्रेषिती का अपना कारबार का स्थान है ।

(4) उपधारा (2) के उपबंध इस बात के होते हुए भी लागू होंगे कि वह स्थान जहां कम्प्यूटर साधन अवस्थित है, उस स्थान से भिन्न हो सकता है जहां इलैक्ट्रानिक अभिलेख उपधारा (3) के अधीन प्राप्त कर लिया गया समझा जाता है ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(क) यदि प्रवर्तक या प्रेषिती के एक से अधिक कारबार के स्थान हैं तो कारबार का प्रधान स्थान, कारबार का स्थान होगा ;

(ख) यदि प्रवर्तक या प्रेषिती के पास कारबार का स्थान नहीं है तो उसके निवास का प्रायिक स्थान कारबार का स्थान समझा जाएगा ;

(ग) किसी निगमित निकाय के संबंध में "निवास का प्रायिक स्थान" से वह स्थान अभिप्रेत है जहां वह रजिस्ट्रीकृत है ।

**अध्याय 5**

**सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख और सुरक्षित [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक]**

**14. सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख** – जहां किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को, समय के किसी विनिर्दिष्ट क्षण पर सुरक्षा प्रक्रिया लागू की गई है वहां ऐसा अभिलेख, समय के ऐसे क्षण से सत्यापन के समय तक सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख समझा जाएगा ।

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1]**[15. सुरक्षित इलैक्ट्रानिक चिह्नक** – कोई इलैक्ट्रानिक चिह्नक एक सुरक्षित इलैक्ट्रानिक चिह्नक समझा जाएगा, यदि –

(i) चिह्नक सृजन डाटा, चिह्नक लगाने के समय, हस्ताक्षरकर्ता के अनन्य नियंत्रणाधीन था और न कि किसी अन्य व्यक्ति के ; और

(ii) चिह्नक सृजन डाटा, ऐसी अनन्य रीति में भंडारित किया गया और लगाया गया था, जो विहित की जाए ।

**स्पष्टीकरण** – अंकीय चिह्नक की दशा में, चिह्नक सृजन डाटा से उपयोगकर्ता की प्राइवेट कुंजी अभिप्रेत है ।

**16. सुरक्षा प्रक्रियाएं और पद्धतियां** – केन्द्रीय सरकार, धारा 14 और धारा 15 के प्रयोजनों के लिए, सुरक्षा प्रक्रियाएं और पद्धतियां विहित कर सकेगी :

परंतु ऐसी सुरक्षा प्रक्रियाओं और पद्धतियों को विहित करते समय केन्द्रीय सरकार, वाणिज्यिक परिस्थितियों, संव्यवहारों की प्रकृति और ऐसी अन्य संबंधित बातों का ध्यान रखेगी, जो वह समुचित समझे ।]

## अध्याय 6

## प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का विनियमन

**17. नियंत्रक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का एक नियंत्रक नियुक्त कर सकेगी और उसी या पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा उप नियंत्रक, [2][और सहायक नियंत्रक, अन्य अधिकारी और कर्मचारी] भी उतनी संख्या में नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे ।

(2) नियंत्रक, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का केन्द्रीय सरकार के साधारण नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए निर्वहन करेगा ।

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) उप नियंत्रक और सहायक नियंत्रक, नियंत्रक द्वारा उन्हें समनुदेशित कृत्यों का निर्वहन, नियंत्रक के साधारण अधीक्षण और नियंत्रक के अधीन करेंगे ।

(4) नियंत्रक, उप नियंत्रकों, [1][और सहायक नियंत्रकों, अन्य अधिकारी और कर्मचारियों] की अर्हताएं, अनुभव और सेवा के निबंधन तथा शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(5) नियंत्रक कार्यालय का प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालय ऐसे स्थानों पर होंगे, जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे और इनकी स्थापना ऐसे स्थानों पर हो सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे ।

(6) नियंत्रक कार्यालय की एक मोहर होगी ।

**18. नियंत्रक के कृत्य** – नियंत्रक, निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना ;

(ख) प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की लोक कुंजियों को प्रमाणित करना ;

(ग) प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा बनाए रखे जाने वाले मानक अधिकथित करना ;

(घ) ऐसी अर्हताएं और अनुभव विनिर्दिष्ट करना जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के कर्मचारियों के पास होनी चाहिए ;

(ङ) ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट करना जिनके अधीन प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अपना कार्य करेगा ;

(च) लिखित, मुद्रित या दृश्य सामग्री और विज्ञापनों की अन्तर्वस्तु विनिर्दिष्ट करना, जिसके [2][इलैक्ट्रानिक चिह्नक]

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्रमाणपत्र और लोक कुंजी की बाबत वितरण या उपयोग किया जा सके ;

(छ) किसी [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] प्रमाणपत्र और कुंजी का रूप और अन्तर्वस्तु विनिर्दिष्ट करना ;

(ज) वह प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करना, जिसमें प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा लेखे रखे जाएंगे ;

(झ) उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करना, जिनके अधीन लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी और उनको पारिश्रमिक संदत्त किया जा सकेगा ;

(ञ) प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा, अकेले या अन्य प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से किसी इलैक्ट्रानिक प्रणाली के स्थापन और ऐसी प्रणाली के विनियमन को सुकर बनाना ;

(ट) वह रीति विनिर्दिष्ट करना, जिसमें प्रमाणकर्ता प्राधिकारी उपयोगकर्ताओं के साथ व्यवहार करेंगे ;

(ठ) प्रमाणकर्ता प्राधिकारी और उनके उपयोगकर्ताओं के बीच हितों के किसी टकराव का समाधान करना ;

(ड) प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के कर्तव्यों को अधिकथित करना ;

(ढ) ऐसा डाटा संचय रखना, जिसमें प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी का प्रकटन अभिलेख हो, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट हों, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और जो जनता की पहुंच में हों ।

**19. विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की मान्यता** – (1) नियंत्रक, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के रूप में मान्यता दे सकेगा ।

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) जहां, किसी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन मान्यता दी जाती है, वहां ऐसे प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] प्रमाणपत्र इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होगा ।

(3) यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि किसी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी ने ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों में से किसी का, जिनके अध्यधीन उसे उपधारा (1) के अधीन मान्यता प्रदान की गई थी, उल्लंघन किया है तो वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी मान्यता को प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

[2]**20.** * * * * *

**21. [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुज्ञप्ति** – (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] प्रमाणपत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति के लिए नियंत्रक को आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदक, अर्हता, विशेषज्ञता, जनशक्ति, वित्तीय संसाधन और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की बाबत ऐसी अपेक्षाएं पूरी न करता हो, जो ऐसे [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए आवश्यक हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(3) इस धारा के अधीन अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति, –

(क) ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(ख) अन्तरणीय या वंशागत नहीं होगी ;

(ग) ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

**22. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन** – (1) अनुज्ञप्ति जारी करने के

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 13 द्वारा लोप किया गया ।

लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ, निम्नलिखित संलग्न होंगे –

(क) प्रमाणन पद्धति विवरण ;

(ख) आवेदक की पहचान करने की बाबत विवरण, जिसमें प्रक्रियाएं भी सम्मिलित हैं ;

(ग) पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की ऐसी फीस का संदाय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(घ) ऐसे अन्य दस्तावेज, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

**23. अनुज्ञप्ति का नवीकरण** – किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कोई आवेदन, –

(क) ऐसे प्ररूप में ;

(ख) ऐसी फीस सहित होगा, जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी,

जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि के अवसान से पैंतालीस दिन से अन्यून अवधि से पूर्व किया जाएगा ।

**24. अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसे नामंजूर करने के लिए प्रक्रिया** – नियंत्रक, धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों और ऐसी अन्य बातों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, विचार करने के पश्चात्, अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा या आवेदन को नामंजूर कर सकेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को अपना पक्षकथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

**25. अनुज्ञप्ति का निलंबन –** (1) नियंत्रक, यदि उसका ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, –

(क) ने अनुज्ञप्ति जारी करने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन में या उसके संबंध में ऐसा कोई कथन किया है जो तात्त्विक विशिष्टियों के बारे में गलत है या मिथ्या है ;

(ख) उन निबंधनों और शर्तों का, जिनके अध्यधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई थी, पालन करने में असफल रहा है ;

[1][(ग) धारा 30 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं और मानकों को बनाए रखने में असफल रहा है ;]

(घ) ने इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या किए गए आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है,

तो अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकेगा :

परन्तु कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक प्रतिसंहृत नहीं की जाएगी जब तक कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तावित प्रतिसंहरण के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(2) नियंत्रक, यदि उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतुक है कि उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने के लिए कोई आधार है, आदेश द्वारा, उसके, द्वारा आदेशित किसी जांच के पूरा होने तक ऐसी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा :

परन्तु कोई भी अनुज्ञप्ति दस दिन से अनधिक की अवधि के लिए तब तक निलंबित नहीं की जाएगी जब तक कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को, प्रस्तावित निलम्बन के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया गया हो ।

(3) ऐसा कोई प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित

---

[1] का. आ. 1015 (अ), तारीख 19-9-2002 द्वारा प्रतिस्थापित ।

कर दी गई है, ऐसे निलबंन के दौरान कोई [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा ।

**26. अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना** – (1) जहां किसी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की कोई अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहृत कर दी गई है वहां नियंत्रक, यथास्थिति, ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण की एक सूचना, उसके द्वारा रखे जाने वाले डाटा-संचय में प्रकाशित करेगा ।

(2) जहां एक या अधिक निधान विनिर्दिष्ट किए गए हैं वहां नियंत्रक, यथास्थिति, ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना, ऐसे सभी निधानों में प्रकाशित करेगा :

परन्तु, यथास्थिति, ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना से युक्त डाटा-संचय ऐसी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जो दिन-रात पहुंच में होगी :

परन्तु यह और कि यदि नियंत्रक, आवश्यक समझे तो वह, ऐसे इलैक्ट्रानिक या अन्य मीडिया में, जिसे वह उपयुक्त समझे, डाटा-संचय की अन्तर्वस्तु को प्रचारित कर सकेगा ।

**27. प्रत्यायोजन की शक्ति** – नियंत्रक, इस अध्याय के अधीन नियंत्रक की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक या किसी अधिकारी को लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकेगा ।

**28. उल्लंघनों का अन्वेषण करने की शक्ति** – (1) नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस अधिनियम, तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के किसी भी उल्लंघन का अन्वेषण करेगा ।

(2) नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, वैसी ही शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 13 के अधीन आय-कर प्राधिकारियों को प्रदत्त हैं और ऐसी शक्तियों का प्रयोग उस अधिनियम के अधीन अधिकथित सीमाओं के अधीन रहते हुए करेगा ।

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

**29. कंप्यूटरों और डाटा तक पहुंच –** (1) धारा 69 की उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास, यदि यह संदेह करने का उचित कारण है कि [1][इस अध्याय के उपबंधों का कोई उल्लंघन किया गया है] तो उसे किसी कंप्यूटर प्रणाली, किसी साधित्र, डाटा या ऐसी प्रणाली से संबंधित किसी अन्य सामग्री तक, ऐसी कंप्यूटर प्रणाली में उपलब्ध या अन्तर्विष्ट कोई सूचना या डाटा अभिप्राप्त करने के लिए, उसमें तलाशी करने या करवाने के प्रयोजन के लिए पहुंच होगी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके भारसाधन में कंप्यूटर प्रणाली, डाटा साधित्र या सामग्री है या वह उसके प्रचालन से अन्यथा संबंधित है, ऐसी युक्तियुक्त तकनीकी और अन्य सहायता, जिसे वह आवश्यक समझे, प्रदान करने के लिए, आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा ।

**30. प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा कतिपय प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाना –** प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, –

(क) हार्डवेयर, साफ्टवेयर और ऐसी प्रक्रियाओं का उपयोग करेगा, जो अतिक्रमण और दुरुपयोग से सुरक्षित हैं ;

(ख) अपनी सेवाओं में विश्वसनीयता का युक्तियुक्त स्तर उपलब्ध कराएगा, जो आशयित कृत्यों के निर्वहन के लिए युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त हैं ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करेगा, जिससे कि [2][इलैक्ट्रानिक चिह्नकों] की गोपनीयता और एकान्तता सुनिश्चित हो सके ; [3]***

[4][(गक) इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए सभी इलैक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्रों का संग्रह होगा ;

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 15 द्वारा लोप किया गया ।

[4] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 15 द्वारा अंतःस्थापित ।

(गख) अपनी पद्धतियों, इलैक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्रों और ऐसे प्रमाणपत्रों की वर्तमान प्रास्थिति की बाबत सूचना का प्रकाशन करेगा ; और]

(घ) ऐसे अन्य मानकों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

**31. प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अधिनियम आदि के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा** – प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित या अन्यथा नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने नियोजन या नियुक्ति के दौरान इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों का पालन करता है ।

**32. अनुज्ञप्ति का संप्रदर्शन** – प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, अपनी अनुज्ञप्ति को उस परिसर के उस सहजदृश्य स्थान पर, जिसमें वह अपना कारबार करता है, संप्रदर्शित करेगा ।

**33. अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण** – (1) ऐसा प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहृत कर दी गई है, ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण के ठीक पश्चात् नियंत्रक को अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा ।

(2) जहां कोई प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करने में असफल रहेगा वहां वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी की गई है, अपराध का दोषी होगा और कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

**34. प्रकटीकरण** – (1) प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से, –

(क) अपने [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] प्रमाणपत्र को प्रकट करेगा, [2]*** ;

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 16 द्वारा लोप किया गया ।

(ख) उससे सुसंगत कोई प्रमाणन पद्धति विवरण प्रकट करेगा ;

(ग) उसके प्रमाणकर्ता प्राधिकारी प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, के प्रतिसंहरण या निलंबन की सूचना प्रकट करेगा ; और

(घ) ऐसा कोई अन्य तथ्य प्रकट करेगा, जो किसी [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] प्रमाणपत्र की, जिसे उस प्राधिकारी ने जारी किया है, विश्वसनीयता को या उस प्राधिकारी की अपनी सेवाओं को निष्पादित करने की योग्यता को, तात्विक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है ।

(2) जहां प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय में कोई घटना घटित हुई है या ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिससे उसकी कंप्यूटर प्रणाली की अखंडता या ऐसी शर्तों पर, जिनके अध्यधीन उसका [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया था, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तब प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, –

(क) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके उससे प्रभावित होने की संभावना है, अधिसूचित करने के लिए युक्तियुक्त प्रयास करेगा ; या

(ख) ऐसी घटना या अवस्थिति से निपटने के लिए प्रमाणन पद्धति विवरण में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगा ।

## अध्याय 7

## [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] प्रमाणपत्र

**35. प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] प्रमाणपत्र जारी किया जाना** – (1) कोई भी व्यक्ति, [1][इलैक्ट्रानिक चिह्नक] प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में आवेदन कर सकेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को संदेय की जाने वाली पच्चीस हजार रुपए से अनधिक उतनी फीस संलग्न होगी,

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए :

परन्तु उपधारा (2) के अधीन फीस विहित करते समय, आवेदकों के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न फीसें विहित की जा सकेंगी ।

(3) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ प्रमाणन पद्धति विवरण संलग्न होगा या जहां ऐसा विवरण नहीं है, वहां ऐसी विशिष्टियों वाला विवरण संलग्न होगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(4) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, उपधारा (3) के अधीन प्रमाणन पद्धति विवरण या अन्य विवरण पर विचार करने और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र मंजूर कर सकेगा या आवेदन को, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, नामंजूर कर सकेगा :

[1]* * * *

[2][परन्तु] कोई भी आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को प्रस्तावित नामंजूरी के विरुद्ध कारण दर्शित करने के लिए उचित अवसर न दे दिया गया हो ।

**36. अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र जारी करने पर व्यपदेशन** – अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र जारी करते समय प्रमाणकर्ता प्राधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि –

(क) उसने इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन किया है ;

(ख) उसने अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र प्रकाशित किया है या उसे उस पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को अन्यथा उपलब्ध कराया है और उपयोगकर्ता ने उसे स्वीकार किया है ;

(ग) उपयोगकर्ता के पास अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी है ;

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 17 द्वारा लोप किया गया ।

[2] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(गक) उपयोगकर्ता के पास ऐसी प्राइवेट कुंजी है, जो अंकीय चिह्नक का सृजन करने में समर्थ है ;

(गख) प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध की जाने वाली लोक कुंजी का उपयोगकर्ता द्वारा धारित प्राइवेट कुंजी द्वारा लगाए गए अंकीय चिह्नक का सत्यापन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है ।]

(घ) उपयोगकर्ता की लोक कुंजी और प्राइवेट कुंजी मिलकर एक कार्यकारी कुंजी युग्म बनाती है ;

(ङ) अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट सूचना सही है ; और

(च) उसके पास किसी ऐसे सारवान् तथ्य की जानकारी नहीं है जिसे यदि अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र में सम्मिलित किया गया होता तो उसका खंड (क) से खंड (घ) में किए गए व्यपदेशनों की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ।

**37. अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र का निलंबन –** (1) ऐसा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, जिसने अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र जारी किया है, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, –

(क) (i) अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध उपयोगकर्ता से ; या

(ii) उस उपयोगकर्ता की ओर से कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से, उस आशय के अनुरोध की प्राप्ति पर ;

(ख) यदि उसकी यह राय है कि अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र लोक हित में निलंबित किया जाना चाहिए,

ऐसे अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकेगा ।

(2) अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र पन्द्रह दिन से अधिक के लिए तब

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।

तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि उपयोगकर्ता को उस विषय पर सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो ।

(3) इस धारा के अधीन अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र के निलंबन पर प्रमाणकर्ता प्राधिकारी उपयोगकर्ता को उसकी संसूचना देगा ।

**38. अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण –** (1) प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किया गया अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र उस दशा में प्रतिसंहृत कर सकेगा –

(क) जहां उपयोगकर्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उस आशय का अनुरोध करे ; या

(ख) उपयोगकर्ता की मृत्यु हो जाती है ; या

(ग) फर्म का विघटन या कंपनी का परिसमापन हो जाता है, यदि उपयोगकर्ता फर्म या कंपनी है ।

(2) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए गए अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र को किसी भी समय प्रतिसंहृत कर सकेगा, यदि उसकी यह राय है कि, –

(क) अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र में दिया गया कोई सारवान् तथ्य मिथ्या है, या उसे छिपा दिया गया है ;

(ख) अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र के जारी किए जाने से संबंधित अपेक्षाएं पूरी नहीं की गई हैं ;

(ग) प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की प्राइवेट कुंजी या सुरक्षा प्रणाली ऐसी रीति से गोपनीय नहीं रह गई है जिससे अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र की विश्वसनीयता तात्विक रूप से प्रभावित होती है ;

(घ) उपयोगकर्ता को दिवालिया या मृत घोषित किया गया है या जहां उपयोगकर्ता फर्म या कंपनी है वहां उसका विघटन या परिसमापन हो गया है या वह अन्यथा अस्तित्व में नहीं रह गई है ।

(3) कोई अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र तब तक प्रतिसंहृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उपयोगकर्ता को मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(4) इस धारा के अधीन अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण होने पर प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, उसकी संसूचना उपयोगकर्ता को देगा ।

**39. निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना** – (1) जहां कोई अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र, धारा 37 या धारा 38 के अधीन निलंबित या प्रतिसंहृत किया जाता है वहां प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना, ऐसी सूचना के प्रकाशन के लिए अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट निधान में, प्रकाशित करेगा ।

(2) जहां एक से अधिक निधान विनिर्दिष्ट किए गए हैं वहां प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, ऐसे सभी निधानों में, यथास्थिति, ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचनाएं प्रकाशित करेगा ।

## अध्याय 8

## उपयोगकर्ताओं के कर्तव्य

**40. कुंजी-युग्म का उत्पादित किया जाना** – जहां कोई अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र, जिसकी लोक कुंजी उस उपयोगकर्ता की प्राइवेट कुंजी के अनुरूप है जो अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध की जानी है, उपयोगकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है [1][वहां] ऐसा उपयोगकर्ता सुरक्षा प्रक्रिया अपना कर [1][उस कुंजी-युग्म को] तैयार करेगा ।

[2]**[40क. इलैक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्र के उपयोगकर्ता के कर्तव्य** – इलैक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्र के संबंध में उपयोगकर्ता ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं ।]

**41. अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र की स्वीकृति** – (1) किसी उपयोगकर्ता के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र स्वीकार कर लिया है यदि वह अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र को –

---

[1] का. आ. 1015 (अ), तारीख 19-9-2002 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 19 द्वारा अंतःस्थापित ।

(क) एक या अधिक व्यक्तियों को ;

(ख) किसी निधान में, प्रकाशित करता है या उसका प्रकाशन प्राधिकृत करता है,

या अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र के लिए अपना अनुमोदन किसी रीति में अन्यथा प्रदर्शित करता है ।

(2) अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र को स्वीकार करके उपयोगकर्ता उन सभी को, जो अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट सूचना पर युक्तियुक्त रूप से विश्वास करते हैं, प्रमाणित करता है कि –

(क) उपयोगकर्ता के पास अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी है और वह उसे रखने का हकदार है ;

(ख) प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को उपयोगकर्ता द्वारा किए गए सभी व्यपदेशन और अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट सूचना से सुसंगत सभी तात्विक तथ्य सही हैं ;

(ग) अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र में की ऐसी सभी सूचनाएं, जो उपयोगकर्ता की जानकारी में हैं, सही हैं ।

**42. प्राइवेट कुंजी का नियंत्रण –** (1) प्रत्येक उपयोगकर्ता, अपने अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी का नियंत्रण रखने में युक्तियुक्त सावधानी बरतेगा और [1]***

(2) यदि अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी गोपनीय नहीं रह गई है, तो उपयोगकर्ता, इसकी संसूचना प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को ऐसी रीति में अविलम्ब देगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

**स्पष्टीकरण –** शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपयोगकर्ता तब तक दायी होगा जब तक कि उसने

---

[1] का. आ. 1015 (अ), तारीख 19-9-2002 द्वारा लोप किया गया ।

प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को सूचित न कर दिया हो कि प्राइवेट कुंजी गोपनीय नहीं रह गई है ।

## अध्याय 9

## [1][शास्तियां, प्रतिकर और अधिनिर्णय]

**43. कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली आदि को नुकसान के लिए [2][शास्ति और प्रतिकर]** – यदि कोई व्यक्ति, ऐसे स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति की, जो किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली का भारसाधक है, अनुज्ञा के बिना, –

(क) ऐसे कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क [3][या कंप्यूटर संसाधन] प्रणाली में पहुंचता है या पहुंच प्राप्त करता है ;

(ख) ऐसे कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क से कोई डाटा, कंप्यूटर डाटा संचय या सूचना, जिसके अंतर्गत किसी स्थानांतरणीय भंडारण माध्यम में धृत या संचित कोई सूचना या डाटा भी हैं, डाउनलोड करता है, प्रतिलिपि करता है, या उसका उद्धरण लेता है ;

(ग) किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में किसी कंप्यूटर संदूषक या कंप्यूटर वायरस का प्रवेश करता है, या प्रवेश करवाता है ;

(घ) ऐसे कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में के किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डाटा संचय या किसी अन्य कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचवाता है ;

(ङ) किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क को विच्छिन्न करता है या करवाता है ;

(च) किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 21 द्वारा अंतःस्थापित ।

पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति की किसी भी साधन से पहुंच से इनकार करता है या करवाता है ;

(छ) इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में, किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में किसी व्यक्ति की पहुंच को सुकर बनाने के लिए कोई सहायता प्रदान करता है ;

(ज) किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में छेड़छाड़ या छलसाधन करके, किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई सेवाओं के प्रभारों को किसी अन्य व्यक्ति के लेखे में डालता है,

तो वह इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में ऐसी नुकसानी का जो एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी, संदाय करने का दायी होगा ।

[1][(झ) किसी कंप्यूटर संसाधन में विद्यमान किसी सूचना को नष्ट करता है, हटाता है या उसमें परिवर्तन करता है या उसके महत्व या उपयोगिता को कम करता है या उसे किन्हीं साधनों द्वारा हानिकर रूप से प्रभावित करता है ;

(ञ) किसी कंप्यूटर संसाधन के लिए प्रयुक्त किसी कंप्यूटर स्रोत कोड को नुकसान पहुंचाने के आशय से चुराता है, छिपाता है, नष्ट या परिवर्तित करता है या किसी व्यक्ति से उसकी चोरी कराता है या उसे छिपवाता, नष्ट या परिवर्तित कराता है,]

[2][तो वह इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में नुकसानी का संदाय करने का दायी होगा ;]

**स्पष्टीकरण** – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, –

(i) "कंप्यूटर संदूषक" से कंप्यूटर अनुदेशों का कोई ऐसा सेट अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित के लिए अभिकल्पित किया गया हो, –

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में के डाटा या कार्यक्रम को उपांतरित, नष्ट, अभिलिखित या पारेषित करने ; या

(ख) कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क के सामान्य प्रवर्तन का किसी भी साधन से अनधिकार ग्रहण करने,

(ii) "कंप्यूटर डाटा संचय" से पाठ, प्रतिबिंब, श्रव्य, दृश्य में सूचना, जानकारी, तथ्य, संकल्पना और अनुदेशों का व्यपदेशन अभिप्रेत है, जो प्रारूपित रीति में तैयार किया जा रहा है या तैयार किया गया है अथवा कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा उत्पादित किया गया है और जो कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग के लिए आशयित है ;

(iii) कंप्यूटर वायरस से ऐसा कोई कंप्यूटर अनुदेश, सूचना, डाटा या कार्यक्रम अभिप्रेत है जो किसी कंप्यूटर साधन के निष्पादन को नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, ह्रास करता है या प्रतिकूल प्रभाव डालता है अथवा स्वयं को किसी अन्य कंप्यूटर साधन से संलग्न कर लेता है और वह तब प्रवर्तित होता है जब कोई कार्यक्रम, डाटा या अनुदेश निष्पादित किया जाता है या उस कंप्यूटर साधन में कोई अन्य घटना घटती है ;

(iv) "नुकसान" से किसी माध्यम द्वारा किसी कंप्यूटर साधन को नष्ट करना, परिवर्तित करना, हटाना, जोड़ना, उपान्तरित या पुनः व्यवस्थित करना अभिप्रेत है ।

[1][(v) "कंप्यूटर स्रोत कोड" से कंप्यूटर संसाधन के कार्यक्रमों, कंप्यूटरों समादेशों, डिजाइन और रेखांक तथा कार्यक्रम विश्लेषण को किसी रूप में सूचीबद्ध करना अभिप्रेत है ।]

[2][**43क. डाटा को संरक्षित रखने में असफलता के लिए प्रतिकर –**

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 21 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।

जहां कोई निगमित निकाय ऐसे किसी कंप्यूटर संसाधन में किसी संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना को रखता है, उसका संव्यवहार करता है या उसको संभालता है जो उसके स्वामित्व में, नियंत्रण में है या जिसका वह प्रचालन करता है, युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन और अनुरक्षण में उपेक्षा करता है और उसके द्वारा किसी व्यक्ति को सदोष हानि या सदोष लाभ पहुंचाता है, वहां ऐसा निगमित निकाय, इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में नुकसानी का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

**स्पष्टीकरण** – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, –

(i) "निगमित निकाय" से कोई कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वाणिज्यिक या वृत्तिक क्रियाकलापों में लगी हुई फर्म, एकल स्वामित्व या व्यष्टियों का कोई अन्य संगम भी है ;

(ii) "युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं" से ऐसी अप्राधिकृत पहुंच, नुकसानी, उपयोग, उपांतरण, प्रकटन या ह्रास, जो, यथास्थिति, पक्षकारों के बीच किसी करार में विनिर्दिष्ट किया जाए या जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी सूचना को संरक्षित करने के लिए अभिकल्पित सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाएं और ऐसे करार या किसी विधि के अभाव में, ऐसी युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे वृत्तिक निकायों या संगमों के परामर्श से, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, विहित की जाएं, अभिप्रेत हैं ;

(iii) "संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना" से ऐसी व्यक्तिगत सूचना अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे वृत्तिक निकायों या संगमों के परामर्श से, जिन्हें वह उचित समझे, विहित की जाए ।]

**44. जानकारी, विवरणी, आदि देने में असफल रहने के लिए शास्ति** – यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन, –

(क) नियंत्रक अथवा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को कोई दस्तावेज, विवरणी या रिपोर्ट देना अपेक्षित है, उसे देने में असफल रहेगा, तो वह, ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए एक लाख पचास हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा ;

(ख) विनियमों में उनके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विवरणी फाइल करने या कोई जानकारी, पुस्तक या अन्य दस्तावेज देना अपेक्षित है, विनियमों में उनके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी फाइल करने या उसे देने में असफल रहेगा, तो वह, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है, पांच हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा ;

(ग) लेखा बहियां या अभिलेख बनाए रखना अपेक्षित है, उन्हें बनाए रखने में असफल रहता है, तो वह, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है, दस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा ।

**45. अवशिष्ट शास्ति** – जो कोई, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसे उल्लंघन के लिए, जिसके लिए अलग से किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को पच्चीस हजार रुपए से अनधिक के प्रतिकर का संदाय करने या पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा ।

**46. न्यायनिर्णयन करने की शक्ति** – (1) इस अध्याय के अधीन न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, जहां किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, [1][दिए गए निदेश या किए गए आदेश के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन किया है, जो शास्ति या प्रतिकर का संदाय करने का दायी बनाता है] वहां केन्द्रीय सरकार, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार के निदेशक की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी या राज्य

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित ।

सरकार के किसी समतुल्य अधिकारी को, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में जांच करने के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

[2][(1क) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी उन मामलों का न्यायनिर्णयन करने की अधिकारिता का प्रयोग करेगा, जिनमें क्षति या नुकसानी के लिए दावा पांच करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है :

परंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक की क्षति या नुकसानी के लिए दावे की बाबत अधिकारिता सक्षम न्यायालय में निहित होगी ।]

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को उस मामले में अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा और यदि ऐसी जांच के पश्चात्, उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह, उस धारा के उपबंधों के अनुसार ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे ।

(3) कोई व्यक्ति, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसा अनुभव और ऐसा विधिक या न्यायिक अनुभव न हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(4) जहां एक से अधिक न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वहां केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, उन विषयों और स्थानों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनकी बाबत ऐसे अधिकारी अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे ।

(5) प्रत्येक न्यायनिर्णायक अधिकारी को सिविल न्यायालय की वे शक्तियां होंगी, जो धारा 58 की उपधारा (2) के अधीन साइबर अपील अधिकरण को प्रदान की गई हैं, और :–

---

[2] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।

(क) उसके समक्ष की सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी ;

(ख) उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और धारा 346 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

[1][(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।]

**47. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा विचार की जाने वाली बातें –** इस अध्याय के अधीन प्रतिकर की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी, निम्नलिखित बातों पर सम्यक् ध्यान देगा, अर्थात् :–

(क) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप हुए अभिलाभ या अनुचित फायदे की रकम, जहां वह परिमाण निर्धारण योग्य हो ;

(ख) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को हुई हानि की रकम ;

(ग) व्यतिक्रम की आवृत्तीय प्रकृति ।

क्रमशः आगामी अंक में......

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 10 की धारा 23 द्वारा अंतःस्थापित ।

## विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

| क्रम सं. | पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण) | पृष्ठ सं. | पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में) | विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004 | 501 | 580 | 145 |
| 2. | निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019 | 190 | 175 | – |
| 3. | भारत का सांविधानिक इतिहास – (103वां संविधान संशोधन तक) – श्री चन्द्रशेखर मिश्र | 340 | 325 | – |
| 4. | भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व – डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी | 906 | 750 | – |

## अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

| | | |
|---|---|---|
| 1. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2) | नवीनतम संस्करण, 2024 | कीमत रु. 2,500 |
| 2. भारत का संविधान (पाकेट एडीशन) | 2024 | कीमत रु. 325 |


# विधि साहित्य प्रकाशन

**(विधायी विभाग)**

**विधि और न्याय मंत्रालय**

**भारत सरकार**

**भारतीय विधि संस्थान भवन,**

**भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001**

**Website : www.lawmin.nic.in**

**Email : am.vsp-molj@gov.in**

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

# सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

## विधि साहित्य प्रकाशन

**(विधायी विभाग)**

**विधि और न्याय मंत्रालय**

**भारत सरकार**

**भारतीय विधि संस्थान भवन,**

**भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001**

**दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105**

**विक्रेता :** सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष **:** 011-23385259, 23387589, फैक्स **:** 011-23387589, ई-मेल **:** am.vsp-molj@gov.in